राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ८ वां दिवस [संख्या ५

सोमवार २३ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १३२

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द कोठारी

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३३

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३४

श्री गिरधारीलाल

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३५

श्री किशनाराम

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

शिवगंज तहसील में एक्सटेन्शन ब्लॉक

१३६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Development be pleased to state:—

Does the Government contemplate to give pre-extension block to Sheoganj tehsil of Sirohi District? If so, when?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : Every area in the State will be covered by Blocks before the end of 1963. As soon as a block can be allotted to Sirohi District on the basis of criteria already indicated to the House, recommendation of the District Development Committee will be invited as to which Tehsil should be given priority in this behalf.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : What is the pre-extension Block?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ आजकल जो ब्लॉक खोले जाते हैं सब से पहले प्री-एक्सटेन्शन ब्लॉक के नाम से कहे जाते हैं लेकिन लेटेस्ट डीसिज़न जो हमने लिया है उसके अनुसार इस प्रकार का कोई भेद नहीं रखा गया है।

Page No.2

श्री मोहब्बतसिंह : क्या डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट के पास भेज दी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, वे ध्यान में हैं। उन सब बातों को ख्याल में रखते हुए जो भी डवेलपमेंट ब्लॉक खोले जायेंगे उसके अनुसार निर्णय किया जायगा।

सिरोही जिले की मिडिल स्कूलों को हायर सेकिन्डरी स्टेन्डर्ड में परिवर्तित करना

१३७. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) Does the Government contemplate the raising of Jawal Middle School of Sirohi District, which is already under pilot scheme to Higher Secondary School ?

(b) If so, from which year ?

(c) How many Middle Schools of the State are contemplated to be raised to Higher Secondary standard from the July Session of 1959 ?

(d) Does the Government contemplate to raise one Middle School of Sirohi District to the Standard of Higher Secondary from July Session of 1959 ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) आगामी वर्ष में होने वाले हायर सेकिन्डरी स्कूल के लिये अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया।

(ख) इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता।

(ग) करीब १० मिडिल स्कूलों को हायर सेकिन्डरी स्कूल बनाने का विचार है।

(घ) इसका उत्तर प्रश्न भाग 'क' के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या पायलेट स्कीम लेने का अर्थ यह समझा जाय कि अपग्रेडिंग जो होता है उसमें इन इन्स्टिट्यूशन्स को पहले प्राथमिकता मिलती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आवश्यक नहीं।

श्री मोहब्बतसिंह : तो फिर पायलेट स्कीम से क्या मतलब है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें जो जो कमियां है उनको सब तरह से पूरी करके ठीक रूप में स्कूल चलाने की कोशिश की जाय।

प्रश्न संख्या १३८

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपयाआगे देखिये)

राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों की नोकरी एवं पद वृद्धि

१४०. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना सु०) (श्री मानसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री गोवर्धनसिंह)

(१) राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों को किस प्रतिशत के हिसाब से नौकरी दी जाती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उनको उसी प्रतिशत के हिसाब से पदवृद्धि भी की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) राजस्थान में इन जातियों के लिये स्टेट सबोर्डिनेट और मिनिस्ट्रियल नोकरियों में १२॥ प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये १५ प्रतिशत कोटा रिज़र्व है।

(२) जी नहीं। चूंकि पद-वृद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण के लिये सरकार की ओर से कोई नियम नहीं हैं।

प्रश्न संख्या १४१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कोऑपरेटिव सोसायटी को कृषि योग्य भूमि का अलॉटमेन्ट

१४२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) Will the Revenue Minister be pleased to state :–

(1) Is it correct that the Land Allotment Committee of Tehsil Asind in Bhilwara District has alloted 300 bighas of agricultural land in village Amesar to a particular Co-operative Society ?

(2) Is it correct that the Society with the help of armed men has taken possession of 700 bighas of land and have started agricultural operation on it ?

(3) Is it also correct that 3 members of the Allotment Committee are also members of the society ?

(4) Is it also correct that the Government has sanctioned a loan of Rs, 30,000/-to the Society to purchase tractors etc ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत्तराम):

(1) Yes.

(2) No.,

(3) Only two members viz. Sarva Shri Shankar Deo Bharti & Ramchandra Vyas are also members of the Society.

(4) Rs. 10,000/-only have been sanctioned to the Society for purchasing tractors etc.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): जितने मेम्बर्स में कोऑपरेटिव सोसायटी बननी चाहिये उतने सदस्य इस सोसायटी के मेम्बर नहीं हैं ?

राजस्व मन्त्री(श्री दामोदरलाल व्यास): That is not a fact.

श्री पी० के० चौधरी : Has the Government received any complaint from the villagers that the Society has got more land than it was allotted to them.

श्री सम्पत्तराम : Yes. The complaint was received and it is going to be investigated by the Collector.

Page No.4

श्री पी० के० चौधरी: What action has been taken ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Collector has deputed a Tehsildar to find out and investigate into the matter.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the members not resident from the locality and the land was given in preference of......

श्री दामोदरलाल व्यास : The land was allotte d to the Society consisting of some persons. I can't say about the number of persons but it is certain that the Committee has exceeded its powers in allotting the land because it is only the Government who can allot land to the Co-operatives and therefore the Collector has taken action against it.

श्री पी. के. चौधरी : Can I understand that these allotments will be cancelled ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I can't say, it is being investigated.

श्री पी. के. चौधरी : The Government is the only competent authority...

श्री दामोदरलाल व्यास : It is very difficult for me to say as what order the Collector and Commissioner will pass ?

श्री पी. के. चौधरी : Will the decision be judicial or administrative ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Purely judicial and administrative if necessary.

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

जिला विकास समितियों के सदस्य

१४३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में समस्त जिला विकास समितियों में कौन कौन सदस्य हैं ? जिलावार उनकी एक एक प्रति सदन के सम्मुख रखने की कृपा करें।

(२) प्रत्येक ज़िला विकास समिति में विरोधी दलों के कितने सदस्य लिये गये हैं ? उनके नाम क्या क्या हैं ?

(३) विरोधी दलों के सदस्यों को इनमें लेने के बारे में क्या कोई निश्चित नीति है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) राजस्थान के समस्त ज़िला विकास समितियों के सदस्यों की ज़िलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिला विकास समितियों में दलों के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाती है। इनमें ज़िले के एम. पी., एम. एल. ए., तहसील कमेटियों के सरपंच, भारत सेवक समाज का प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्त्ता जिनमें एक स्त्री हो, कृषि पंच, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि लिये जाते हैं, चाहे वे किसी भी दल के हों।

(३) नहीं।

Page No.5

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या प्लानिंग कमीशन की ओर से इस प्रकार की सूचना है कि विकास के कार्यों में समस्त दलों का सहयोग लिया जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझ नहीं पाया। सहयोग तो सब का ही लेने की बात आती है उनकी तरफ से और हमारी तरफ से और जिलों में पंच, सरपंच आदि लिये जाते हैं। इनमें कई दलों के लोग स्वतः ही आते हैं, स्वाभाविक तौर से।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहने का मतलब यह है कि सबका सहयोग लेने के लिये विरोधी पक्ष के लोगों को आमन्त्रित किया जाय, आपस में बैठकर विकास के मुद्दों पर सबकी राय मालूम की जाय और यह सब करेंगे तभी तो सहयोग कहलावेगा, तो सम्यक तौर से आप आमन्त्रित करते हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जो सूची पढ़ी उसमें पंच, सरपंच, एम. एल. एज़. और एम. पीज़. आदि के नाम आप देखेंगे। सूची बहुत लम्बी चौड़ी है, उनमें विरोधी दलों के व्यक्ति आ ही जाते होंगे और वे सब आपस में बैठकर ही तय करते हैं। अगर किसी सूची में वे विरोधी सदस्य नहीं आते हैं, उस स्थिति में विशेष तौर से बुलाये जावें तो ऐसी नीति नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : इस तरह से जब तक नहीं बुलाये जावेंगे, तब तक कैसे विकास के कार्यों में सहयोग लेने में आप समर्थ होंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतनी लम्बी लिस्ट है, इसमें जिनसे सहयोग लेना है, उनमें से कोई न कोई तो चुनकर आता ही होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की स्थिति है नहीं, इसीलिये इस प्रकार के प्रश्न की आवश्यकता पड़ी है। जानकारी के लिये पूछा गया है तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार की इस प्रकार की नीति है कि अनिवार्य रूप से उन्हें बुलाया जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, ऐसा नहीं है। अनिवार्य रूप से अगर चुनकर कहीं न भी आवें, तब भी लिया ही जावेगा ऐसी नीति नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसे आप ठीक नहीं समझते कि विकास में सबका सहयोग लिया जावे और क्या प्लानिंग कमीशन की ऐसी राय नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर की स्कीम है बलवन्तराय महता की रिपोर्ट में, उसमें इस प्रकार का सुझाव कहीं नहीं है, न प्लानिंग कमीशन की ही इस प्रकार की कोई डाइरेक्टिव्ज हैं जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर कहीं चुनाव में न भी आवें तो भी उनको लिया जाना चाहिये।

जमना डेरी बेसिक स्कूल

१४४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि जमना डेरी

Page No.6

(डॉ० चन्द्रकला)

मिडिल स्कूल, जयपुर को बेसिक स्कूल बना दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह भी सच है कि यहां के वर्तमान शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है ? शिक्षकों के इतने लम्बे समय तक अभाव का क्या कारण है ? यह कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(३) उक्त बेसिक स्कूल में कौन कौन सा हस्तकौशल सिखाया जाता है और उससे, अब तक क्या उत्पादन हुआ ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जमना डेरी में सोडाला नाम से राजकीय प्राइमरी स्कूल चलता है, उसको १—७—५८ से बेसिक स्कूल में परिणित कर दिया गया है । सितम्बर १६५८ से इस स्कूल में बेसिक स्टाफ लगा दिया गया है ।

(२) नहीं, यहां पर इस समय ६ अध्यापक हैं और वे पर्याप्त हैं । अतः कमी पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

(३) उक्त स्कूल में तकली पर सूत की कताई एवं पेपर कटिंग का काम सिखाया जाता है । प्राइमरी स्कूल में उत्पादन कुछ नहीं होता है ।

डॉ० चन्द्रकला : इस मिडिल स्कूल में बेसिक अध्यापक लगाने के अलावा क्या विशेषता की गई है कि जिससे यह बेसिक स्कूल में परिवर्तित हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा न कि सूत की कताई एवं पेपर कटिंग का काम सिखाया जाता है ।

श्री पी. के. चौधरी : डेरी फार्मिंग का काम नहीं सिखाया जाता ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो पास में है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि प्रश्न पूछने के बाद अध्यापक को वहां भेजा गया था पर अब वह अध्यापक फिर नहीं रहता है वहां पर ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : पहुंच तो गया आपने सवाल पूछा तो, यही फायदा बहुत है । प्रश्न का इतना असर तो होना चाहिये ।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : पर वापिस आ गया न ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १४५

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४६

रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित)

पिंडवाड़ा तहसील में लगान एकत्रित करना

१४७. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(श्री मोहब्बतसिंह)

(a) Is the Government aware that from the cultivators of Sewera Tank bed in Pind wara Tehsil of Sirohi District the rent in kind is still being collected ?

(b) If so, why and what steps are being taken to collect the rent in cash instead of taking it in kind ?

राजस्व उपमंत्री : (श्री सम्पतराम)

1. No.

2. Question does not arise.

श्री मोहब्बतसिंह : शायद मन्त्री महोदय को पता होगा कि गत अधिवेशन में भी पूछा गया था तो यह जवाब दिया था कि काइन्ड में लिया जा रहा है और केश में लेने की कार्यवाही हो रही है।

श्री सम्पतराम : But now all the settlement operations and necessary action has been taken by the Government and the parchas have been distributed.

श्री मोहब्बतसिंह : पर्चे तो कभी से तकसीम हैं। पर सवाल यह है कि रेन्ट केश में लिया जाय काइन्ड के बजाय।

श्री सम्पतराम : But now cash rent has been fixed and the Collector has been ordered to do.

श्री मोहब्बतसिंह : कौनसी डेट से फिक्स्ड रेन्ट हो गई है ?

श्री सम्पतराम : From this crop.

हाई स्कूल चाकसू का छात्रावाह

१४८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे। (१) क्या हाई स्कूल चाकसू में कोई छात्रावास चल रहा है ? यदि हां, तो वह इमारत किसकी है व कितने किराये पर ले रखी है ?

(२) क्या मकान मालिक ने किराया वसूल करने के सम्बन्ध में कोई अदालती कार्यवाही की है ? यदि हां, तो अब तक किराया नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां, भंवरलाल कारीगर की है। ८) रुपये माहवार पर है।

(२) अदालती कार्यवाही की सूचना सरकार को नहीं है। किराया चुकाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कितने समय का किराया बकाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह करीब सन् ५४ से बाकी है।

पेन्शनयाफ्ता सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

१४६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार कर्मचारियों की मंहगाई में समय-समय पर वृद्धि करती रही है ?

(२) क्या अवकाश प्राप्त (पेन्शन–

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

याफ्ता) कर्मचारियों को भी मंहगाई वृद्धि की सुविधा दी गई है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी परिस्थितियों को अनुभव करते हुए मंहगाई भत्ता देने की अब व्यवस्था करेगी ?

वित्त-मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां।

(२) अवकाश प्राप्त (पेन्शनयाफ्ता) कर्मचारियों को जो दरें १६५१ में स्वीकृत की गई थीं, उन्हीं के अनुसार दिया जा रहा है।

(३) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो मंहगाई भत्ते की चीज़ तय हुई थी ५०-५१ में वह पेन्शन की रेट थी या क्या था, टेम्प्रेरी इन्क्रीज़ किया गया था ? यह डीयरनैस अलाउन्स क्या है, रेट्स क्या बढ़ी हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५०-५१ में अलग अलग पेन्शन की दरें थीं, कहीं तय नहीं थीं। एक सी नहीं थीं, उन सबका समानीकरण किया गया और उस समय जो रेट मुकर्रर कर दी गई थी, वही अब तक चली आ रही है मंहगाई भत्ता वगैरह सब का हिसाब लगाकर। अब फिर रिप्रजेन्टेशन उनका आया है। वह हमारे सामने विचाराधीन है और जल्दी ही कैबिनेट में प्रपोजल जावेंगे और तय होगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न को समझा नहीं गया। पहला प्रश्न यह था कि क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई में समय समय पर वृद्धि करती रही है और दूसरा यह कि क्या अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भी मंहगाई वृद्धि की सुविधा दी गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसी से मेरा मतलब है, मंहगाई वृद्धि से।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो क्या आगे भी देने का विचार है सरकार का ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा कि इसके प्रपोजल केबिनेट में गये हैं और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अध्यापकों का रेशनेलाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन

१५०.-श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रेशनेलाईज़ेशन ऑफ पे स्केल्स के अनुसार निरीक्षक, जयपुर पूर्व ने दिनांक १—३—५६ से अब तक कितने अध्यापकों के ऐरियर बिल बनाये हैं और कितने बनाने शेष हैं ?

(२) उपरोक्त वेतन शृंखला के अनुसार इस विभाग में कितने अध्यापक एरियर लेने के अधिकारी हैं ?

(३) क्या ढ़ाई साल व्यतीत हो जाने पर भी यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) नवीन वेतन शृंखला के अनुसार अध्यापकों को कब तक यह ग्रेड दे दी जावेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखा-

Page No.9

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ड़िया) : (१) १,३३८ के बिल बनाये जा चुके हैं, ५१८ बिल बनाने को बाकी हैं।

(२) १,८५६ ।

(३) जी हां। इस कार्य में पूरी जांच करने में काफी समय लगता है। प्रत्येक अध्यापक का पूरा रेकॉर्ड व वेतन बिल की जांच करके बिल बनाना पड़ता है, इस कारण पेमेंट में देर होती है।

(४) जल्दी से जल्दी यह ग्रेड दी जाने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

सोजत सब-डिवीजन में चाही जमीन का एसेस्मेन्ट

१५१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सोजत सब-डिविज़न में चाही (चार) के एसेस्मेंट में काश्तकारों की जमीन व खुदकाश्त की जमीन में फ़र्क है ?

(२) क्या यह सही है कि एडीशनल सेटलमेंट कमिश्नर, जोधपुर ने यह माना है कि चाही (चार) को भी फैलां लैंड का फायदा दिया जाय ?

(३) सरकार इस तरह एक ही सब-डिविज़न में एक ही किस्म की जमीन के एसेस्मेंट के फर्क को मिटाने के लिए क्या कर रही है ?

राजस्व उप मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी नहीं ।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा कि जब एडिशनल कमिश्नर साहब ने आदेश दे दिये कि चाही (चार) को फैलो लैंड रेट पर लगाया जाये तो फिर खुदकाश्त के पर्चे में लगा है और काश्तकार के पर्चे में नहीं लगा है, इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : ऐसा है कि फैलो लैंड और चाही दोनों को फायदा दिया जाता है, चाहे वह कैसी भी जमीन हो। यदि कहीं कोई मिस्टेक रह गई हो तो वह एप्लीकेशन देकर लिखवा सकता है।

श्री तेजाराम गहलोत : बात ऐसी है कि जो असेस्मेंट किया जाता है, वह सेटलमेंट डिपार्टमेंट से किया जाता है और काश्तकारों के पास किसी तरह का कोई रेकॉर्ड नहीं होता, तो क्या माननीय मंत्री महोदय सेटलमेंट डिपार्टमेंट को इस प्रकार के आदेश देंगे कि जिन काश्तकारों की जमीन फैलो लैंड थी और गलती से जो १२ आने का रेट लगाया है वह दो आने का लगाया जाये ?

श्री सम्पतराम : कानून की बात तो यह है कि सेटलमेंट डिपार्टमेंट ही सारे प्रिन्सिपल लेडाउन करता है और यदि कोई मिस्टेक रहती है तो यह ड्यूटी काश्तकार की है, वह उसे देखे और सही कराये। इसके बावजूद भी अगर ऐसी बात हुई है तो आवश्यक आदेश देने की बात कहते हैं तो वह दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : मतलब यह है कि जांच करा लेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १५२

श्री धर्मपाल पंवार

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये ।

हाई स्कूल, चाकसू की इमारत

१५३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या हाई स्कूल चाकसू में श्री राजरूप टाँक की कोई इमारत किराये पर है ?

(२) यदि हां, तो उसका किराया क्या है तथा शिक्षा विभाग ने उस इमारत को कब संभाला और तब से वह किस काम में आ रही है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त इमारत स्कूल के कार्य में नहीं आ रही है ? यदि हां, तो सरकार ने उसे अब तक क्यों नहीं छोड़ा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां ।

(२) ५ रुपया माहवार पर है । सन् १९४८ में संभाली थी । कोई विशेष काम नहीं आ रही थी ।

(३) जी हां । सरकार ने उसे छोड़ने का प्रयत्न किया था और मकान मालिक ने वह भूमि संभालने को नोटिस भी दिया था, परन्तु सरकार पर कोर्ट द्वारा किराये की डिग्री हो गई और किराया सरकार को देना पड़ा । अब उस जमीन को श्रमदान द्वारा सफाई करवाकर खेल का मैदान बनाने का आदेश दे दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला

मन्दिरों में उपलब्ध जगह का सार्वजनिक उपयोग

१५४. डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर में कितने और कौन कौन से मन्दिर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सच है कि इन मन्दिरों के पास पर्याप्त जगह है जो अभी तक किसी उपयोग में नहीं आती है ?

(३) क्या सरकार इन मन्दिरों की खाली जगहों को सार्वजनिक कार्यों के उपयोग के लिए दे सकती है ? यदि हां, तो क्या उसके कोई नियम आदि हैं ?

(४) क्या जयपुर की महिला कला कुंज नामक संस्थान ने अपने लिए ऐसे किसी स्थान की मांग की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

उप मंत्री देवस्थान विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) जयपुर शहर के जितने मन्दिर देवस्थान विभाग के अन्तर्गत हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) यदि देवस्थान के आधीन किसी मन्दिर में खाली जगह उपलब्ध है तो उसको

Page No.11

(श्री सम्पतराम)

सार्वजनिक कार्य के लिए दिये जाने का विचार किया जा सकता है।

(४) कोई लिखित मांग नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : यह दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, 'जी नहीं,' तो यह 'जी नहीं' किसी बात का उत्तर है? इन मन्दिरों के पास पर्याप्त जगह है इसका उत्तर है या फिर यह किसी उपयोग में नहीं आते हैं इसका उत्तर है यह 'जी नहीं' ?

श्री सम्पतराम : उत्तर उसी का है जो आपने पूछा है क्या यह सच है कि इन मन्दिरों के पास पर्याप्त जगह है जो अभी तक किसी उपयोग में नहीं आती है। मैंने कहा कि इतनी पर्याप्त जगह नहीं है जो उपयोग में नहीं आती है। जो पर्याप्त थी वह उपयोग में आ रही है।

डॉ० चन्द्रकला : आगे बताया है कि यदि देवस्थान के आधीन किसी मंदिर में खाली जगह उपलब्ध है तो उसको सार्वजनिक कार्य के लिए दिये जाने का विचार किया जा सकता है, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि किसी मन्दिर में ऐसी जगह है जो सार्वजनिक उपयोग में आ सकती है ?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न में यह भी है कि क्या उसके कोई नियम आदि हैं तो इसके सम्बन्ध में सरकार का क्या जवाब है ?

श्री सम्पतराम : जब कहीं पर जमीन ही फालतू नहीं है तो फिर नियम आदि बनाने में सरकार अपनी शक्ति क्यों बर्बाद करे।

डॉ० चन्द्रकला : तो प्रश्न ४ के उत्तर में जो आपने उत्तर दिया है कि कोई लिखित मांग नहीं की गई, तो फिर यदि कोई लिखित मांग नहीं की गई तो क्या किसी ने किसी भी तरह की मांग की थी।

श्री सम्पतराम : एक श्री नन्दलाल नामक व्यक्ति थे, जो एडीशनल कमिश्नर देवस्थान से मिले थे और उन्होंने कहा था कि मन्दिर जिसका नाम मुझे मालूम नहीं संस्था को दे दिया जाये। इसके उत्तर में उन्होंने उससे कहा कि यह तो नीति का प्रश्न है, इसलिए इसके लिए आप सीधे ही सरकार से बात करो।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच नहीं है कि वह महिला कला कुंज के आवेदन-पत्र लेकर गये थे और उन्होंने यह बताया था कि इन इन मन्दिरों में जगह खाली है और यदि सरकार उनके लिए कह दे तो वह जगह दी जा सकती है ?

श्री सम्पतराम : मैंने साफ जवाब दिया है कि हमारे पास में राइटिंग में कोई ऐसी बात नहीं आई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या देवस्थान विभाग की नीति इस प्रकार की है कि अगर इस प्रकार से वह चाहें तो वह जमीन दी जा सकती है ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलालव्यास): जहां तक नीति का प्रश्न है रूल्स बने हुए हैं

Page No.12

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि किन किन सूरतों में मन्दिरों की जमीन किस आदमी को सुपुर्द की जा सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : किसी सार्वजनिक उपयोग के देने के लिए सवाल है किसी संस्था को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो इन्डीविजुअल केसेज़ की मेरिट्स पर एग्ज़ामिन किया जाता है। कभी संस्थाओं को देने के लिए ऐसी जगह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो उत्तर में भी कह चुके हैं कि यदि ऐसी जगह हो तो सरकार विचार कर सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : तो फिर क्या सरकार इसको देखेगी कि कहीं जगह है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सरकार की जानकारी और धारणा ऐसी है कि मन्दिरों में ऐसी जगह नहीं है। फिर भी अगर है तो उसको आप बता दीजिए और उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित

तहसीलदार बस्सी द्वारा लावारिसी के केसेज का निर्णय

१५५. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) श्री सरूपसिंह, तहसीलदार बस्सी ने वहां अपने कार्यकाल में लावारिसी के कितने केस सुने हैं और कितनों का निर्णय दिया है ?

(२) उक्त तहसीलदार के कार्यालय में कितने ग्रामों के किन–किन व्यक्तियों को किन–किन तारीखों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कितना–कितना धन रिफन्ड किया गया ?

(३) क्या उनके खिलाफ़ रिश्वत की कोई शिकायतें आई हैं ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) २८ केस सुने और २४ का निर्णय दिया।

(२) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(३) जी हां। उक्त तहसीलदार के विरुद्ध रिश्वत की कुछ शिकायतें बाला बाला प्राप्त हुई हैं तथा कुछ उच्च अधिकारियों से वास्ते जांच व रिपोर्ट भी प्राप्त हुई हैं जिनमें उनकी जांच की जाकर रिश्वत की शिकायतों के विषय में भ्रष्टाचार नियोधक विभाग को प्रसंग किया गया है। इस मामले में अभी छानबीन जारी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : यह शिकायतें कब आईं और जांच कब चालू की थी ?

श्री सम्पतराम : इसकी एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच की थी। ६-५-५८ को यह एन्टी करप्शन के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुर सिंह।

चावल की पैदावार तथा उसका आयात एवं निर्यात

१५६. डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) :

(श्री बहादुरसिंह)

क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् ५५-५६ व ५६-५७ में राजस्थान के किस–किस जिले में कितना–कितना चावल पैदा हुआ ? सूची सदन में प्रस्तुत करें ।

(ख) राजस्थान के किस–किस जिले से कितना–कितना चावल राजस्थान के बाहर गया ?

(ग) क्या यह सच है कि धौलपुर से चावल बाहर गया ? यदि हां, तो कितना तथा क्या सरकार की जानकारी में है कि व्यापारी सरकार को बगैर सूचना दिये ही चावल बाहर ले गए ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे से सम्बन्धित नही है, उसका उत्तर सिविल सप्लाईज़ मिनिस्टर अपने टर्न पर दे देंगे ।

प्रश्न संख्या १५७

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बत सिंह

गवर्नमेन्ट कॉलेज, सिरोही की डिग्री क्लासेज़ में साइन्स एवं कॉमर्स कक्षाएं

१५८. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) Does the Government contemplate to Start Commerce and Science in Degree Classes in Government College, Sirohi from the coming Session ?

(b) Does the Government realise that to run the Degree College in only arts subjects is much expensive looking to the megre number of students ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (ए) अभी से निश्चित रूप से कहना मुश्किल है ।

(बी) आर्ट्स की कक्षाओं में छात्रों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ती है । कामर्स और साइन्स चालू करने में आर्ट्स की कक्षाओं को चलाने से कई गुना अधिक खर्च लगता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

जागीरदारों को कृषि व्यवसाय के लिए तकावी

१५६. श्री तेजाराम गहलोत(सोजत) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जागीरदारों को जागीर पुनर्ग्रहण के बाद कृषि व्यवसाय के लिए तकावी देने की राज्य सरकार ने सुविधा दे रखी है ?

(२) यदि हां, तो सोजत सब–डिविजन में अब तक यह सुविधा किन–किन को व कितनी–कितनी दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि छोटे–छोटे जागीरदार इस लाभ से वंचित हैं, क्योंकि

(श्री तेजाराम गहलोत)

इसकी स्वीकृति जागीर कमिश्नर करते हैं, जहा वे लोग पहुँच नहीं पाते ।

(४) क्या छोटे जागीरदारों को यह तकावी तहसील तकावी कमेटी की मार्फत देने की व्यवस्था करने की सरकार विचार रखती है ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) जी हां !

(२) अब तक किसी को नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

यह सम्भव नहीं हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत क्या आज तक किसी जागीरदार ने इस तरह की मांग नहीं की ।

श्री सम्पतराम : तकावी की मांग कई जागीरदारों ने की है, जिसमें चार, पांच आदमी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जिन लोगों को खुदकाश्त की जमीन अलॉट नहीं हुई है उनको लोन नहीं दिया गया है ।

श्री तेजाराम गहलोत : जिनके पास ऑलरेडी जमीन है, तो क्या सरकार उनको तकावी नहीं देती है ?

श्री सम्पतराम : हां देती है ।

श्री तेजाराम गहलोत : तो जिन जागीरदारों ने तकाबी के लिए मांग की है उनके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है ?

श्री सम्पतराम : वैसे विशेष सुविधा तकाबी आदि देने की तो हम खुदकाश्त की जमीन अलॉट होने के बाद ही देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

भूतपूर्व सीकर ठिकाने में विधवाओं एवं गरीब स्त्रियों की पेंशनें

१६०. श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) भूतपूर्व सीकर ठिकाने में कितनी विधवाओं एवं गरीब स्त्रियों को पेन्शन मिलती थी ?

(ख) क्या इस पेन्शन में मंहगाई भत्ता भी शामिल था ?

(ग) ठिकाने के राजस्थान राज्य में विलीनीकरण होने के पश्चात् यह पेन्शनें किस रूप में चालू है ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : भूतपूर्व ठिकाना सीकर में बेवाओं एवं गरीब स्त्रियों को फेमेली व कम्पासेंट पेन्शन दी जाती थी, जिनकी संख्या ५० एवं जिनको धर्मार्थ के तौर दी जाती थी उनकी संख्या ४८ है ।

(ख) जिनको फेमेली पेन्शन दी जाती थी उनको मंहगाई भत्ता पेन्शन में शामिल न होकर अलग मिलता था एवं धर्मार्थ के तौर जिनको परवरिश मिलती थी उनको मंहगाई नहीं दी जाती थी ।

(३) यथावत् चालू है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं मिलती है उनको ।

श्री सम्पतराम : यदि स्पेसिफिक केसेज जानकारी में लाय जाय तो जानकारी की जायगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या विभाग के पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि उनको मंहगाई भत्ता नहीं मिला है ?

श्री सम्पतराम : मेरे जवाब से साफ है कि ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं फिर भी कोई स्पेसिफिक केस नोटिस में लाया जायगा तो जांच की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : जो पेन्शन दी जाती है वह माहवारी कितनी दी जाती हैं।

श्री सम्पतराम : अलग अलग तरीके से दी जाती है। एक लंबी चौडी लिस्ट है जिसमें सब दर्ज है। यदि आप चाहें तो आपको भी लिस्ट दी जा सकती है।

प्रश्न संख्या १६१

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मानकचन्द कोठारी (अनुपस्थित)

सीकर ठिकाने के कर्मचारियों का वेतन

१३३. श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १६.६. ५४ को भूतपूर्व सीकर ठिकाने के कितने कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी व्यक्तियों को नौकरियों में ले लिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्तियों में से कितनों को सरप्लस घोषित किये गये समय का वेतन नहीं दिया गया है ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) (क) ५८७ कर्मचारियों को।

(ख) ४७७ को ले लिया गया है। १०० रिटायर हो गये तथा १० ने राज्य सेवा में आने से इन्कार कर दिया।

(ग) केवल ३३ व्यक्तियों को नोटिस पे देना बाकी है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि जिनको नोटिस पे देना बाकी है उनके बिल्स अभी तक नहीं बने हैं। वे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपॉइन्ट हो गये थे, इस लिये न तो वहां पर कलैक्टर्स बिल बनाते हैं न यहां बनते हैं ?

श्री सम्पतराम : आपका कहना किसी हद तक सही है। अभी २४.१.५६ को जितनी फोरमेलिटीज बाकी थीं उनको पूरा किया गया है। ए. जी. के ओब्जेक्शन्स को दूर करके कॉउन्टर सिगनेचर के लिये ए.जी. के पास भेजा है। वहां से आने के बाद पेमेन्ट की व्यवस्था की जायगी।

अध्यापकों को परीक्षाओं में बैठने के लिए स्वीकृति का आधार

१३४. श्री गिरधारीलाल (नोखा) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों को परीक्षाओं में बैठने के लिए किस आधार पर स्वीकृति दी जाती है ?

Page No.16

(श्री गिरधारीलाल)

(२) इस वर्ष बीकानेर जिले में कितने अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी गई है ? कृपया इसकी एक सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है।

(२) ११० को। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या सभी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति लेनी पड़ती है या कुछ ऐसी हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी बैठ सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जहां तक जानकारी है, सभी परीक्षाओं में बैठने के लिये अनुमति लेनी पड़ती है।

रतनगढ़ सब-डिवीजन के काश्तकारों की गश्त गिरदावरी के पर्चों के वितरण में देर

१३५. **श्री किसनाराम** (रतनगढ़) (श्री गिरधारीलाल द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रतनगढ़ सब डिविजन के काश्तकारों की सालाना गश्त गिरदावरी हो जाने पर भी पर्चा गिरदावरी पटवारी गण काश्तकारों को समय पर नहीं बांटते हैं ?

(ख) क्या सालाना गश्त गिरदावरी हो जाने के बाद स्थानीय तहसीलदार व सब-डिवीजनल ऑफीसर सब गांवों की गिरदावरी की पड़ताल करते हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि पिछले ३ वर्षों में बहुत से काश्तकारों को सालाना पर्चा गिरदावरी नहीं मिले हैं ? यदि हां तो कब तक उन्हें पर्चे मिल जावेंगे ?

(घ) क्या सरकार इस साल की गिरदावरी में जिन २ गांवों ।।) आना से कम निपज की रिपोर्ट है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ड) क्या यह सही है कि सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ़ बहुत सी शिकायतें हैं फिर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (क) जी नहीं।

(ख) कहीं २ षडताल की जाती है। सब गांवों की गिरदावरी नहीं करते हैं ! सराबा होने पर ५० फी सदी गिरदावरी की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ड) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री गिरधारीलाल : प्रश्न के (क) भाग का जवाब आपने दिया है 'जी नहीं' यह किस आधार पर दिया। किस अधिकारी से जांच करवा रहे हैं।

श्री सम्पतराम : महकमे से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर कह रहा हूँ।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सच है कि तहसील रतनगढ़ के काश्तकारों ने दरख्वास्त दी है कि गिरदावरी उचित ढंग से नहीं हुई है और पर्चा पटवारी लोग नहीं दे रहे हैं।

श्री सम्पतराम : इस प्रकार की बात पहली दफ़ा सुन रहे हैं। हमारे नोटिस में ऐसी बात नहीं आई है। उनको हिदायत है कि गिरदावरी होने के बाद पर्चे दे दिये जांय।

श्री गिरधारीलाल : रतनगढ़ में पटवारी लोग पर्चा नहीं दे रहे हैं आप जांच करवा सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : आप जो सूचना दे रहे हैं उसके आधार पर जांच करवाली जायगी पर्चा देते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

खादी की हुँडियों की बकाया रकम

१३६. श्री **मुरलीधर व्यास** : (बिकानेर सिटी): क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

खादी की हुँडी के रुपये किन किन लोगों पर बकाया हैं और उनसे वसुल करने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

वित मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): खादी की हुँडी की रकम अब तक इन इन में बकाया है :

१.	श्री रामरतनजी कोचर	२२०० रु०
२.	श्री ओमदत्तजी शास्त्री	२५ रु०
३.	श्री कमिश्नर जोधपुर	४०० रु०
४.	श्री आयुक्त उदयपुर	१०० रु०
	योग	२७२५)रु०

रकम प्राप्त करने के लिए आवश्यक पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह रकम कब से बाकी है और क्यों ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्रीरामरतनजी कोचर में १०.४.५५ से बाकी हैं। ५७०० रु. थे अब बाकी वसूली होती जा रही है। श्री ओमदत्तजी में ५४.५५ से खादी की हुँडी के बाकी हैं। ऐसा होता है कि हुँडी ले लेते हैं और दूसरों को दे देते हैं और दूसरों से समय पर आते नहीं हैं। ओमदत्तजी ने भी दूसरों को हुंडी दी है। इसी तरह से कमिश्नर जोधपुर को भी दूसरों से लेने हैं उनसे भी ५४–५५ से बाकी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : गत बजट सेशन में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था और उस समय भी कहा गया था कि रकम वसुल हो रही है। श्री रामरतनजी से गत वर्ष के बाद कितनी रकम वसुल हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : २७–३–५८ को २००० रु० जमा हुए हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : श्री कोचर से रकम जितनी थी उसमें से कुछ वसूल हुई है या बिलकुल नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुल ५७००

(श्री हरिभाऊ)

रु० थे उनमें से २००० रु० तो २७–३–५६ को ही जमा हुए हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वे देना स्वीकार करते हैं क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां। उन्होंने दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : उनको दिये हुए सालभर हो गया। अब तो सन् ५६ चल रहा है। साल भर में उन्होंने कुछ दिया है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर देते तो मैं बता देता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ये हुँडियें व्यक्ति उपयोग के इरादे से तो नहीं ली गई हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं यह मानता हूं कि इनका व्यक्तिगत उपयोग नहीं होना चाहिये और न हुआ है।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर): किसी को ये हुँडियां बेची जाती हैं तो पी० डी० आर० के मार्फ़त इनकी वसूली क्यों नहीं की जाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिनको बेची जातीं हैं वे दूसरों को देते हैं। उनके पास से समय पर पैसा नहीं आता है।

नाथद्वारा खजाने से माल की चोरी

१४१ श्री मुरलीधर व्यास (बिकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

नाथद्वारा खजाने से जो माल गायब हुआ था इसके बारे में सरकार ने जो निर्णय किया था उसका अब तक क्या हुआ ? उसकी जांच हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री किशनलाल (नाथद्वारा) : On a point of order Sir, अध्यक्ष महोदय, इस मामले की अदालत से जांच हो रही है और इसका हैडिंग नाथद्वारा खजाने से माल की चोरी है ...

श्री मुरलीधर व्यास : इस पर क्या आपत्ति हो सकती है....

श्री अध्यक्ष : आप उनको कहने दीजिये।

श्री किशनलाल : मेरे कहने का मतलब यह है कि 'जिस मामले की अदालत में जांच हो रही है उसका हैडिंग दिया है—नाथद्वारा खजाने से माल की चोरी—इससे जो मामला सब–जुडिस है उस पर असर पड़ेगा, इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जांच किस की हो रही है ?

श्री किशनलाल : लेकिन यह चोरी नहीं कही जा सकती।

श्री अध्यक्ष : गबन कह दें।

श्री मानसिंह (बायाना) : माननीय लीडर से पूछ लिया जाय कि ये मिनिस्टर फोर नाथद्वारा अफेयर्स कब से अपॉइन्ट हुए ?

मुख्य मंत्री : (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : नाथद्वारा अफेयर्स के तो कई मिनिस्टर–इन–चार्ज हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दीजिये।

उपमंत्री राजस्व विभाग : (श्री संपतराम): सरकार के निर्णय के अनुसार चीफ़ जस्टिस श्री वांचू का सिंगल मेम्बर जांच कमीशन बनाया गया और जांच की कार्यवाही शुरू की गई, परन्तु महन्त के द्वारा हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन पेश की गई। हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन पर यह निर्णय दे दिया है कि माननीय चीफ़ जस्टिस श्री वांचू अब चूंकि चीफ़ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट में नहीं रहे, इसलिए जो जांच कमीशन मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला था वो इन्फ़क्युयस हो गया। सरकार चाहे तो दूसरा नोटिफिकेशन निकाल सकती है। नये चीफ़ जस्टिस की नियुक्ति हो चुकी है, उनके कार्य-भार संभालने पर नया नोटिफिकेशन निकाला जायगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह बात सही है कि सरकार का पहला नोटि-फिकेशव डिफेक्टिव था इसलिये जो नया नोटिफिकेशन इयू करेंगे उसमें से डिफेक्ट्स को दूर करके इयू करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): डिफेक्टिव था या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट के जजेस में से एक की राय एक तरह की है और दूसरों की दूसरी तरह की और तीसरे राय नहीं दे सके। लॉ डिपार्टमेन्ट से वेट कराके नोटिफिकेशन निकाला गया था।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि सरकार ने यह फैसला किया हैं कि जो इन्क्वायरी होगी वह पब्लिक इन्क्वायरी होगी, जैसी एल० आई० सी० में हुई थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये कानून है, जिसकी तहत कमीशन मुकर्रर किया गया है, उसी कानून को फोलो किया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : यह इन्क्वायरी सेन्ट्रल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट को क्यों नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is already before a judicial tribunal and therefore there is no question of Central/Police Establishment.

सेन्ट्रल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट द्वारा भी जांच करली गई हैं।

तहसीलों एवं निज़ामतों के पुनर्गठन की योयना

१४५. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसीलों तथा निज़ामतों के पुनर्गठन की कोई योजना सरकार के विचारा-धीन है ?

(२) यदि हां तो क्या जयपुर डिस्ट्रिक्ट की किन्हीं तहसीलों को पूर्ण रूपेण समाप्त करने की भी कोई योजना है ?

उप मंत्री राजस्व विभाग(श्री सम्पतराम)

(१) जी हां।

(२) जिलों के पुनर्गठत के लिये निपुक्त समिति की सिफारिशें अभी गोपनीय है, क्योंकि उनका अभी बतलाना लोक हित के अनूकुल न होगा।

Page No.20

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार।

भाखरा जोन में जागीरदारों के लिए रिजर्व भूमि

१५२. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) भाखरा जोन में ऐसे कौन से गांव हैं जहां के किसानों को उनकी वर्षों पुरानी कब्जा काश्त भूमि से बेदखल करके उनकी भूमि को जागीरदारों के लिये रिजर्व किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि भाखरा तहसील के गांव सरदारपुरा बास चक चिड़िया गांधी व गांव नीटराना, व तहसील नोहर के गांव ढ़ाणी अरायन के किसानों को बेदखल करके उनके रकबे को भूमिहीन जागीरदारों के लिये रिजर्व किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) ऐसा कोई ग्राम भाखरा जोन में नहीं है जिसमें किसानों को उनकी वर्षों पुरानी ज़मीन कब्जा काश्त में से बेदखल करके वो भूमि जागीरदारों को दी गई हो। केवल एक गांव ढ़ाणी अराइयान तहसील नोहर में है जिसमें से ३३२ बीघा खातेदारो का रकबा वा ५०४ बीघा आराजी का काश्तकारों का कुल ८३६ बीघा रिजर्व किया गया था, लेकिन अभी तक ढ़ाणी अराइयान के काश्तकारों को उनकी जमीनों से बेदखल नहीं किया गया है।

(२) चिड़िया गांधी में ६५७॥। १ बीघा जमीन वा ग्राम नीटराना में २६० बीघा जमीन जागीरदारों के लिए रिजर्व की गई थी, मगर वह कुल जमीन किसी काश्तकार के कब्जे में नहीं थी, सरकार के कब्जे में थी। इसलिए बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री धर्मपाल पंवार : यदि सरकार को लिख दिया जाय और प्रमाणित कर दिया जाय कि किसानों को बेदखल किया गया है तो क्या सरकार प्रगतिशील कदम उठायेगी ?

श्री सम्पतराम : जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सरकारी कब्जे में होने पर भी क्या कोई काश्तकार काश्त करता था ?

श्री सम्पतराम : जब तक अलॉटमेंट सरकार न करे और कोई काश्त करता है तो वह टे्सपासर होगा और बेदखल करने के काबिल होगा।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा है, केवल एक गांव में ३३२ बीघा खातेदारों का रकबा है, मतलब खातेदारों से जमीन ली है ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं, वह एक्वायर की गई है, लेकिन पजेशन नहीं किया गया है। वह अन्डर कन्सीड्रेशन है।

श्री धर्मपाल पवांर (अश्रव्य) : गांधी की सरकार ने जांच करवा ली है ?

श्री सम्पतराम : जवाब जांच करने के बाद दिया गया है।

श्री धर्मपाल पवांर : बेदखल किसान पाये जायं तो।

श्री सम्पतराम : इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह
(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार

राजस्थान केनाल एरिया में टैक्स मालिकाना

१६१.श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या सरकार ने राजस्थान केनाल एरिया में टैक्स मालिकाना कायम कर दिया है ? यदि हां, तो कब से और उसकी शरह फी बीघा क्या है ?

(२) इस नहर का पानी गंगानगर ज़िले में कब तक मिलना शुरू हो जावेगा ? यदि इसमें देरी है, तो फिर अभी से टैक्स क्यों ?

उप मंत्री विभाग राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) (क) जी हां । अस्थाई भूमि आवंटन प्रनियम १९५५ के संशोधित प्रनियम संख्या ६. जो सिंचाई विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६ (१६) का (ख) सिंचाई दिनांक २. ६. ५८ प्रभावशील हुआ है, के अनुसार अस्थाई कृषि के लिए भूमि आवंटन पर यदि सिंचित भूमि हो तो ४) रु० प्रति बीघा व असिंचित हो तो १) रु० प्रति बीघा लगान कायम किया गया है।

(२) राजस्थान नहर का पानी गंगानगर ज़िले में १९६२ में मिलने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में देरी का प्रश्न नहीं उठता। दूसरे शुल्क नहरी शरह से न लिया जाकर, बारानी शरह से जब तक कि भूमि सिंचित न हो जाय, लिया जावेगा।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या जब तक नहरी पानी न दिया जाय, मालिकाना टैक्स उचित है ?

श्री सम्पतराम : लास्ट में जवाब दे दिया है, आपने सुना नहीं होगा।

श्री धर्मपाल पंवार : कुछ गांवों से वसूल किया गया है और वसूल किये जाने की ताकीद की जा रही है।

श्री सम्पतराम : आप यह सूचना दे रहे हैं, इसकी जांच की जायगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। श्री-नाथूराम मिर्धा।

११. ४४ म० प०

सदन की मेज़ पर रखीगई मोटर विहिकल्स रुल्स, १९५१ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

श्री नाथूराम मिर्धा (याता यात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह। बी. विभाग विज्ञप्ति संख्या डी ८० ८४६ एफ १।७।२ एच. बी. ५८ दिनांक २.२. १९५९, जिसके द्वारा मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ के नियम ५२ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान लैण्ड एक्वीज़िशन (संशोधन) विधेयक, १९५९

(पुरः स्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड एक्वी-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिशन (अमेंडमट) बिल, १६५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं तथा कारणों के विवरण को सदन की मेज़ पर रखता हूँ।

११. ४५ म० पू०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वादविवाद

श्री अध्यक्ष : डिस्कश आन गवर्नस एड्रेस, श्री रामचन्द्र बोल रहे थे। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूँ कि २ बज कर ३० मिनट तक यह बहस चलेगी और....

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बजे तक।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जायगा। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूँ कि वे संक्षेप में बोले ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोल सकें।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैंने अपने विचार प्रगट किये थे कि राज्यपाल......

श्री अर्जुनदास : (अजमेर सिटी पश्चिम) भाषण का समर्थन करते हुए? आपने क्या कहा?

श्री रामचन्द्र : अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया था उसका समर्थन करते हुए।

(हंसी)

उसका कारण यह है कि आप ज्यादा देर से आये हैं......

श्री श्रीभानसिंह : (बयाना) आप भाषण के, प्रस्ताव का समर्थन मत करो।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि पिछली बार मैंने अपना यह विचार प्रगट किया था कि सरकार ने डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के विषय में जो नीति अपनाई है, वह वास्तव में राज्य को एक नवयुग की ओर ले जाने वाली है और ग्रामराज्य तथा जनतंत्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में हमें बढ़ायेगी, लेकिन साथ ही साथ इस नीति को घोषित करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण में तीन शर्तें रखी गई हैं और वे शर्त ये हैं:—सहयोग, सद्भावना और ईमानदारी, यानी राजस्थान के विकास के लिए जो एक रामबाण औषध का एलान किया गया है, उसके साथ ही साथ तीन परहेज़ भी बतलाये गये हैं। वे परहेज़ बहुत कठिन है। वे परहेज़ हैं:—सहयोग, सद्भावना और ईमानदारी। अध्यक्ष महोदय, हमें आज यह विचार करना है कि इन तीन परहेज़ में से पहला परहेज़ है; सह-

(श्री रामचन्द्र)

योग । इस वक्त ग्रामीण जनता के प्रति सरकार जिस विकास की भावना को लेकर कार्य कर रही है, वह कितनी है । सद्भावना के लिए मैं निवेदन करूं कि आप वहां के पटवारी और ग्राम पंचायतों के मुखियाओं की तरफ देखिये कि ये लोग ग्रामीण लोगों के साथ कितनी सद्भावना रख रहे हैं । ईमानदारी के लिए यदि पूछा जाय तो इसके विषय में तो समय-समय पर इस सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित हम करते रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार का अधिक बोलबाला है । इसलिए जिस तरह आपने शासन का विकेन्द्रीकरण किया है, इसी तरह से भ्रष्टाचार को कन्ट्रोल में लाने के लिए आपने जो एक डिपार्टमेंट खोला है, उसका भी विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक है । मैं यह चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने के जितने उपाय सरकार करे, वे गांवों से शुरू होने चाहिए, न कि ऊपरी स्तर से । ऊपर के स्तर पर एक डिपाट्मेंट खोल दिया है, उसकी यह ड्यूटी है कि उसके नीचे जितने विभाग हैं, उन सब में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी रोक थाम करे । लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह शासन में विकेन्द्रीकरण किया गया है, उसी तरह इस विभाग का भी विकेन्द्रीकरण किया जाय और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए गांव-गांव में, तहसीलवाइज़ और ज़िलेवाइज़ परिषदें बनाई जायं जो इस भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायक हों ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की दूसरी नीति है, वह है कोओॉपरेटिव फार्मिंग की । इस नीति का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की यह नीति इस राज्य के लिए बड़ी लाभदायक होगी । वैसे तो यह आर्थिक विकास में सहायक होगी ही, लेकिन साथ ही साथ यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने और सामजिक समस्याओं को हल करने में भी हमको बहुत ज्यादा मदद देगी । जब तक सब किसान एक जगह इकट्ठे होकर और मिल जुल कर खेती करने के काम को आरम्भ करेंगे तो एक प्रकार की एक बड़ी एकता हो जायगी और उनमें एकता का भाव उत्पन्न होगा । इसी प्रकार कई सहकारी समितियां मिल कर एक राष्ट्रीय एकता की द्योतक होंगी । इसलिए सरकार की जो नीति है, इसका मैं पूर्ण रूप, से समर्थन करता हूं लेकिन मैं सरकार को यह सूचित भी कर देना चाहता हूँ कि इस नीति को अपनाने से कुछ कठिनाइयाँ भी होंगी । इस नीति को अपनाने से हरिजन समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है । अध्यक्ष महोदय, इस वक्त भूमिहीन किसान हरिजन समाज ही है, जिसके पास जमीन नहीं है और वे लोग हजारों वर्षों से दूसरे लोगों की मजदूरियां करते आये हैं और इस वक्त अभी मई ५७ में सरकार की ओर से एक आदेश निकला था कि प्रत्येक भूमिहीन किसान को १५ बीघा जमीन दे दी जावे । उसके अनुसार कुछ लोगों को भूमि मिली लेकिन सरकार को इस नीति को अपनाने से भूमि वितरण का काम कतई रोक दिया गया हैं और यह कहा गया है कि तुम लोग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ और जब को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओगे तब यह जमीन दी जा सकती है । अध्यक्ष महोदय, हमें भूमिहीन काश्तकारों की समस्या की ओर विचार करना चाहिये । राजस्थान के कुछ भागों में पड़त भूमि इतनी है कि जिससे एक हज़ार बीघा लम्बा चौड़ा ट्रेक्ट बन

(श्री रामचन्द्र)

सकता है और दूसरी तरफ कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर पड़त भूमि बहुत कम है और है भी तो १०–१० या १५–१५ बीघा के रूप में पड़ी हुई है। अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब सरकार को-ऑपरेटिव फार्मिंग के ज़रिये आरम्भ करना चाहती है तो इन भूमिहीन किसानों को को-ऑपरेटिव रूप में बसाने के लिये लम्बे–लम्बे भूमि के टुकड़े कहां से लाकर देगी, जहां भूमि पड़त बहुत कम है और छोटे–छोटे टुकड़ों के रूप में पड़ी हुई है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके जो अलॉटमेन्ट के नियम हैं, उसको बन्द नहीं कराया जावे और जिनके पास भूमि काश्त के लिये नहीं है, उनको भूमि दे दी जावे। यह जरूर है कि जिस समय को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेगी, ये काश्तकार भी सोसाइटी के सदस्य हो जावेंगे और जिस प्रकार उससे दूसरे लोग फायदा उठावेंगे वे भी अपना फायदा उसी प्रकार उठा लेंगे। उनको भी प्रपोर्शनेटली फायदा मिल जावेगा। यदि आपने यह कदम नहीं उटाया तो ये लोग सदा के लिये मजदूर के मजदूर ही बने रह जावेंगे और जैसा कि आपने को-ऑपरेटिव फार्मिंग में प्रोविज़न रखा है कि उनका हिस्सा मजदूरी के और भूमि के नाप के अनुसार होगा। ये लोग भूमिपति नही होंगे और इसलिये मजदूर जरूर रहेंगे और जो पैदावार मिलेगी वह उनको मजदूरी के अनुसार ही मिलेगी।

इसलिये मेरा यही निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे और भूमिहीन हरिजन परिवारों की ओर विशेष तौर से ध्यान देकर जो कुछ सरकार को उनको देना चाहिये, वह दे।

तीसरी बात जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरिजन समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए बताई है, उसमें उन्होंने ३॥ लाइनों में हरिजनों के सारे मामले को हल कर दिया है। यह बताया गया है कि राज्य सरकार पिछले वर्षों में हरिजनों के कल्याण के लिये ध्यान देती रही है और इसके सबूत में यह कहा गया है कि हरिजनों और आदिवासियों के एक हज़ार व्यक्तियों को नौकरियें दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी ८ या ९ महीने हुए हम हरिजन विधान सभाइयों ने एक मेमोरेन्डम राज्य सरकार को अर्पण किया था और उसमें हरिजन समस्या और जो कल्याण कार्य हो रहे हैं और उससे हमको कितना फायदा हो रहा है, उसकी रूपरेखा दिखाई गई है। यदि वह मेमोरेन्डम राज्यपाल महोदय के देखने में आ जाता तो मुझे विश्वास है कि राज्यपाल यह बातें कभी नहीं लिखते कि पिछले वर्ष में हरिजन समस्या की ओर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस मेमोरेन्डम में स्पष्ट रूप में सरकार को यह बताया गया है कि हरिजन कल्याण के लिये आप जो कदम उटा रहे हैं, वास्तव में उनसे हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा है और यह रुपया जो आपका हरिजन समाज कल्याण विभाग पर खर्च हो रहा है बिल्कुल असफल जा रहा है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे मेमोरेन्डम पर विशेष रूप से ध्यान दें और यह मालूम करें कि जब से राजस्थान बना है तब से हरिजन समस्या के लिये राज्य सरकार ने कितना लाख और करोड़ रुपया खर्च किया है और उससे अब तक हरिजनों का कितना आर्थिक कल्याण किया गया है। तब पता लग जावेगा कि वास्तव में हरिजन कल्याण

(श्री रामचन्द्र)

की ओर सरकार का कितना ध्यान रहा है। मैं तो यह चाहूंगा कि सरकार इसकी वास्तविक जांच करे तो सरकार को अनुभव होगा और मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार अविलम्ब एक कमेटी हरिजनों की तथा राज्य कर्मचारियों की मिलाकर बनाये जो राजस्थान के भिन्न-भिन्न स्थानों में घूम कर इस बात का पता चलाए कि हरिजनों के लिये क्या समाज कल्याण कार्य किया गया है और उसकी क्या स्थिति है? सरकार ने इसके लिये कितने साधन बढ़ाये हैं और उनसे कितना पर्सेन्ट रिलीफ हरिजनों को मिला है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अभी जब कि भारत स्वतन्त्र हुआ, संविधान के सामने यह शपथ ग्रहण की थी कि १० वर्ष में हम हरिजनों को विशेष रियायत देकर दूसरे वर्गों के समान ले आवेंगे। इन दस वर्षों में से ७ वर्ष तो निकल चुके हैं और तीन वर्ष का समय अभी तक बाकी है। इसलिये इस समय तक कितना कल्याण हुआ है, यदि उसका पता लगा पावेंगे तो तीन वर्षों में इस स्तर पर पहुंच सकेंगे। पहले यह मालूम करना बहुत जरूरी है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि हमने पिछले मेमोरेन्डम में अपने विचार प्रकट किये हैं और अपनी बातों को प्रकट किया है। उसकी तरफ ध्यान दें। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि इसकी एक कमेटी बना कर इसकी जांच कराई जावे तो सबका पता चलेगा कि कितना कल्याणकारी कार्य किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के दूसरे पैरा में राजस्थान की लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। इस विषय पर सदन के बहुत से महानुभावों ने बहुत क्रिटिसिज़्म किया कि इस वक्त लॉ एण्ड ऑर्डर राजस्थान में नहीं है और राज्यपाल महोदय ने जितनी बातें बताई हैं वास्तव में उतनी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड ऑर्डर में जितने सवाल हैं उनको हमें अभी की परिस्थिति से नहीं तोलना चाहिये। आज से १० वर्ष पहले जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ, जब २४ रियासतों का एकीकरण हुआ, २४ रियासतें मिल कर एक बड़ा राजस्थान बनाया गया, उस वक्त पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के अलग होने से पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा पर कितने उपद्रव हो रहे थे और लोगों पर क्या-क्या जुल्म और आतंक हो रहे थे, उसके साथ-साथ पिछले समय में कुछ राजस्थान के तत्वों ने जो ऊधम मचाया और जगह-जगह मारकाट और लूट खसोट की; उसको देखते हुए लोगों के मस्तिष्क में जो आतंक उपस्थित हो गया था और जनता की उनके लूट खसोट से शान्ति भंग हो गई थी वह परिस्थिति तो शनैः शनैः सुधरती गई है और उससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आम जनता के मस्तिष्क में भय और आतंक था, उतना नहीं है। अलबत्ता चोरियें होती रहती हैं। उनकी संख्या अवश्य कम हुई है। डाकू बहुत से मारे गये और अभी बहुत से बाकी हैं। इसलिये लॉ एण्ड ऑर्डर को चोरियों और डाकों की निगाह से नहीं, बल्कि यह देखना चाहिये कि जनता को कितना भय और आतंक था, उतना है या नहीं, इस दृष्टि से देखना है। इसलिये हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इस वक्त बहुत हद तक लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत सुधरी है और लोगों के दिलों में उतना आतंक नहीं है।

(श्री रामचन्द्र)

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विषय में हमारे राज्यपाल महोदय ने जो बातें बताई और हमारे यहां प्राइमरी एज्युकेशन के लिये बताया उसके लिये यह राज्य सरकार बधाई के योग्य है। राज्य सरकार ने प्राइमरी एज्युकेशन में तरक्की की है। और तरक्की करने के साधन जुटा रही है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात पर अफ़सोस करना पड़ता है कि राज्य सरकार जितनी कोशिश लड़कों की तालीम के लिए कर रही है उसके मुकाबले में बहुत कम ध्यान लड़कियों की तालीम पर है। जब तक हमारे देश के बालक और बालिकायें समान रूप से शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारे देश और हमारे प्रान्त का हित नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लड़कियों की तालीम के लिए भी राज्य सरकार विशेष ध्यान दे। खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार ने जो लड़कियों की शिक्षा की देखभाल के लिए प्रबन्ध किया है, वह नाकाफी है। जिस तरह से लड़कों की तालीम के सम्बन्ध में डिप्टी इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर्स नियुक्त किये जाते हैं उस प्रकार से लड़कियों के लिए भी अलग इन्स्पेक्टर्स, डिप्टी इन्स्पेक्टर्स मुकर्रर होने चाहिये जिससे वे उनकी देख भाल कर सकें।

इसी सिलसिले में राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण देते हुए टैक्निकल एज्युकेशन के लिए फ़र्माया कि राजस्थान टैक्निकल एज्युकेशन में बड़ा प्रयास कर रहा है। वास्तव में टैक्निकल एज्युकेशन की तरफ राजस्थान सरकार का विशेष ध्यान है और जितना सरकार इस ओर कर रही हैं वह प्रशंसनीय है, लेकिन इसके साथ–साथ यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि टैक्निकल एज्युकेशन राजस्थान में समान भाग से नहीं हो रही है। जितने टैक्निकल स्कूल्स और कॉलेजेज़ हैं वे आम तौर पर कुछ जिलों तक ही सीमित हैं, बहुत से डिविजन तक सीमित हैं। कोटा एक ऐसा डिविजन है जहां पर टैक्निकल एज्युकेशन के नाम से एक इन्स्टिट्यूशन नहीं खोला गया। बीकानेर में वेटेरिनरी कॉलेज है, हाई स्कूल्स, आर्ट्स सॉइन्स कॉलेजेज़ हैं और मेडिकल कॉलेज खुलने वहां जा रहा है। जोधपुर में इन्जीनियरिंग कॉलेज पोलोटेक्निक एडमिनिस्ट्रेटिव शिक्षण के लिए अलग कॉलेज, और आर्ट्स और साइन्स के लिए अलग कॉलेज हैं। इसी प्रकार जयपुर भी टैक्निकल इन्स्टिट्यूशन्स के लिहाज से पीछे नहीं है। उदयपुर भी पूरा हिस्सा ले चुका है। लेकिन कोटा में डिग्री और पोस्ट डिग्री कॉलेजेज़ ही हैं, न तो वहां पोलोटैक्निक है और न ही एग्रीकल्चर और न ही मेडिकल कॉलेज। कुछ नहीं। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कोटा को टैक्निकल एज्युकेशन देने के लिए किसी प्रकार से पीछे न रखें जिससे कि राजस्थान का प्रत्येक भाग समान रूप से राज्य विकास में भाग लेते रहें।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री लच्छूराम : मैं तीन दिन से उठक बैठक कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय......

श्री पी. के. चौधरी फुलेरा : I have a submission, Sir.

श्री अध्यक्ष: I have called the Hon'ble Member.

श्री पी. के. चौधरी : Not about this. I am talking about yesterday. When the Hon'ble Member who had then spoken sat down, I stood up immediately, I caught the eye of the Chair and I also started to address the House, but after that I was stopped. I think if a Member catches the eye of the speaker as well as the ear of the Chair and addresses the House, he should not be made to sit down.

श्री सोहनलाल भटनागर : नये तौर पर केच अप करना पड़ता है।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय मैंने भी ट्राई किया था।

श्री अध्यक्ष : २१ माननीय सदस्य बोल चुके हैं। कोशिश आप भी करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोलें। लेकिन यदि अमुक माननीय सदस्य की बारी नहीं आ सकी तो दोष उसका किसी पर लगाया नहीं जा सकता।

श्री पी. के. चौधरी : No Sir, yesterday I started addressing the House.

श्री अध्यक्ष : I do not know what happened yesterday. I am starting from today

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उस सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कुछ रचनात्मक सुझाव भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

माननीय अध्यक्ष मैंने इस सदन में ७ भाषण सुने हैं परन्तु इस भाषण के सुनने और इसके मनन करने के बाद मेरे दिमाग में जो प्रतिक्रिया हुई है वह मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि कई भाषण फोर्मेलिटी के लिये हुए थे, लेकिन इस भाषण में भिन्नता है इस भाषण में राज्य सरकार ने जो नीतियां प्रतिपादित की हैं यदि उनका ठीक तरह से पालन होगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम अपने इस राज्य में एक कल्याणकारी राज्य कायम करने में समर्थ हो सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले कई माननीय सदस्यों ने सदन में कहा कि राज्यपाल महोदय ने लॉ एन्ड ऑर्डर से शुरुआत की है जो कि पुरानी चीज़ हो गई है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि एक जमाने में लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी और आज भी हम देखते हैं कि हमारे समीप के जो प्रान्त हैं, मध्यप्रदेश, यू. पी. उनमें यह समस्या बनी हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहां लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति ठीक हुई। इसको इसीलिए प्रिफरेन्स दिया गया है कि यदि यह स्थिति ठीक नहीं होती तो हमारी जो विकास की योजना है, शिक्षा योजना है और अन्य जो योजनायें हैं वे यों ही पड़ी रहती, क्योंकि जनता एक ही चीज़ सोच सकती है कि उनका जीवन और धन कैसे बच सकें और सुखी रह सकें। इसलिए लॉ एन्ड ऑर्डर को प्राथमिकता

(श्री सोहनलाल भटनागर)

देकर उचित ही किया है। पुलिस दल के जो व्यक्ति हैं, जिन सुपरिन्टेन्डेन्ट वगैरह के लिए राज्यपाल महोदय ने विचार व्यक्त किये हैं, मैं समझता हूँ कि सब ही माननीय सदस्य समर्थन करते होंगे।

माननीय अध्यक्ष, एक बात जरूर है कि जहां लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति डकैती को लेकर समाप्त हुई, दूसरा इशारा पॉलिसी को लेकर किया गया है, और वह हैं साइन्टिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हिन्दुस्तान को आजाद हुए काफी अर्सा हो गया,परन्तु पुराने तरीके के ही मेथड काम में लाये जाते हैं। लेकिन जब हमारा प्रदेश आजाद हो गया है तो हम आकांक्षा लगाये बैठे थे कि साइन्टिफिक इन्वेस्टिगेशन में प्रगति लाई जाय। पुरानों को बदला जाय। राज्य सरकार ने खास कर इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन जिन बातों को लेकर अपने भाषण में राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाला है उनसे विदित होता है कि सरकार इस ओर जागरूक है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस ओर अधिक प्रगति की जावेगी जिससे सभ्य देशों में जो साइन्टिफिक इन्वेस्टिगेशन्स होते हैं, यहां भी होने लगें।

दूसरा माननीय अध्यक्ष, अर्ज करना चाहूँगा कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे क्षेत्र के नज़दीक उपवास स्थान का नाम लेकर उनके पार्टी के व्यक्ति को टार्चर करने के लिए निवेदन किया और काफी लम्बी चौड़ी बातें कहीं, उस सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। वहां पर कोई राजनैतिक बात नहीं थी। किसी प्रकार का राजनैतिक झगड़ा नहीं था। आदिवासियों के दो भाईयों में आपसी झगड़ा था, उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनमें से एक भाई को मारा। वह कार्यकर्ता राजनीति में कार्य करने वाला है, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, उसमें किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। उसके खिलाफ़ भी कानून के अनुसार जो भी कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह पुलिस ने की। हमारे उन माननीय सदस्य का यह कहना है कि वह राजनैतिक कार्यकर्ता है इसलिये उस पर मुकदमा न चलाया जाय। लेकिन इस प्रजातंत्र के युग में कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, कानून तो सबके लिये समान है।

दूसरी बात जो इस अभिभाषण में हमें मिलती है, वह है खाद्य स्थिति के बारे में। राज्यपाल महोदय ने बताया और यह मानना भी पड़ेगा कि पिछले साल में खाद्य की स्थिति खराब थी, केवल अपने प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में वर्षा के अभाव के कारण अन्न की उपज में कमी हुई है अनाज की कमी का यह भी एक मुख्य कारण था। खाद्य स्थिति का जहां तक प्रश्न है इस प्रदेश के लोगों में निराशा का वातावरण फैला हुआ है। इस चीज़ के लिये राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक नीति का दिग्दर्शन कराया है जिससे राज्य की खाद्य स्थिति सुधर सकती है। राज्यपाल महोदय ने जो जो तजवीजें पेश की हैं वे बिल्कुल ठीक हैं।

रबी अभियान के बारे में यह भी कहा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

गया कि यह तो केवल प्रचार मात्र था। मेरा उनसे यह निवेदन है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनमें नई चेतना नया वातावरण प्रोपेगेन्डा के द्वारा पैदा करना लाज़िमी हो जाता है। इसीलिये सरकारी अधिकारियों द्वारा व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसका प्रचार किया गया और गांव के लोगों के दिमाग में इस अभियान के प्रति रुचि उत्पन्न की गई, जो कि देश की आज की मुख्य समस्या है। इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, इसके लिये वातावरण बनाया गया। रबी अभियान में केवल अच्छे बीज का वितरण करना ही सम्मिलित रहा हो, यह बात नहीं है फर्टीलाइज़र्स देना भी उसमें शामिल था, किन्तु किसानों का इसमें अच्छा रेस्पोन्स नहीं बताया। इसके साथ–साथ बीज के लिये इतनी मांग थी कि सरकार उसको पूरा नहीं कर सकी, यह भी कहा गया। लेकिन सरकार ने यह जिम्मा नहीं लिया था कि जितनी भी बीज की आवश्यकता होगी सरकार देगी। लेकिन फिर भी जो कुछ प्रबन्ध कर सकती थी, सरकार ने किया। इसके अलावा लोगों में जो एक स्प्रिट पैदा की गई, उसको देखते हुए मैं आशा करता हूं भविष्य में खरीफ अभियान के लिये जो सोचा जा रहा है उसमें सफलता मिलेगी और ज्यों ज्यों वर्ष गुजरेंगे खाद्य की जो समस्या है वह निरन्तर कम होती जायगी और जैसा कि हमारा प्लान है तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारा अन्न का उत्पादन दुगुना हो जायगा और इन्हीं तरीकों से हो सकेगा। इस मौके पर मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि रबी अभियान के सिलसिले में सब विभागों का कोआॅर्डिनेशन होना चाहिये, केवल बीज वितरण कर दिया इससे काम नहीं चलेगा और फर्टिलाइजर्स दे दिया जाय इससे भी काम पूरा होने वाला नहीं है बल्कि सिंचाई विभाग के साथ अन्य विभागों का पूरी तरह से सामन्जस्य होगा तभी पूर्णतया सफलता प्राप्त हो सकेगी।

मेरे क्षेत्र में जयसमन्द एक बहुत बड़ी झील है जिससे बीस हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। रबी अभियान को लेकर वहां काफी कार्य किया गया–सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा भी, लेकिन इसके लिये जो नहरों का निर्माण किया गया उसमें दो दो महीने तक पानी नहीं दिया गया, इसके कारण फसल सूख गई और कहीं कहीं नहर के कच्चा होने के कारण टूट जाने से सैकड़ों बीघा जमीन बर्बाद हो गई। इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उनको दूर किया जाय तो उपज काफी बढ़ सकती है।

तीसरी बात जो इस अभिभाषण में कही गई है वह है लैन्ड रिफॉर्म्स के बारे में। क्योंकि मुझे इसमें इन्टरेस्ट ज्यादा है, इसलिये निश्चित तौर से कह सकता हूँ। गत वर्ष के विवरण को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जितनी बड़ी–बड़ी जागीरें थी उनको समाप्त कर दिया गया, इसके अलावा छोटी छोटी जागीरों का प्रश्न था जिस पर काफी वाद–विवाद चला। कई लोगों की धारणा थी कि छोटी जागीरों की संख्या ज्यादा है, इसलिये उनका पुनर्ग्रहण कठिन हो जायगा। किन्तु मुझे इस बात की खुशी है कि इस बारे में जागीरदारों का पूर्ण सहयोग है। इस कारण यह प्रगतिशील

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कदम भी उठाया जा सका। इसके अलावा जमीदारियों के पुनर्ग्रहण में भी हमें कामयाबी रही है। यह बात निश्चित है कि इसके लिये एक फैसला हमारे सामने आया है, जिस समय यह बिल के रूप में सदन के सामने आयगा तब मैं उसके बारे में कॉन्क्रीट सुझाव उपस्थित करूंगा। इस बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में केवल इशारा मात्र किया है। माननीय अध्यक्ष, इसके बारे में ज्यादा बातें जब बिल के रूप में सदन के सामने आयगा मैं उपस्थित करूंगा अगर उन सुझावों को कार्यान्वित किया गया तो राजस्थान की जनता को कम से कम साढ़े पांच करोड़ रुपये का अधिक खर्चा करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि बड़े जागीरदारों से छोटे जागीरदारों की समस्या भिन्न है। लेकिन जो आर्थिक अवस्था हमारे देश और प्रान्त की है उसको देखते हुए हमें भी विचार करना होगा। साढ़े पाँच करोड़ रुपये का जो बोझा डाल रहे हैं वह कैसे पूरा होगा। मेरा ऐसा कहना है कि बड़े जागीरदारों को मुआवज़ा दिया जा रहा है उसमें कमी की जाय या पांच हजार तक के जागीरदारों को ज्यादा देने की बात है, उसकी सीमा कम की जाय और केवल हजार, दो हजार-वाली जागीरों को उसका लाभ दिया जाय। इससे सरकार को हो सकता है पांच करोड़ की बजाय आधा ही खर्च करना पड़े।

दूसरी लैंड रिफॉर्म के बारे में जो सब से प्रगतिशील नीति बतायी है इस अभिभाषण में, वह है को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग। कई लोगों का खयाल है कि इसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। यहां साम्यवाद को बढ़ाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, यह सही है कि यह नीति कांग्रेस की कोई नई नीति नहीं है। कांग्रेस ने जब भी इस ओर कदम उठाया है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का सिद्धान्त सामने रखा है। हमारा जो संविधान बना उसमें भी जो प्रीएम्बल दिया गया, उसमें कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ का उल्लेख किया गया है। आज व्यक्तिवाद का जमाना चला गया है। हमारे समाज और अर्थ व्यवस्था के अन्दर हमें व्यक्तिवाद के तरीके को समाप्त करना पड़ेगा। इसके लिये मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिये हमें सोचना पड़ेगा कि देश के अन्दर जो भूमि है वह पहले से ही कम है और आबादी में भी भूमिहीन वर्ग की आबादी ज्यादा है तब हमारे पास चारा क्या रह जाता है? ऐसी सहकारी समितियों को कायम करने से इसके बारे में स्पष्ट रूप में राय बाद में आ सकती है, लेकिन सिद्धान्ततया हमने जब मान लिया है तो जो कुछ कार्य किया जाय वह यह समझ कर किया जाय कि यह देश को आगे ले जाने वाला है।

यह ठीक है कि जिनके पास भूमि ज्यादा है, वे इसके लिये एतराज करेंगे। कम्पलशन कभी काम में नहीं लिया जायगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि शुरूआत उस भूमि से की जाय जो सीलिंग लागू हो जाने के बाद बच जाती है या सरकार के पास जो पड़त भूमि है उससे किया जाय। और ऐसी व्यवस्था की जाय जिस प्रकार हमारे देश ने रक्तहीन क्रांति करके देश को आजादी दिलाई, उसी प्रकार हमारे यहां आर्थिक समाजवाद बिना किसी क्रान्ति के, बिना किसी दबाव के प्राप्त कर सकें बहुत उत्तम होगा और यह सारा कार्य जनता के सहयोग से ही हो सकता है।

Page No.31

(श्री सोहनलाल भटनागर)

तीसरी बात जो इस अभिभाषण में कही गई, वह है डवेलपमेंट के बारे में। मैं मानता हूं कि डवेलपमेंट के बारे में सरकार ने गत वर्ष में जो जो कदम उठाया है उसके लिये दूसरी जगहों के प्लानिंग विभागों ने हमारे यहां के कार्यों की तारीफ की है। धीरे धीरे डवेलपमेंट के विकास के लिये काफी उत्साह उत्पन्न हुआ है। इस मौके पर एक बात मैं जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं केवल खर्चा कर देने मात्र से डवेलपमेंट नहीं हो जाता, जब तक वहां की जनता में नई भावना, नई चेतना उत्पन्न नहीं की जाती तो विकास अधूरा है और उसके बिना यहां की जनता नई जिम्मेदारियों के वहन करने के काबिल नहीं बनती। इस वजह से खर्चा जरूर हो जाता है, लेकिन जो कुछ नतीजा हमें प्राप्त करना चाहिये वह नतीजा और वे कामयाबियां हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा डवेलपमेंट के लिये एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं, वह यह है कि डवेलपमेंट ब्लॉक्स के लिये जो भी अधिकारियों का चयन किया जाता है, जैसे बी० डी० ओ०, इनका चयन काफी सोच विचार से किया जाना चाहिये। इसी वजह से आज हम देखते हैं कि कई बी० डी० ओ० तहसीलदारों में से लिये जाते हैं और कुछ दिनों बाद वे वहां से या तो दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिये जाते हैं या फिर जहां से आये वे वहीं भेज दिये जाते हैं। वे साल दो साल में तो वहां की सारी परिस्थिति को समझ पाते हैं और जब तक समझ कर आगे सुचारु रूप से कार्य करने का समय आता है तो वहां से बदल दिये जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह डवेलपमेन्ट का काम है, इसमें सतर्क और उत्साही लोगों को लगाये रखना चाहिये और जल्दी जल्दी ट्रान्सफर उनका नहीं करना चाहिये।

अभिभाषणों में विद्युत के बारे में और इन्डस्ट्रीज के बारे में कहा गया है। माननीय अध्यक्ष, हमें दुख है कि हम प्रथम योजना काल में और विगत तीन वर्षों के काल में इस माने में काफी पिछड़े रहे हैं। भाखरा की बिजली टार्गेट डेट में हम नहीं ला सके, शहरों में और गांवों में बिजली सप्लाई का काम भी हम टार्गेट डेट में नहीं पूरा कर सके। सरकार का कहना है कि फॉरिन एक्सचेन्ज की दिक्कत थी। पर इसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे दूसरे पडोसी प्रदेशों की सरकारों ने अपने टार्गेट किस तरह से समय में पूरे कर लिये। अब राज्यपाल महोदय ने जो काफी सतर्क रहने और काफी कामयाबी इस वर्ष हासिल करने का इशारा अपने अभिभाषण में किया है इसको देखकर खुशी है।

इन्डस्ट्रीज के बारे में तो राजस्थान काफी पिछड़ा है। यह मुख्यतया कृषि प्रधान प्रदेश ही माना जाता रहा है। पर इस बार जो नक्शा सरकार ने दिया है, जो विकास के सम्बन्ध में जिक्र किया है और जिसे कार्य रूप में भी परिवर्तित किये जाते देख रहे हैं उससे प्रसन्नता होती है। उदयपुर में कपड़ा मिल और कोटा में नाइलोन का मिल और उदयपुर में जिंक स्मैल्टर खोलने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, यहां इस सदन में मैंने प्रस्ताव भी रखा था और उसका सदन ने एकमत से समर्थन किया था। मुझे खुशी है कि उसे कार्य रूप में परिणित किया जा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

रहा है। इसने आशा की लहर पैदा की है और हमारा इस माने में पिछड़ा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस बारे में राज्य सरकार सतर्क होकर कोशिश कर रही है, इसके लिये वह अभिनन्दनीय है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट और। एक बात एज्युकेशन के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। 'स्कूल चलो' अभियान के लिये कार्य किया गया, इससे ७० हजार विद्यार्थी भर्ती हुए। यह खुशी की बात है। लेकिन इसका नतीजा क्या है? आज एक्सपेन्शन शिक्षा में जरूर हो रहा है पर दुख है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज का ग्रेजुएट पहले के मैट्रिकुलेट के बराबर भी नहीं होता। इसके कई कारण हैं। मैं इस पर अधिक प्रकाश नहीं डालना चाहता, आप काफी जानते हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह नहीं सोचा कि शिक्षकों की कितनी जरूरत पड़ेगी। सिंगल टीचर स्कूलों में आज अध्यापक नहीं हैं, सो दो सो लड़कों की स्कूलों में एक एक अध्यापक हैं। तो इस विद्यार्थियों की अधिक संख्या से क्या लाभ होने वाला है? हमें पहले यह सोचना है कि इसको कैसे कन्सोलिडेट करें, फिर एक्सपेन्शन करें। कोरे एक्सपेन्शन में स्थिति बिगड़ भी सकती है। नौनिहाल बच्चों को और देश को और बढ़ाना है तो कन्सोलिडेट पहले करना है।

आखिरी बात थर्ड फाइव इयर प्लान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा कि वे अभी से सतर्क रहें। प्लानिंग बोर्ड ने अभी से इसके लिए सब–कमेटी नियुक्त कर दी है। यह ठीक है। पहली योजना हमारी हैंपेजर्ड–वे में बनी। दूसरी में कुछ तरक्की की। पर इसमें आज जो किया जा रहा है वह ठीक है। हमें अभी से सावधान होकर काम करना चाहिये और हमारी पोटेन्शियेलिटीज के बारे में सोचना चाहिये। इसी तरह से पर्सनल्स के बारे में भी सोचना चाहिये। इसके लिये अभी से आंकड़े व निर्णय का किया जाना उचित ही है, क्योंकि प्लानिंग बिना पर्सनल्स के आगे नहीं चल सकती। यही कारण है कि ब्लॉक आदि सारे प्रदेश में नहीं खुल पाये हैं। अब ६२ तक सारे प्रदेश में, खुल जावेंगे इसमें भी शक है। टैक्निकल पर्सन्स की हमारे पास कमी है। इस बारे में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वे प्रशंसनीय हैं।

इन सारी बातों को देखते हुए भी जो कुछ कहा गया है, उस पर ठीक तरह से अमल किया जावे, उन सबको समय पर क्रियान्वित किया जा सका तो हमारा प्रदेश अवश्य आगे बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर काफी सदस्यों ने भाषण किये। काफी वाद-विवाद किया गया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शान्ति और सुव्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया। आज इतने अर्से के बाद भी कितनी शान्ति और सुव्यवस्था सरकार ने कायम की है, यह सोचने की बात है। इस शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर आज पुलिस को इतने अधिकार दिये गये हैं और छूट दी गई है कि जितनी अंग्रेजी शासन में भी नहीं थी और आज जनता पर पुलिस

(श्री मोगजी भाई)

द्वारा ऐसे ऐसे जुल्म किये जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला किये जा रहे हैं कि जिसका जनता में बड़ा बुरा असर पैदा हो रहा है।

इस सरकारी प्रशासन में सुव्यवस्था के नाम पर इतना भ्रष्टाचार और पक्षपात है कि जिसकी वजह से गरीब लोगों को, किसानों को, गरीब मजदूरों को किसी प्रकार से न्याय नहीं मिलता है और उनमें काफी असन्तोष है।

अध्यक्ष मोहदय, आज सरकार कल्याणकारी राज्य की बात करती है। पर पुलिस के जुल्म आज के जमाने में भी वैसे ही कायम हैं। पुलिस ने आज जनता में इतना भय और डर जमा रखा है जितना पहले था।

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is no quorum, Sir.

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मंत्री मंडल पर अनेक बार भयंकर भयंकर आरोप लगाये...

श्री पी. के. चौधरी : There is no quorum, Sir. So the Hon'ble Member should sit down.

१२. ३१ म० प०

(गण पूरक घंटी के समय कुछ माननीय सदस्यों का सदन के प्रांगण में प्रवेश)

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि राज्य सरकार के प्रशासन में इतना पक्षपात, भ्रष्टाचार और बेईमानी फैल गई है कि जिससे जनता में काफी असंतोष फैला हुआ है। सरकार की इस प्रकार की नीति रहने और प्रशासन में अच्छा काम नहीं होने की वजह से सरकार के सामने बेकारी और इसी तरह की और दिक्कतें आती हैं और इससे हमारे राज्य में भुखमरी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती आदि बढ़ने की शंका रहती है। सरकार के प्रशासन और न्याय में इतनी गड़बड़ी है कि लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है। इतना लम्बा समय हो गया है इस सरकार को बने, लेकिन फिर भी गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। यह जो राज्यपाल का भाषण है इसमें यह बताया गया है कि राज्य ने इतनी उन्नति की जो काफी हद तक उज्जवल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद पहले और दूसरे वर्ग में उन्नति हुई होगी, लेकिन मध्यम वर्ग से लेकर तीसरे दर्जे तक के जितने भी गरीब लोग हैं उनमें कोई उन्नति नहीं हुई। उनकी जो हालत पहले थी वही हालत आज भी है। अभी पिछले अक्टूबर में हमारी सोशलिस्ट-पार्टी की ओर से एक सुझाव था और उसने सरकार से मांग की कि शांतिपूर्वक कानून में परिवर्तन हो जिससे गरीबों को न्याय मिल सके। ऐसी व्यवस्था है, उसमें राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को इस प्रकार का एक मांगपत्र देकर दर्शाया गया था कि सरकार इस पर अमल करे और इसका संतोषजनक कोई जवाब दे। सरकार ने इस पर दो महीने तक कोई अमल नहीं किया। उन मांगों के संबंध में शांतिपूर्वक सोशलिस्ट पार्टी ने उनका अनुमोदन किया और अनुमोदन में सरकार ने कानून की हत्या की और जनता पर पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि जिसका नमूना मैं सदन के सामने

Page No.34

(श्री भोगजी भाई)

रखूंगा। वहां मेरे इलाके बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने लोगों पर इतने गलत तरीके से अन्याय किया है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उस आन्दोलन में पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाये और बाजार में हजारों और सैकड़ों लोग जो बाजार में चीजें खरीदने आये थे उनको गिरवा लिया गया और लाठियों से बाहर भगाये गये और उनके जूते, कपड़े और औरतों के गहने आदि भी आम सड़क पर गिर गए और पुलिस से दूर दूर तक इतना आतंक फैल गया कि आज तक उसका सा जुल्म कभी नहीं हुआ। वहां पर सरकार ने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया फिर भी वहां के तहसील पंचायत के पंच, सरपंच और ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच आदि पर इस प्रकार के आरोप लगाये कि १०७ के अन्दर वारन्ट निकाले और वारन्ट में गुंडे बदमाश साबित करके घर में से पकड़ पकड़ कर छः छः महीने की और साल् साल भर की सजा सुना दी। इसके दौरान में वहां बांसवाड़े की अदालत में मजिस्ट्रेट के कोर्ट के अहाते में एक वकील श्री श्रीपति नाम के थे उनको कोर्ट इन्सपेक्टर और पुलिस ने पकड़ कर गिरा दिया और उनकी छाती पर पिस्तौल तानकर बैठ गया। इस प्रकार से पुलिस का वहां आतंक और जुल्म रहा। तो १०७ धारा के अंतर्गत जिनको गिरफ्तार किया गया, उनके लिए मजिस्ट्रेट ने कोर्ट को रात के आठ और दस बजे तक चलाई और उनका इतना जुल्म साबित नहीं होते हुए भी इतनी सजायें सुनाई जो कि पांच पांच महीने की थी और सौ सौ रुपये जुर्माने के किये। इसके अलावा कुशलगढ़ के माननीय सदस्य श्री हीराभाई के ऊपर इतना आरोप लगाया कि यह सरकारी खज़ाने को लूटने के लिए आये थे, तो इस आरोप में पकड़कर उनकी मारपीट की। इस प्रकार की पुलिस की आज की नीति है जो कि हम कहते हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में हर एक आदमी को नागरिकता के पूरे अधिकार हैं। जब कि सही रास्ते पर कोई भी बोल सकता है और कोई भी न्याय इस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, लेकिन आजकल पुलिस का रवैया बड़ा भयंकर हो गया है। उनका पुलिस राज्य कायम हो चुका है। उन्होंने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में इतना आतंक फैला रखा है कि वहां के लोग घबराते हैं। और जहां पर बे-पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनके साथ अब भी इस प्रकार का उनका व्यवहार है। वहां पर १०७ धारा के अंतर्गत पुलिस वाले लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि इस प्रकार का काम करो। तुम्हें अदालत में नहीं ले जावेंगे सिर्फ इस शर्त पर कि तुम सफेद टोपी पहन लो। यदि सफेद टोपी पहन लोगे तो तुमको अदालत में नहीं ले जावेंगे और सज़ा नहीं देंगे। पहले तो गुंडा गर्दी और बदमाशी साबित करके उनको पकड़ते हैं और फिर सिर्फ सफेद टोपी पहनने पर मुक्त किया जाता है। यह सरकार का कहने का तरीका है। जो पुलिस आज २ महीनों से लगातार लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, यह कोई प्रजातंत्र का नियम या कानून है कि इस प्रकार से पुलिस हर व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करे? सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे राजस्थान का मंत्री-मंडल और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार इस बात पर तुली हुई है कि प्रजातंत्र के युग में जनता के साथ इस तरह का विश्वासघात करके लोगों को परेशान करना चाहते हैं और जो

(श्री मोगजी भाई)

बोलने वाले हैं उनको नहीं बोलने दिया जायगा और आजादी के नाम पर इस तरह का ढोंग रच कर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या यह सरकार इस प्रकार के काम करने पर अच्छी सरकार कहला सकती है?

कानून और व्यवस्था के नाम पर राज्य-पाल महोदय ने बताया कि इतना डाकुओं का आतंक था उसको दबाकर डाकुओं की जो समस्या थी वह हल कर दी गई है और सरकार ने इतना आगे कदम बढ़ा दिया है और अब शान्ति कायम हो गई है। सरकार डाकू किसको मानती है और किसको नहीं मानती है? जो लोग लोगों को कत्ल करके लूटते हैं उनको डाकू मानते हैं, लेकिन यह भ्रम की बात है। यदि डाकू हम किसी को मानें तो सार्वजनिक रूप से राज्य की संपत्ति की लूट खसोट करते हैं या जबर्दस्ती लूट खसोट करते हैं वे भी डाकू माने जाने चाहिये। जनता के जो हजारों लोग बर्बाद हो रहे हैं उन की तरफ सरकार ने आज तक कदम नहीं उठाया है। साबित कर सकते हैं कि इन लोगों ने इस प्रकार के डाके डाले हैं। मैं यह मानता हूँ कि जिन्होंने लाखों रुपयों का गबन किया है वे भी डाकू हैं। हमारे देश को आजाद हुए १०,१२ वर्ष हुए हैं। आज तक इस रवैये को नहीं पलट सके और कानून की ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके कि जिससे गरीब से गरीब जनता को और किसानों, मजदूरों को उससे फायदा मिले। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनका काम मुफ्त में हो जाता है लेकिन जो गरीब हैं, बोलनेवाले नहीं हैं और जिनके पास आगे पहुँचने के साधन नहीं हैं उन गरीबों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात राज्यपाल महोदय ने खाद्य समस्या के बारे में कही। विकास कमेटियों की मार्फत या सहकारी समितियों के आधार पर गरीब भूमिहीन किसानों को बसा करके समस्या को हल किया जाय या मंहगाई के मसले को हल किया जाय। इसमें यह बताया गया कि इस प्रकार से काफी सुविधा प्राप्त होगी और लोगों की यह समस्या हमेशा के लिये हल हो जावेगी। समझ में नहीं आया कि इस प्रकार की समितियों की मार्फत करने से क्या यह समस्या हल हो जायगी। एक तरफ तो हजारों बीघा ज़मीन जिनके पास है उनके बारे में क्या सरकार यह जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार है और यह विश्वास दिलाने के लिये तैयार है कि जो लोग बेकार हैं या हाली लोग हैं वे लोग उन खेतों पर अपना कब्जा रख सकेंगे? जो हाली लोग जमीदारों के पास थे, उनको आज़ तक मुक्ति नहीं मिली है। वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और आज तक अशिक्षित रहे हैं क्या वे इसके मालिक हो सकेंगे? इस तरह की सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो खेती की समस्या हल हो जायगी। उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे खेती की समस्या को हल करने में और अन्न पैदा करने में लग जायेंगे। दूसरी तरफ जमीदार लोग व्यक्तिगत जमीनों पर अधिकार जमाये हुए हैं। या तो यह जमीन किसानों को सहकारिता के आधार पर दे दी जाय, सामूहिक खेती के अलावा ऐसी भूमि का बंटवारा कर दिया जाय ताकि वे अपनी जिम्मेदारी इससे भी अधिक समझ सकें और अपने खेतों में अधिक अन्न उपजा सकें। ऐसा करने से दोनों ही समस्याएं हल हो सकती हैं, मैं तो यही समझता हूं।

(श्री मोगजी भाई)

तीसरी बात शिक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में कम से कम आदिवासी लोगों की संख्या ३ लाख है और दूसरे वर्ग के करीब एक लाख लोग होंगे लेकिन सारे जिले में करीब २० हजार लोग शिक्षित होंगे बाकी सभी लोग अशिक्षित हैं। समाज-कल्याण विभाग ने वहां पर एक दफ्तर खोल रखा है। सरकार की तरफ से सालाना बजट में से इस विभाग की मार्फत कितने ही रुपये खर्च किये जाते हैं लेकिन यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां पर शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है। सरकार ने स्कूल वहां पर खोली हैं जहां पर आबादी अधिक है या जो कस्बे हैं लेकिन छोटे छोटे गांवों में सरकार ने स्कूल नहीं खोली हैं और समाज-कल्याण विभाग ने जो वहां पर महकमा जमा रखा है, उसके द्वारा भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिये यह इलाका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछडा हुआ है। अंगरेजों के जमाने में ईसाई मिशनरीज चलती थीं, वे लोग जनता में दवाइयाँ बांट कर ईसाई धर्म वहां पर फैलाने की कोशिश करते थे और आज समाज-कल्याण विभाग की मार्फत सरकार लाखों रुपया खर्च करती है लेकिन ऐसा कोई ढंग नहीं है जिससे जनता को फायदा मिल सके। समाज-कल्याण विभाग की तरफ से जो दो, तीन गांव बसाये गये हैं समाज-कल्याण विभाग की तरफ से उन्हीं में स्कूलें वगैरह हैं बाकी गांवों में स्कूलें नहीं हैं। पांच, सात वर्षों में उन गांवों में भी व्यवस्था नहीं की गई है तो सारे ज़िले में क्या कर सकते हैं? आज जो व्यवस्था ज़िले में है उसको देखते हुए शिक्षा के बारे में सरकार इतनी जो तारीफ करती है और प्रचार करती है और प्रचार करते हैं लेकिन प्रचार के अनुसार काम नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ मैं यह समझता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, उनको अधिक प्रोत्साहन दिया जाय, लेकिन अशिक्षित व्यक्तियों को नाम मात्र को प्रोत्साहन दिया जाय कि तुम्हें शिक्षा मिल रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोलना चाहता हूं। मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूं लेकिन वह इसलिए नहीं कि कुछ महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने उल्लेख किया है बल्कि उन एचीवमेन्ट्स के लिए कि जिनका जिक्र उनके अभिभाषण में नहीं है। जहां तक इस अभिभाषण का ताल्लुक है, मैं देखता हूं कि जो पिछले साल के लेखे-जोखे की बात कही गई है, जो एचीवमेंट्स हैं, वे सीधे एक एब्सट्रेक्ट टर्म में दिये गये हैं। मिसाल के तौर पर जो फूड प्रोडक्शन की रूप-रेखा दी गई है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने यह बताया है कि फूड प्रोडक्शन १९५८-५९ मे १.८३ लाख टन बढ़ पाया और अगले साल १९५९-६० में २.५२ लाख टन बढ़ जायगा। पिछले साल राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया था, उसमें कहा था कि १९५६-५७ में ४१ हजार टन की वास्तविक बढ़ोत्तरी

(श्री पी. के. चौधरी)

हुई, १९५७-५८ में १. ०५ टन की वृद्धि होगी और १९५८-५९ में १. ९० लाख टन की अधिक वृद्धि होगी, यह उन्होंने पिछले साल कहा था। जब हम फूड प्रोडक्शन की पोटेन्शियलिटी के फिगर्स देखते हैं तो उससे फूड प्रोडक्शन की सही स्थिति का पता नहीं लगता है, एक रोजी पिक्चर मालूम होती है। वास्तव में स्थिति क्या है, वह पता नहीं लगती है। मैं आपका ध्यान वास्तविक स्थिति क्या है और जो फूड प्रोडक्शन की पोटेन्शियलिटी की बात कही जाती है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पोटेन्शियलिटी की बात करके यह बताया गया कि खाद्य स्थिति सुधर रही है लेकिन वास्तव में प्रोडक्शन क्या है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन क्या है, वह नहीं बताई जाती तो सही पिक्चर नहीं मालूम होती है। जब फर्स्ट फाइव इयर प्लान बनाया गया था राजस्थान फूड प्रोडक्शन का, उस समय राजस्थान में फूड प्रोडक्शन २९ लाख टन था। फर्स्ट फाइव इयर प्लान में यह टार्गेट रखा गया कि पांच साल में २ लाख टन खाद्यान में वृद्धि करेंगे। एक प्रकार से खाद्यान्न में जो कमी थी, जो डेफिसिट था, उस समय एक लाख टन का डेफिसिट था। पांच साल में हमारा टार्गेट था, उसको हमने प्राप्त किया है। १९५१-५२ में फूड प्रोडक्शन था वह २९ लाख टन था, १९५२-५३ में ३२ लाख टन हुआ, १९५३-५४ में जाकर हमने मेक्जिमम फूड प्रोडक्शन एचीव किया था, वह ३४·५३ लाख टन था यानि साढ़े चौतीस लाख टन था। उसके बाद प्रोडक्शन गिर गया है, १९५४-५५ में हमारा प्रोडक्शन है ३१.१९ लाख टन, १९५५-५६ में १. २६ हजार टन और कमी हुई। इसके बाद राज्यपाल महोदय ने जो फिगर दिये थे कि १९५६-५७ में हमारा प्रोडक्शन ३१·६ लाख होना चाहिए, १९५७-५८ में साढ़े बत्तीस लाख टन होना चाहिए और १९५८-५९ में साढ़े तेतीस लाख टन होना चाहिए और उसके बाद ३६ लाख हजार होना चाहिए। फूड प्रोडक्शन की वास्तविक स्थिति में गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आपको बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट की क्वाटरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा है कि १९५५-५६ में ३१ लाख टन, १९५६-५७ में ३२ लाख टन, १९५७-५८ में २ लाख टन गिर गया इस साल ३० लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है जबकि राज्यपाल महोदय ने बताया कि १९५७-५८ में १·५ लाख टन बढ़ गया जबकि हम वहां देखते हैं कि प्रोडक्शन १·५ लाख टन न बढ़ कर दो लाख टन गिर गया है और १९५६-५७ के बाद १९५७-५८ में ३० लाख टन रह गया। फर्स्ट फाइव इयर प्लान में १९५६-५७ में टार्गेट प्राप्त किया था उससे भी हमारा प्रोडक्शन एक लाख टन कम हो गया। तो आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो पिछली साल १९५८-५९ में प्रोडक्शन ३१ लाख टन से ज्यादा नहीं हो सका है। इसलिए मैंने पिछली साल कहा था और मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि फूड प्रोडक्शन के इस तरह से फिगर्स न दें। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इर्रिगेशन, प्रोजेक्ट्स और फर्टिलाइजर्स पर खर्च करते हैं और उसके हिसाब से खाद्यान्न की वृद्धि के आंकड़े पेश करते हैं, लेकिन एक्चुअल एचीवमेंट तो ३० पर्सेन्ट से अधिक नहीं होता है। मैं इसलिए यह मानता हूं कि ऐसे आंकड़े देकर आप एक रोजी पिक्चर हमारे समाने रख देते हैं, जिनसे वास्तविक स्थिति का हमको पता नहीं चलता है। वास्तविकता का पता नहीं चलती है और जो प्रोब्लम

(श्री पी. के. चौधरी)

है, उसको टेकल करने के, लिए जो डिटर-मिनेशन होना चाहिए, वह नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आयन्दा राज्यपाल के अभिभाषण में, बजट स्पीच में जो फूड प्रोडक्शन के फिगर्स दिये जायं तो कम्पेरेटिव प्रोडक्शन के फिगर्स न देकर, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई है, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, यह बताया जाय तो सही पिक्चर मालूम हो सकती है।

इसी तरह इन्डस्ट्रियल पॉलिसी के लिए है। गवर्नमेंट की इन्डस्ट्रियल पॉलिसी के लिए पिछले दो साल में काफी सुझाव दिये गये और काफी क्रिटिसिज्म किया गया था। इस साल राज्यपाल महोदय ने इन्डस्ट्रीज का दो पेजेज़ में उल्लेख किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में जो इन्ड-स्ट्रियल पॉलिसी का उल्लेख है वह पॉलिसी स्टेटमेन्ट नहीं है। I can say it is an apology of Industrial Policy. मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि उन्होंने शुरूआत की है सवाई माधोपुर फैक्ट्री से। यह कहा गया है कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के विस्तार की योजना पूरी हो गई है। मैं सदन की जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के एक्सपेन्सन का वर्क पूरा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो प्लान्ट बढ़ाये थे, वे बन्द पड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि सीमेन्ट मार्केट के अन्दर एक स्लम हो गया है। आप एक प्लान रखते हैं लेकिन प्लान का विजन नहीं रखते हैं। सीमेन्ट फैक्ट्री के एक्सपेन्शन का गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने और राज्य सरकारने प्लान बनाया, लेकिन यह नहीं देखा कि सीमेन्ट का क्या यूज है, इसका यूज कैसे होता है? सीमेन्ट को प्रोड्यूस करने से ही काम नहीं हो सकता है, उसके साथ स्टील प्रोडक्-शन होना चाहिए। क्योंकि स्टील प्रोडक्शन नही हुआ है इसलिए बाजार में सीमेन्ट की डिमान्ड नहीं है। एक समय में सीमेन्ट का काला बाजार चलता था लेकिन आज बाजार में कन्ट्रोल रेट पर सीमेन्ट नहीं लेते हैं, उससे नीचे भाव में लेते हैं। आज लोग कन्ट्रोल रेट पर सीमेन्ट नहीं उठाते हैं, क्योंकि आज स्टील प्रोडक्शन और सीमेन्ट प्रोडक्शन बराबर नहीं रहा है। इसलिए सीमेन्ट का मार्केट आज डाउन हो गया है और सीमेन्ट प्लान्ट बन्द पड़े हैं। आपने सीमेन्ट फैक्टरी के एक्सपेन्सन की पिक्चर बता दी है, एक्सपेन्सेन हुआ जरूर, लेकिन जो दो प्लान्ट थे, वे दोनों बन्द पड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि उदय-पुर में टैक्सटाइल फैक्टरी शुरू हो जावेगी। इस सम्बन्ध में मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि आज टैक्सटाइल मिल के एक्सपेन्शन की बात नहीं है। आप देखेंगे कि कपड़े में स्लम्प बहुत आया हुआ है। आज बम्बई और अहमदाबाद में जो मिलें हैं, उनमें बहुत कपड़ा पड़ा हुआ है और वहां इतना कपड़ा पड़ा हुआ है कि आयन्दा दो वर्षों की नेसेसिटी के लिये काफी है। हम देखते हैं कि इसमें फरदर प्रोस्पेक्ट्स की पोसि-बिलिटी बहुत कम है। इसलिये इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन को कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह कही गई कि जयपुर की नेश-नल इन्जिनियरिंग कम्पनी द्वारा सवाई माधोपुर में एक दूसरी वैगन फैक्टरी खोलने के लिए लाइसेन्स प्राप्त कर ली और

(श्री पी. के. चौधरी)

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष पदासीन)

डीजल लोकोमोटिव प्लान्ट स्थापित करने के लिए भारत सरकार को दर्ख्वास्त की है तथा बातचीत की है व भारत सरकार ने यह सूचना दी है कि उदयपुर में बहुत जल्द जिन्क स्मेल्टर खोला जायगा। हम सरकार से कम्पलीट बात चाहते हैं। यह नहीं चाहते कि लाइसेन्स की बातचीत चल रही है। अगर इस प्रकार की कम्पलीट बात होती तो टीक रहता।

अब इसके आगे मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये सबसे ज़रूरी बात यह मानी जाती है कि जब कि डेफिनेट पोपुलेशन पॉलिसी और अन्य रिसोर्सेज का मोटिलाइजेशन नहीं होता तब तक वह सफल नहीं हो सकती। जहां तक डेफिनेट पोपुलेशन पॉलिसी का प्रश्न है, इसमें राज्य-पाल महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया है। इसके लिये हमारे प्रधान मन्त्री ने इन्टरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड कॉन्फ्रेन्स में कहा है कि दसवीं क्लास की लड़कियें है उनको शुरू में प्लानिंग......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अखबार नहीं पढ़ेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : उसकी भी कमी राज्यपाल महोदय के भाषण में है।

दूसरी बात इन्डस्ट्रियल रिसोर्सेज की है। जहां तक इसका प्रश्न है, आज हिन्दुस्तान में प्लानिंग कमीशन के सामने यह बात रही है कि नेशनल इन्कम का ६० प्रतिशत रूरल फेक्टर से और ४० प्रतिशत अरबन फेक्टर से यहां हमारा टैक्स रेवेन्यू है वह ४३ प्रतिशत रूरल और बाकी अरबन सेक्टर से मिलता हैं। आज डवेलमेंट से इन्क्रीज-इन-इनकम मिलती है वह १५ प्रतिशत रूरल फेक्टर से और ४० प्रतिशत अरबन फेक्टर से टैप करते हैं। आज किस तरह से हम रूरल हारनेश लागू कर सकते हैं इसके लिये प्लानिंग कमीशन ने यह सोचा है कि इसके लिये एक ही तरीका है और वह है को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये। को-ऑपरेटिव सोसाइटीज और को-ऑपरेटिव बेसिस पर फॉर्मिंग का लोगों ने विरोध किया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग नहीं होगा आप जो सरप्लस इन्कम होती है उसको टेप नहीं कर सकेंगे। यह सोशियल ज़स्टिस की दृष्टि से भी ठीक है और को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग इसलिये किया है कि विदाउट को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग जो आय इनकम होती है और प्रोड्यूस होती है; जैसे रूरल सेक्टर में ६० प्रतिशत प्रोड्यूस होती है उसको टेप नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर राजस्थान सरकार ने पिछले दो वर्षों में अपना बजट एस्टीमेट १५ या १६ लाख का लगाया। लेकिन इन्कम टैक्स ३ या ४ लाख से ज्यादा नहीं हुआ। आपने बजट का अन्दाजा लगाया, मगर वहां पर बहुत कम एक्चुवल इन्कम हुई। इसी तरह आज फूड प्रोड्यूस है उसको कोई होल्ड कर सकता है। सरकार ने अभी स्टेट ट्रेडिंग के लिये किया कि उसको अनाज मिलना चाहिये मगर अनाज नहीं मिल सकता है। यह को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग के अलावा हो नहीं सकता इन्हीं बेसिस पर हम सरप्लस इन्कम को टेप कर सकेंगे और हमारी स्टेट ट्रेडिंग स्कीम कामयाब हो सकती है। सरप्लस इन्कम,

Page No.40

(श्री पी. के. चौधरी)

सोशियल जस्टिस, स्टेट ट्रेडिंग आदि सारी की सारी चीजें एक दूसरे से संबन्धित हैं। जो लोग को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग का विरोध करते हैं वे कॉन्सी क्वेन्सली तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसको सेबोटेज करते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम कोऑपरेटिव फॉर्मिंग क्यों चाहते हैं और उसका क्या मकसद है, उसे हमें लोगों को अच्छी तरह से समझाना चाहिये। सोशियल जस्टिस के साथ साथ काफी इम्प्रूवमेंट भी होगा। दूसरी बात स्टेट ट्रेडिंग की है उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन मेरा नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल के साथ मतभेद है। इसके जरिये से फूड ग्रेन सप्लाई मेंस हूलियत रहेगी, इसको मैं नहीं मानता।

स्टेट ट्रेडिंग में प्राइसेज़ जो ली गई हैं वे ३२ रु० मन के भाव से चैक किया गया है। आज गेहूं का भाव ३२ रु० मन या २८ रु० मन है, हम उसको स्टेबलाइज करेंगे १८ रु० या २० रु० या २२ रु० प्रति मन पर। आज अनाज की हमारे समाने बड़ी प्रोब्लम है। जिस समय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ती है उस समय उसकी कीमत ज्यादा नहीं मिलती। कीमतें ज्यादा तभी मिल सकती है जिस समय प्रोडक्शन कम हो। क्योंकि जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उनको कम लाभ मिलेगा। किसानों का ज्यादा इन्ट्रेस्ट उनको ज्यादा फायदा मिलने में रहता है। यह एक बड़ी प्रोब्लम हमारे सामने है। आज फार्मर्स को जब यह मालूम होता है कि प्रोड्यूस को कम करने से ज्यादा फायदा होता है तो वह निश्चय रूप से कम प्रोड्यूस करेगा। और जब वह कम पैदा करेगा तब हमारे सामने प्लानिंग की सबसे बड़ी प्रोब्लम होगी। प्लानिंग की प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिये हमें प्राइसेज की प्रोब्लम को सॉल्व करना होगा। इस पर पिछली बार भी मैंने ज्यादा जोर दिया था लेकिन उस बात का आज भी राज्यपाल के अभिभाषण में हमें कहीं दिग्दर्शन नहीं मिलता।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अगर हम प्राइसेज फिक्स कर देते हैं तो काश्तकारों को बहुत सहूलियतें हो जाती हैं। मान लें कि हम २०) मन गेहूं की कीमत को फिक्स करते हैं और यह जब एग्रीकल्चरिस्ट को मालूम हो जाता है कि यह रेट फिक्स कर दी गई है तो वह यह मान कर प्रोड्यूस बढ़ावेगा कि इतनी प्रोड्यूस करेंगे या इससे ज्यादा बढ़ावेंगे तो उसको इतनी इन्कम होगी। क्योंकि जिस समय फ्लक्च्युएशन होता है तो इन्कम कम होती है, लोग प्रोड्यूस बढ़ाने की नहीं सोचते। अगर आप यह चाहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्टों की इन्कम बढ़े और उनको टेप करना है तो सिर्फ we should have an objective to stabilise the prices, and not checking the prices at the top level. तो हमारा यह काम सक्ससफुल हो सकता है।

दूसरी, एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि पुलिस ने कामयाबी हासिल की जब कि सिर्फ एक डाकू मारा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस की वजह से हिन्दुस्तान को काफी नुकसान हो रहा है। यह कैसे हो रहा है, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज राजस्थान का बोर्डर पाकिस्तान के साथ काफी

(श्री पी. के. चौधरी)

हद तक लगा हुआ है और सारे हिन्दुस्तान में १५ या १५ लाख औंस सोना स्मगल होकर आता है। इसकी कीमत होती है ५० या ६० करोड़ रुपया, उससे सरकार को काफी नुकसान होता है। जो यह सोना स्मगल होता है, उसका १–३ राजस्थान के बोर्डर से होता है यानी ४ या ५ लाख औंस सोना स्मगल होती है। इससे १० या १५ करोड़ का फॉरिन एक्सचेन्ज का नुकसान होता है। पाकिस्तान में इन्कम टैक्स काफी हाई है। १०० रुपयों में से ६० रुपये टैक्स का ले लेते हैं, इसलिये वे सोना खरीद लेते हैं। लेकिन केपिटेलिस्ट क्या करते हैं कि स्मगल्ड गोल्ड को खरीद लेते हैं। १००) रु० का सोना खरीदने पर उनको ६०) रु० का फायदा होता है, नहीं तो उसको टैक्स में देना पड़ता तो यह जो गोल्ड १०–१५ लाख का राजस्थान के बोर्डर से आता है उससे १५ करोड़ का फॉरिन एक्स्चेन्ज में हमारे देश को नुकसान होता है और इसी तरह से लगभग १०–१५ करोड़ का नुकसान इन्कम टैक्स का होता है। स्मॉल सेविंग्स का जो ड्राइव आज फेल हो रहा है उसका मेन कारण ही यह गोल्ड का स्मग्लिंग है। स्मॉल सेविंग्स में इन्वेस्ट करने वाले को तीन चार परसेन्ट आप देते हैं, लेकिन पिछले तीन चार साल के स्टेटिस्टिक्स उठा कर देख लीजिये कि गोल्ड की प्राइसेज किस तरह से रही हैं, इसलिए कौन स्मॉल सेविंग्स में इन्वेस्ट करेगा जहां कि उसको चार परसेन्ट ही मिलेगा, जबकि गोल्ड में ८ परसेन्ट बढ़ेगा ? स्मॉल सेविंग्स में कई हज्जाम पट्टी करनी पड़ती है, दिक्कत रही है, जब कि गोल्ड का हाइयेस्ट लिक्विडेशन है, किसान और दूसरे क्यों इन्वेस्ट इसमें करने लगे ? इसलिए राजस्थान बोर्डर से गोल्ड का स्मग्लिंग होता है उससे काफी फॉरिन एक्सचेन्ज का नुकसान होता सो तो होता ही है लेकिन इन्कम टैक्स का भी सरकार को नुकसान होता है और इसके लिए मैं जिम्मेदार पुलिस को ही टहराता हूं। डाकू मारने से पुलिस को शाबासी नहीं मिलती।

दूसरा फूड प्राइस के लिए भी मैं पुलिस को ही जिम्मेदार मानता हूं। जो मेरा प्रेक्टिकल एक्स्पीरियेन्स है वह मैं आपको बताता हूं। एक दिन जब कि २०-२१ रु० मन का गेहूं जयपुर के मार्केट में मिल रहा था और उसी दिन फूड रिक्विजिशन ऑर्डर निकलता है और दूसरे दिन गेहूं का भाव २८) रु०, ३०) रु०, ३१) रु० मन हो जाता है, ओवर नाइट भाव बढ़ जाते हैं। सारा का सारा फूड ग्रेन्स मर्चेन्ट्स ने छिपा दिया। लाखों मन तो छिप नहीं सकता था गोडाउन में पड़ा रहा, लेकिन उसको पुलिस ने सीज़ नहीं किया, इसको मैं फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज़ नहीं मानता। होर्डर्स को पुलिस ने हैल्ड-अप नहीं किया।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद दो शब्द मैं जिला परिषद् के लिए भी कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के पॉलिसी स्टेटमेंट में दो चीजें हैं, एक तो जिला परिषद् और दूसरी कोऑपरेटिव फार्मिंग। जिला परिषद् के सिलसिले में और पंचायत समितियों के विषय में दो एक बात जरूर कहना चाहता हूं। पंचायत को अधिकार देंगे और जिला परिषद् को भी अधिकार देंगे। उनके जो एक्सपेन्डीचर हैं यदि उन पर चेक नहीं रखेंगे तो सारा का सारा प्लान सबोटेज़ हो सकता है। कई पंचायतें अपना पैसा बैंक में

(श्री पी. के. चोधरी)

या पोस्ट ऑफिस में नहीं रखती। पंचायतों का रेवेन्यु सरपंचों के पास रहता है, उस पैसे की प्रोपर युटिलिटी नहीं होती है और वह यों ही पड़ा रहता है। पंचायतों और ज़िला-परिषद् दोनों के अकाउन्टस हैं, डिपोजिट्स हैं, it must be in the Bank. कोई अपने पास न रखे। इसके साथ मेरा सुझाव यह है कि पंचायत समितियों में डेवलपमेंट का वर्क होगा तो वहां एक कन्डीशन उसके लिए यह रखी जावे that certain percentage of the plan should be borne by the people. मान लीजिये कि ७० पर्सेन्ट पंचायत को विकास के कार्य के लिए देते हैं, तो ३० पर्सेन्ट बाकी का गांव की तरफ से आना चाहिये। एग्रीकल्चरल सरप्लस इन्कम है उसको टेक करने का तरीका नहीं है लेकिन इस तरह से उनको इन्ड्यूस कर सकते हैं, डेवलपमेंट वर्क में शर्त रख कर इन्ड्यूस कर सकते हैं, उनके फन्डस को पोस्ट ऑफिस या बैंक में क्लोज रखना चाहिये और तब ही उसका विकास के कार्य में उपयोग होगा जब कि पर्टिकुलर अमाउन्ट गांव के लोग शेयर करेंगे। इससे एग्रीकल्चरल सरप्लस को टेक करने का और उसको पकड़ने का और दूसरा कोई हल नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास (मांडल): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले पुलिस के विषय को लेकर अपना भाषण प्रारम्भ किया और उन्होंने बताया है कि गत वर्ष की कामयाबियां और इस वर्ष की राज्य की नीति को सामने रखते हुए इस विषय को भी उन्होंने लिया है, इसलिए मुझे भी इस विषय में निवेदन करना जरूरी हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस विषय में सबसे पहले कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद होना और अपराधों में कमी और पता लगाने के तरीके के विषय में कुछ कहा। इसमें उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि इस भाषण को पढ़ने से एकाएक ऐसा मालूम होता है कि जैसे उन्होंने तो इस तरह से फर्मा दिया कि मानो राजस्थान के अन्दर राम—राज्य हो गया हैं, हमारे यहां अपराध नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही है और मैं समझता हूँ कि उनके फर्माने के ढंग से मुझे यह मालूम हुआ कि पुलिस की भी सम्भवत: आवश्यकता ही नहीं रही है और बजट में एक बड़ी बचत की योजना सी प्रतीत होती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क्षेत्र में इसके विपरीत बातों को जब देखता हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है कि या तो हमारे राज्यपाल महोदय को हमारी राज्य सरकार की ओर से ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि जिससे उन्हें अपने भाषण में ऐसी गलत बातें यहां सदन के सामने फर्मानी पड़ती हैं।

तो मेरे एक क्षेत्र को लेकर जो कुछ बातें मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं उससे सदन को यह ज्ञात होगा कि वास्तव में अपराधों में कमी नहीं हुई है और दिन व दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और जिससे यहां के नागरिकों का जीवन खतरे में है। सबसे

(श्री शिवचरणदास)

पहले मैं डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में हुए कुछ कत्ल के मामलों को लेकर निवेदन करता हूँ। गये साल विजयनगर के पास रेल की पटरी पर एक लाश मिली थी उसके लिए पहले भी सदन के सामने निवेदन किया था, लेकिन एक साल होने आ गया अब तक उसका पता पुलिस नहीं लगा सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह काण्ड किस तरह हुआ कि एक मास्टर करीब २५ साल की उम्र का जो शाहपुरा ट्रेनिंग में गया हुआ था, उसको वहां से उडाया गया। उड़ाने के वक्त भी उसका पता नहीं लगा कि आखिर उसको किसने उड़ाया है और जब चार दिन के बाद रेल की पटरी पर वह लाश फंसी हुई मिलती है तो काफी कोशिश के बाद पुलिस नाकामयाब रही है जो कि आज दिन तक अपराधियों का पता लगा नहीं पायी कि किस कारण और किसने उसका वह खून किया है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, सिंगावल की झोंपड़ी, मांडलगढ़ तहसील के अन्दर एक गांव है। वहां एक गूजर की हत्या हुई। उसकी रिपोर्ट पुलिस में हुई, लेकिन यदि मुझे जो इत्तला है वह सही है तो मैं निवेदन करूं वहां डीवाई० एस० पी० पहुंचते हैं मौके पर उनके सामने सारी स्थिति पेश हुई, सबूत पेश हुए, फिर भी क्या मालूम उस केस को क्यों दबा दिया गया।

नानसे का एक विचित्र किस्सा है, वहां एक साधु महाराज के नाम से, जो दाता के नाम से मशहूर है एक व्यक्ति रहते हैं। जिनके लिये कहा जाता है कि वे साक्षात् भगवान् के अवतार हैं। वे जो कुछ चाहें इस संसार में कर सकते हैं। बदकिस्मती से विरोधी पक्ष के लिये सत्तारूढ़ दल पर उनका वरदहस्त रहता है। उनके यहां एक गाडरी की हत्या की गई, पुलिस ने वह केस अपने हाथ में लिया लेकिन पुलिस को आज दिन तक इसका पता नहीं। उसमें ढिलाई बर्ती जाकर उसके लिये अदम—वकुआ पेश किया गया।

बेमाली का एक किस्सा है जहां छः महिने के एक मासूम बच्चे की हत्या हुई, लेकिन उस हत्या के कारणों का पता पुलिस नहीं लगा सकी। करेड़ा में अनुसूचित जाति की एक अबला की हत्या की गई जिसको आज करीब छः महिने हो गये, उसका पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक ६।२।५६ को रूपाहेली के पास विजयनगर की ओर से जाने वाली बस से विकास विभाग की एक जीप का जो कान्ड हुआ था, आज दिन तक उन डाकुओं का पता पुलिस नहीं लगा सकी। कहने का अभिप्राय यह है, उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सदन के सामने यह कहा गया कि अपराधों में बहुत कमी हुई है और दूसरी तरफ यह हो रहा है। एक ही तहसील और एक डिस्ट्रिक्ट में कतल के मुकदमे चार पांच, एक से एक ऊपर लगातार तांता लगता जा रहा है जिसका पुलिस आज तक पता नहीं लगा सकी। ऐसी स्थिति में नागरिकों में शान्तिमय स्थिति कैसे हो सकती है?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर में केवल एक रात में तेरह ताले टूटे हैं लेकिन चोरी गये माल का और चोरों का पता अभी तक नहीं लग सका। इसी तरह से एक डंडिया नाम का एक तालाब है, उसके लिये मरम्मत को कुछ रकम सरकार द्वारा दी गई। उस रकम से वहां की नगर पालिका

Page No.44

(श्री शिवचरणदास)

के अध्यक्ष और कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष द्वारा वह काम करवाया गया, उसमें ४२९ का केस चालान हुआ, लेकिन पुलिस उसका भी पूरा चालान नहीं दे सकी। इसी तरह से स्कूल के दो कमरे बनाने के लिये राज्य सरकार से १,०५०) रुपया मिला, लेकिन पहले का जो कुछ सामान रखा हुआ था उससे वे कमरे बनवाये गये। उस रुपये का पूरा हिसाब अभी तक नहीं मिल सका, उसका भी चालान किया गया, लेकिन पुलिस पूरा सबूत नहीं दे सकी। निवेदन करने का यह मतलब है कि अपराधों की संख्या इस तरह से निरन्तर बढ़ती हुई जाती है और इधर यह कहा जाता है कि अपराधों की संख्या में कमी हुई है। यह सब हालात देखते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम होता है जो कुछ राज्य सरकार की तरफ से हमारे राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट दी जाती है, वह सही नहीं दी जाती। वह इतनी गलत दी जाती है जिससे हमारी जनता को एक प्रकार से धोखे में रखना होता है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में भी राज्यपाल महोदय ने फर्माया है। आज सिंचाई के लिये होता क्या है कि एक दो जगह पर बड़े बड़े बान्ध बनवा दिये जाते हैं, उससे कुछ लोगों को ही फायदा मिलता है। इसी तरह का एक बान्ध, जिसे मेजा बान्ध कहते हैं-जो तहसील मांडल में बहुत बड़ा बान्ध है, इसके नीचे जो भूमि सींचित होती है, उसमें आज जिस उद्देश्य को लेकर बान्ध बनाये हैं या सिंचाई की योजना बनायी है, उससे हमें यह मालूम होता है कि अब तक हमारे प्रान्त में जो कुछ भी सिंचाई की योजनायें बनती हैं उससे अपने यहां के नागरिकों की हम दाद नहीं कर सके हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़े प्रोजेक्टस से लोगों को लाभ मिला है। आखिर जिस विकास को लेकर, जिस सिंचाई योजना को लेकर हम चले हैं, उसमें हमारी सरकार कामयाब नहीं हुई है।

अभी तक कुछ मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिस पर निवेदन करना...

श्री उपाध्यक्ष : एक तरह से समय का उपयोग नहीं होगा।

श्री शिवचरणदास : ऐसी चीजें हैं, इस बान्ध से जिस जगह जाकर सिंचाई होती है वहां नदियों ने काफी सेजा दे दिया है। इससे क्या हुआ है कि जिन जगहों पर हम विकास की योजनायें कार्यान्वित करना चाहते हैं वह नहीं कर पाये हैं। इस बारे में मेरी क्षेत्रीय जनता ने काफी निवेदन किया है लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और यहां तक मुझे मालूम है कि ७।७।५८ को इस बारे में कलेक्टर महोदय के पास दर्ख्वास्त पेश हुई है और उसमें कहा गया है कि अगर हमारे यहा सिंचाई के साधन नहीं किये गये तो मजबूरन ऐसा कदम लेना पड़ेगा जिससे सरकार के सामने आपत्ति खड़ी हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के विषय में हमारी सरकार कामयाब नहीं हो सकती। इसके लिये जो योजना बनती है, वह योजना पूंजीपतियों तक ही सीमित रहती है या नेताओं तक ही सीमित रहती है। जिस योजना को जनता पर लागू करना चाहते हैं वह इसी लिये सही रूप में कार्यान्वित नहीं हो सकती, चाहे वह विकास खंड ही क्यों न हो। विकास खंड के बारे में निवेदन करूं काफी राशि बजट में रखी है लेकिन वह राशि ऐसे व्य-

(श्री शिवचरणदास)

क्तियों को मिलती है जो या तो पहले ही साधन सम्पन्न हैं या जिनका ऊपर से सम्बन्ध है उन्हीं व्यक्तियों तक ये राशियां सीमित रह जाती हैं और साधारण जनता तक वे राशियां नहीं पहुंच पाती। मेरे मांडल क्षेत्र में यद्यपि विकास खंड खुला हुआ है, वहां रकम भी पहुंचती है, लेकिन जनता के पाले कुछ नहीं पड़ता।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु विभाग के ऊपर नजर डालता हूं तो ऐसा लगता है इस विभाग की ओर से जो जो सुविधायें साधारण नागरिक को मिलनी चाहिये वह भली प्रकार नहीं मिल पाती। एक पटवारी के बारे में मेरे यहां से शिकायत हुई और वह कलैक्टर महोदय के पास पेश हुई, तहसीलदार के सामने पेश की है लेकिन उस पटवारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वह इस ढंग से है उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के नाम से, नेशनल सेविंग स्कीम के नाम से चंदा वसूल किया जाता है,उस चन्दा वसूली का दुरूपयोग इस प्रकार हो जाता है कि एक एक सर्किल पर कुछ रकम मुकर्रर करदी है औरउसको ऐसा मजबूर किया जाता है कि अगर चन्दा वसूल नहीं होता है तो तनख्वाहयें समय पर नहीं मिलेगी। और इसका नतीजा, उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि चाहे लगान जमा कराने वाले काश्तकार को दो रुपया या डेढ़ रुपया ही देना पड़ता हो, पर उस चन्दे के उसको पांच रुपया देना अनिवार्य हो जाता है। जब तक वह चन्दे का रुपया न दे तब तक लगान जमा नहीं होता है। तो इस तरह की पटवारियों और रेवेन्यु विभाग के आदमियों की कई तरह की गड़बड़ियां हमारे सामने आती हैं।

विकास खण्डों में ग्राम सेवकों की मैं बात बताऊँ। करेड़े में एक भैंरूलाल दारोगा करके व्यक्ति है। उसको खाद के दो थैले दिये गये १४ रुपये और कुछ आने के भाव से। इस हिसाब से ३५ रुपया कुछ पैसे होते हैं। पर उससे वसूल किया गया ५० रुपया और वह भी महीने डेढ़ महीने बाद। उस गरीब ने कहीं से २ रुपया सैंकड़ा ब्याज पर तत्काल रुपये लाकर दिये। अब जो रसीद उसने दी वह भी उचित ढंग से नहीं दी। उसमें न रकम का उल्लेख किया गया, न तारीख का और न रोकड़ पाने का। वह लिखाता है: श्री भैंरूलालजी पुत्र जगन्नाथजी से खाद की रकम प्राप्त हुई। अब उस पर आज तक कोई रकम खाद की बकाया नहीं है। इस पर दस्तखत हैं उन्हीं ग्राम सेवकजी के रामेश्वर-प्रसाद, ग्राम सेवक, करेड़ा। तो आज विकास योजनाओं में भी कर्मचारियों की इस तरह की हरकतें होती हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इन हरकतों से हम किस तरह से विकास के काम कर सकेंगे, यह एक विचार की बात है, सरकार के सामने।

आगे चलकर भूमि वितरण का जहां प्रश्न आता है वहां भी यही हाल है। मैं आपके सामने नजीरें रखता हूँ। आदिवासी भाइयों को कहा यह जाता है कि हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर वास्तविक तथ्य यह है कि सिंचित भूमि तो उनको मिलना दूभर है, पर जो कुछ मिलती भी है वह सरकारी पटवारी आदि लोगों की कृपा से और उससे भी वे वंचित रह जाते हैं क्योंकि

(श्री शिवचरणदास)

वे उनको रिश्वतें नहीं दे सकते, रिश्वतें देने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। करेड़ा में भूमि वितरण कमेटी ने कालूजी उदाजी वगैरह भीलों को भूमि दी ५०, ६० बीघा। पर बदकिस्मति से पटवारी के चूंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इसलिये उसने बजाय उनको देने के दूसरों को दे दी। इसी तरह से एक ओंकारसिंह हैं, उनको भी भूमि वितरण कमेटी से जमीन मिली, पर अभी तक भूमि उनको नहीं बताई गई। और भी ओकूलो, बद्री वगैरह काश्तकार हैं जिनको भी अभी तक भूमि नहीं दी जा सकी है। जगपुरा में भी एक नाभाजी भील हैं, उनको भी दी गई, पर उनको भी भूमि पटवारी की तरफ से बताई नहीं गई। तो उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन में बैठे हुए चाहे जितनी बातें कर लें, योजना बना लें, कितने ही आंकड़े बता दें लेकिन कार्यरूप में हमारी योजनाएं सफल नहीं होती हैं, इतना मैं जानता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, और यह हालत...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

है इस बारे में। अब मैं पंचायतों के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि पंचायतों को अधिक अधिकार मिलने चाहिये और सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये लेकिन इस सरकार की कहने की बात कुछ और है और करने की कुछ और है। पंचायतों को हम चाहे जितने अधिकार दें, लेकिन उनके ऊपर हमने एक धारा का, कानून का अंकुश लगा रखा है जिसके प्रभाव से पंचायतों के अधिकार में कोई अधिकार नहीं रह जाता। जो पंच या सरपंच चुनकर आता है और उसने थोड़ा सा भी साहस किया अपने क्षेत्र की जनता को सुविधाएं पहुचाने का और अगर वे बातें सरकार के या कुछ सरकार के कृपा-पात्र लोगों के हितों के विरूद्ध जाती हैं तो उसी कानून के अंकुश का रजिस्ट्रार महोदय उपयोग कर डालते हैं और उस व्यक्ति को वहां से हटा देते हैं। अगर हमें वास्तव में कुछ करना है तो ऐसे कानूनों को हमें निरस्त करना होगा ताकि पंचायतें अपने अधिकारों का निर्भीकता से बिना किसी रोक टोक के जनता के हित में उपयोग कर सकें।

तो ये मुझे अपने विचार सदन के सामने प्रकट करने थे, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं फिर निवेदन यही करूंगा कि पंचायतों के सामने जो यह हमने कानूनी अंकुश लगा रखा है, मैं समझता हूं कि सरकार ध्यान देकर इस अंकुश को हटावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद का आज तीसरा दिन है। मैं समर्थन में नहीं बोल कर सदन का समय बेकार में नष्ट नहीं करूंगा, पर सदन का ध्यान तथ्यों की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा।

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के पहले ही पैरा में लॉ और ऑर्डर का जिक्र किया और उसके बारे में बताया। मेरी समझ में नहीं आता कि सबसे पहले इसकी तरफ ही सरकार क्यों गई। परन्तु थोड़ी देर सोचने के बाद मेरी समझ में आया कि वाकई में सबसे पहले कानून और व्यवस्था के बारे में ही कांग्रेसी सरकार का सोचने का कर्त्तव्य था, क्योंकि यह तो सरकार ही ठहरी पूंजीपतियों

(श्री लच्छूराम)

की। सबसे पहले हमारी आज की इस कांग्रेसी सरकार को इन थेली वालों और चांदी के सिक्के वालों की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत उनके कि जिनके परिश्रम पर आज हिन्दुस्तान तरक्की कर रहा है। जिनके बल बूते पर हिन्दुस्तान के निर्माण कार्य चालू हैं, उन किसान और गरीब तबके के लोगों की जरूरत सरकार को नहीं है। अच्छा होता सबसे पहले अभिभाषण में यह होता कि अगले वर्ष में मजदूरों की तनख्वाह में पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत या पन्द्रह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाती है। पर दुःख की बात है कि सबसे पहले हमने कानून और व्यवस्था की ओर ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा होता कि अभिभाषण के शुरूआत में यह घोषणा होती कि आने वाले वर्ष के अन्दर अध्यापकों की तनख्वाह के अन्दर, जो कि आपके राज्य के सबसे ज्यादा गरीब प्राणी हैं, जो कर्णधार हैं और जिनकी वजह से आज राष्ट्र का निर्माण हुआ है और उन्ही की बदौलत आज देश के प्रधान मंत्री और बड़े बड़े लोग पदों के ऊपर आसीन हैं। लेकिन दुःख की बात है कि सबसे पहले अभिभाषण के अन्दर बड़े बड़े पेट वालों की रक्षा के लिए पहले पहल पैरा रखा गया है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि राज्य के अन्दर किसी प्रकार कानूनन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए लेकिन कानून व्यवस्था के साथ-साथ में श्रमिकों के कठिनाइयों की ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा, उन श्रमिकों के लिए जो कि राष्ट्र के निर्माण कार्य में आज लगे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर ले जाना चाहता हूं। आज हमारी सरकार का जो सबसे पहला नारा है, वह यह है कि शासन का विकेन्द्रीकरण हो। शासन को एक आदमी से छीनकर गांव और झोंपड़ियों तक पहुँचायें। इसको सबसे पहले महत्व पंचायत राज्य द्वारा महात्मा गांधी ने दिया था। आज से दस-पन्द्रह वर्ष पहले महात्मा गांधी ने यह एलान किया था कि मेरी इच्छा है कि हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री एक किसान हो। तो उनके यह कहने का मतलब यही था कि शासन का विकेन्द्रीकरण हो। शासन किसी एक आदमी के हाथ में न रहकर, कुछ चुने हुए आदमियों के हाथ में न रहकर, गांव और झोंपड़ियों में हो। इसीलिए पंचायत राज्य काम किया गया था। परन्तु पंचायत एक्ट के फोर्स में आने के बाद जब मैं पंचायत राज्य की दशा को देखता हूं तो कुछ तरस आता है। आज हमारे सभी माननीय सदस्य और सरकारी अधिकारियों की एक मुर्दा दलील है कि हमने पंचायतों को बहुत अधिकार दे दिये हैं, यह तो बन्दर के हाथ में कुल्हाड़ी दे दी है। यह तो ठीक उसी तरह की बात है जैसे बन्दर के सामने गुड़ की भेली और डंडे रख दिये हैं। इससे तो कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि वह आपस में लड़ें। तो हमारे तो सभी माननीय सदस्यों का यही एक मत है कि पंचायतों को अधिकार कम देने चाहिये। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो बुद्धि का ठेका लिए बैठे हैं, क्या देश के ऊपर उन्हीं को शासन करने का अधिकार है या जो चन्द बुद्धिजीवी जिनकी संख्या पांच फी सदी भी नहीं हैं, क्या वह श्रमिकों के ऊपर शासन करना चाहते हैं? जो पूज्य बापू का सिद्धान्त था उससे हम पदच्युत हो रहे हैं। आज यही नारा है, चाहे पार्लियामेन्ट में आप जायें चाहे सेक्रेटे-

(श्री शिवचरणदास)

रियट में जायें, चाहे स्वायत्त शासन मंत्री के पास जायें, सब के सब यह बताते हैं कि यह पंच हैं, सरपंच हैं इनको कुछ नहीं आता है। पंचायत एक्ट के अन्दर ऐसा है कि सारी पंचायतों की इन्कम को बैंकों में रखा जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे सम्भव है ? किसी गांव से तो बैंक पांच मील होगा, किसी से दस मील दूर होगा, फिर कैसे पंचायतों की रकम को बैंकों में जमा कराया जाये ? आपका जो काम करने का ढर्रा है वह कितना ढीला है, इसका भी नमूना मैं आपके सामने पेश करूंगा। राजस्थान पंचायत विभाग जितना निष्क्रिय है उतना सरकार का कोई सा भी विभाग नहीं होगा। मैं आपको तीन चार उदाहरण देना चाहता हूं। सन् १९५७ में झुंझुनूं जिले के ग्राम नादरा की पंचायत का एक केस था फिरोजखां वर्सेज़ पंचायत। पंचायत विभाग में वह पेंडिंग है। गांव के रास्ते साफ करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया तो सबसे पहले होता यह है कि गांव में उस गली में जहां कि सत्ताधारी दल का एक गुरगा रहता था तो उसके सामने का जो रास्ता था वह भी करीब ३ हाथ का था तो उसको पहले साफ करने का इरादा किया गया। पंचायत ने यह फैसला ले लिया, उसको नहीं माना, उसके लिए फिर तहसील पंचायत में अपील की, उसने भी यही फैसला दिया कि ठीक है यह रास्ता साफ हो जाना चाहिए और जो नाजायज़ दीवार है उसको हटा देना चाहिए। पंचायत के अन्दर जो केस चल रहा था उसी दौरान में वह दीवार चुनी गई थी। उसके बाद में फिरोज़खां ने अब यहां आकर मंत्री महोदय से स्टे ऑर्डर ले लिये, लेकिन दुःख की बात है कि उसमें माननीय उपमंत्री महोदय की भी गलती नहीं है, उन्होंने इस तरह से लिख दिया कि मिसल मंगाई जाये, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि आज सन् ५७ को कितना समय बीत गया, लेकिन वह मिसल अभी तक नहीं आई। फैसला तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आज यह दूसरा साल है न तो स्टे ऑर्डर ही कारगर हुए हैं; पता नहीं क्या हो रहा है ? तो इससे ज्यादा आप क्या उदाहरण चाहते हैं। तो मैं यह बता रहा था कि इनकम पंचायतों की बैंकों में जमा नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो वह रकम भी निकलवानी पड़ी तो उसके अन्दर ही छःमहीने लग जायेंगे। जैसे कि आज आग लगी और छःमहीने बाद उसके बुझाने के आदेश होते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि म्युनिसिपल टाउन्स के अन्दर रहने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने ही शासन करने का ठेका ले रखा है। जो शासन के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है यह कांग्रेस की नीति है लेकिन कांग्रेस के समर्थक भी इसके खिलाफ में जा रहे हैं।

आज नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन के बाद में कांग्रेस ने समाजवाद की तरफ पहला कदम उठाया है। अभी तक जो कुछ भी कांग्रेस का कार्य था वह समाजवाद की और नहीं था। अव्वल तो ठीक था इसलिए कि उसे देश में शासन कायम करना था। इसी के खातिर उसने जागीरदारी प्रथा और जमींदारी प्रथा समाप्त की और उसके बाद में छोटे छोटे जागीरदारों को भी खत्म किया उसके बाद में सीलिंग का प्रश्न आया परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि उस तरफ बैठने वाले आदमी भी सीलिंग का विरोध करते हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : आदमी से आपका मतलब माननीय सदस्य से है ?

श्री लच्छूराम : माननीय सदस्य भी आदमी हैं और आदमी ही माननीय सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी आप संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

श्री लच्छूराम : नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने एक निश्चय लिया और वह है कोऑपरेटिव फार्मिंग का, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ कांग्रेसी ही उसका समर्थन नहीं करते हैं। मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अगर देश के अन्दर सहकारिता के आधार पर खेती का विरोध करते हैं तो क्या देश के अन्दर व्यक्तिवाद को फिर से वह पनपाना चाहते हैं ? एक तरफ तो चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों, सभी का यह एक मत है कि देश में भ्रष्टाचार और बेईमानी खूब फैल रही है, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि रिश्वत, भ्रष्टाचार और बेईमानी का मूल क्या है ? तो हमें काम वही करना चाहिये जिससे जड़ नष्ट हो जाये और जड़ से नष्ट हो जाने पर पेड़ उगने का सवाल ही नहीं है। तो जब तक हम व्यक्तिगत सम्पत्ति का खातमा नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है। इसलिए यह सिद्धान्त मानना पड़ेगा कि जो व्यक्तिगत सम्पत्ति है उसको खत्म करना पड़ेगा। मैंने राजस्थान पत्रिका में एक सम्पादकीय लेख पढ़ा था कि कांग्रेसी सदस्य जो बोल रहे थे उनको चेतावनी दी गई है कि क्या आप कम्युनिज्म लाना चाहते हैं ? तो इस प्रकार की बात करने से कम्युनिज्म आने का क्या आपको डर लगता है, क्या कम्युनिज़्म कोई भूत है जो सबको डस जायगा ? हमारा नारा है कि सबको रोटी मिले और साथ ही हमारा सिद्धान्त है कि खुद खाओ और दूसरों को खाने दो। तो यह जो सहकारिता का आधार है यह इसी सिद्धान्त के अन्दर है कि खुद खाओ और दूसरों को खाने दो। तो इस सहकारिता के आधार पर खेती का जो विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ वे प्रतिक्रियावादी हैं और ये प्रतिक्रियावादी कांग्रेस जैसी संस्था का दावा करते हैं। इस प्रकार के लोग जो सहकारिता के आधार पर खेती करने का विरोध करते हैं उनको कांग्रेस में भी रहने का नहीं है तो उनको कम्युनिस्ट बनने का तो अधिकार हो ही नहीं सकता।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : कम्युनिस्ट रहने का तो अधिकार है ?

श्री लच्छूराम : कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से ज्यादा प्रगतिशील है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह तो प्रगतिशील पार्टी कह रही है।

श्री लच्छूराम : हां, तो जो आदमी कांग्रेस में नहीं ठहर सकता उसको कम्युनिस्ट का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और भी आगे है। यह तो खेती का पहला ही कदम है। कम्युनिस्ट पार्टी इससे दस कदम और आगे है।....

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल के भाषण के बारे में ही कहें।

श्री श्रीभानसिंह : १० कदम आगे की बात कहें तो अच्छा रहे।

श्री लच्छूराम : मैं भाषण पर ही आ रहा हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : देर हो जायगी, समय कम है ।

श्री लच्छूराम : उपाध्यक्ष महोदय, समय कम नहीं है, लेकिन सुनने वालों की कमी है । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि विरोधी दल वाले अपना रोना रोते हैं । विरोधी दल वाले रोना इसलिये रोते हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है । समय की कमी नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष : भाषण पर बोलिये ।

श्री लच्छूराम : पंचायतों के बारे में नागोता ग्राम पंचायत के सरपंच की बात कहता हूँ जो प्रजातन्त्र के खिलाफ है । तहसील पंचायत ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा जो बोगस था, उसमें दम नहीं था । वह सरपंच सी० पी० ओ० के पास आता है और कहता है कि यह बेकार है । जिन्होंने प्रस्ताव रखा था वे उप मंत्री से मिल आये थे । सी० पी० ओ० उसको कहता है कि 'गेट आउट' तुमसे चार्ज पुलिस के सहारे ले लूंगा । एक तरफ आप प्रजातन्त्र में विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो आदमी पांच हज़ार व्यक्तियों द्वारा चुन कर भेजा गया है उसके विपक्ष में आप जाते हैं । इस प्रकार के हमारे पंचायत विभाग के काले कारनामे हैं ।

दूसरी बात शिक्षा की तरक्की के बारे में अभिभाषण में कही गई है और बताया गया है कि शिक्षा की तरफ हमने काफी तरक्की की है और प्रगति संतोषजनक है । लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान राजधानी से थोड़ी दूर परसरामद्वारा की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहां टीचर्स के लिये नोर्मल ट्रेनिंग स्कूल चलता है । उसमें १०० अध्यापक ट्रेनिंग पा रहे हैं । उनको चार कमरों में रखा जाता है । इस प्रजातन्त्र के जमाने में बीसवीं सदी में १०० आदमियों को चार कमरों में रखा जाना क्या कलकत्ता की काल कोठरी से कुछ कम है ...

श्री उपाध्यक्ष : कमरों की लम्बाई–चौड़ाई काफी होगी ?

श्री लच्छूराम : लम्बाई चौड़ाई कितनी हो सकती है, आप ध्यान लगाइये । परसराम-द्वारा में कमरे नहीं हैं घुमटियें हैं, उनमें कोई वेन्टीलेशन नहीं है । वहां पर पच्चीस-पच्चीस आदमियों को रखते हैं और उनसे तीन तीन रुपये महावार किराया लेते हैं । अध्यापक बेचारे बोल नहीं सकते । अगर वे बोलते हैं तो डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर उनकी जबान यह कह कर बंद कर देते हैं कि कुछ कहोगे तो तुमको नोकरी से निकाल दिया जायगा । उनको बेकारी का डर है । अध्यापक सोचते हैं कि बेकार हो जायेंगे तो कहां जायेंगे, इसलिये वे लोग अन्याय सहन करते हैं । इस प्रकार से शिक्षा की प्रगति सरकार की आपके सामने है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय तो और दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : समय और आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि समय कम होता जा रहा है ।

श्री लच्छूराम : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग का ऑपोजिशन काफी जोरों से हो रहा है और जो बिल है उसमें एक क्लॉज़ में अमेन्डमेन्ट करने की कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : सीलिंग के बारे में सिलेक्ट कमेटी के आप खुद मेम्बर हैं, मेरे ख्याल से।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं क्या ?

श्री लच्छूराम : अमेन्डमेन्ट नहीं ला रहा हूँ, इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं। योजना पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में काफी जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस दिशा में काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है बजट में गुन्जायश नहीं है। मैं बार बार सुझाव देता हूँ कि जागीरदारों और जमीदारों को जो मुआवजा दिया जा रहा है उसे १५ साल के लिये बन्द कर दीजिये और जो रुपया बचे उसे नहरों पर, कुंओं पर और अन्य कामों पर खर्च कीजिये, इससे डेवलपमेन्ट हो जायगा; लघु सिंचाई योजना चलाई जा सकती है। वैसे तो मुआवजा बिल्कुल नहीं देना चाहिये, लेकिन विधान के अनुसार उनको देना तो पड़ेगा, लेकिन १५ साल के लिये बन्द कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना तो काफी था लेकिन बार बार घंटी बजती है इसलिये मैं यहीं पर खत्म करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आबिदअली।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : The debate is to be closed at 2.30 perhaps ?

श्री उपाध्यक्ष : I am concious about it.

श्री आबिदअली : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के एड्रेस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद हम लोगों ने यह निश्चय किया कि हम लोग सोशियेलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ावें। इस तरह का एक निर्णय हमने लिया और उसको एचीव करने के लिये हमने अंत तक कोशिश की। जहां तक प्रिन्सिपल्स का सम्बन्ध है वहां तक समय मुझको इजाजत नहीं देता कि मैं उन प्रिन्सिपल्स पर रोशनी डालूं। लेकिन गवर्नर महोदय ने अपने एड्रेस में जो रूप-रेखा इम्प्रूवमेंट की, तरक्की की बताई है वह यकीनन धन्यवाद दिये जाने के काबिल है।

सबसे पहली बात लॉ एंड ऑर्डर की कही गई। हमारे माननीय सदस्यों ने बड़े ताज्जुब का इजहार किया कि लॉ एंड ऑर्डर पर प्रकाश डालने की यहां पर क्या जरूरत थी; पहले पहल अन्न की समस्या को लेना चाहिये था और इसी प्रकार की कई बातें यहां पर कही गई। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि डकैतियां बन्द नहीं हुई हैं और अब तक चल रही हैं, गवर्नमेंट के लाखों रुपये खर्च हुए और अब तक डकैतियां बन्द नहीं होने पाई, इसलिये धन्यवाद नहीं देना चाहिये। हमको बहुतसी जरूरी बातों पर वाद विवाद करना है, हमको सोचना है और यह देखना है कि यदि डकैती को

(श्री आविदअली)

रोकने में एक हद तक हमारी गवर्नमेंट कामयाब हुई है, डाकुओं के बड़े बड़े गिरोहों को खत्म करने में यदि गवर्नमेंट ने सफलता प्राप्त की है तो यकीनन हमारी गवर्नमेंट की तारीफ की जाय। ऐसा हो नहीं सकता कि इन्सान में कोई कसर नहीं हो। मनुष्य में कमजोरी है और यदि वह बोनाफाइड मिस्टेक्स नहीं करे तो आज आप और हम इस हाउस में कैसे बैठ सकते हैं? यदि हमारा दिमाग इतना कम्पलीट हो तो हम लेजिस्लेशन ऐसा बना दें कि उसमें कोई गलती नहीं। यदि ऐसा हो तो एक साल में ही हम सारा लेजिस्लेशन बना कर घर बैठें। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बोनाफाइड मिस्टेक्स होती हैं, भूलें होती हैं। इन सरकम्सटान्सेज में यदि हमारी गवर्नमेंट में बोनाफाइडी कमियें रहीं तो यह नहीं हो सकता कि.......

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): जान बूझ कर करे तो ?

श्री आबिदअली : पहले सुन लीजिये। यदि आज हमारे समाज में घुन लगा हुआ है, कमी और खराबी है और वह पूरे समाज में है तो यकीनन हम में भी है। यदि हम उन्हें देखें और ईमानदारी से सोचें तो यकीनन मानना पड़ेगा कि कमियें यकीनन जरूर हैं। आज उन खामियों की आलोचना करते हैं तो उनसे बचत हो सकती है अगर हममें इन्साफ है तो। इसलिए यदि कोई आदमी इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो पहले अपने गिरहवान में मुंह डाल कर देखे। पहले आप अपना सुधार करें, फिर दूसरी तरफ देखें। मेरा मतलब यह नहीं है कि हैल्दी क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने जानबूझ कर गलती की है तो हमारा हक होता है कि साफ तरीके से हम हाउस में कहें, पब्लिक में कहें, हर तरह से आलोचना करें, वरना सोसाइटी का और समाज का इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। यह मैंने सोसाइटी और समाज की बात कही, लेकिन मैं सबसे पहले लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती है, इसलिए जिस इन्टेलिजेन्स के साथ में कदम उठाना चाहिए वह नहीं उठा पाते और इसीलिए आज लॉ एन्ड ऑर्डर में कमी रहती है। मैं इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। यह ठीक है कि हमारी गवर्नमेंट ने डाकुओं का सफाया करने में एक हद तक सफलता प्राप्त की है लेकिन हमको यह भी देखना होगा कि लॉ एन्ड ऑर्डर के सिलसिले में महज़ डाकुओं को खत्म कर देना ही काफी नहीं है बल्कि हमको सस्ता न्याय मिले, हमको अच्छे और इम्पार्शियल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मिलें तो हम यह समझेंगे कि एक हद तक हमारे लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर लॉ एन्ड ऑर्डर को देखें तो इसे कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टीगेशन, प्रोसीक्यूशन। इसके बाद कोर्ट में आना होगा। वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है जहां हमको न्याय मिलता है। इस प्रकार लॉ एन्ड ऑर्डर के सम्बन्ध में हमें क्रिमिनल कोर्ट्स, पुलिस इन्वेस्टीगेशन, प्रोसीक्यूशन आदि के ऊपर तवजह देनी पड़ेगी। मैं निवेदन करूंगा कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है और कमी हो सकती है लेकिन सबसे बड़ी कमी मैं पाता

Page No.53

(श्री आबिदअली)

हूं कि हमारा स्टाफ एफीशियेन्ट नहीं है। मैं आज एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट करने की बात नहीं करता हालां कि आज़ादी के बाद हमारा लक्ष्य यह था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग कर देना है, लेकिन किसी कारण से एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग नहीं कर सके। आज इस स्टेज़ पर हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। आज एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी मिली हुई है और जहां तक क्रिमिनल पॉवर्स का सम्बन्ध है, आज जो रेवेन्यू ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ऑफिसर हैं उनके पास क्रिमिनल पॉवर्स हैं। जहां तक रेवेन्यू का ताल्लुक है, इसमें जितने राइट्स हैं, इनका डिटरमिनेशन और फैसला रेवेन्यू कोर्ट में होता है। अब यह देखना है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर कुर्सी पर बैठा है, क्या वह इस पोजीशन में है कि नई तरह से इन्साफ दे सके, यह बात सोचनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वे तहसीलदारों के कॉम्पीटिटिव एग्जामिनेशन से आते हैं, वे रेवेन्यू ऑफिसर आज आर. ए. एस. सिलेक्शन से आते हैं। आज इसका क्राइटेरिया क्या है? यदि कोई ग्रेजुएट, जिसका कानून से वास्ता नहीं है, साइन्स जिसका सब्जेक्ट है, आर. ए. एस. के एग्जामिनेशन में बैठता है और सीधा कोर्ट ऑफ लॉ में आ बैठता है, वह भी इस हालत में जब कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सेपरेट नहीं है, ऐसी हालत में कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसे ऑफिसर बैठें, जिनको कानून का ज्ञान नहीं, जिनका कानून से सम्बन्ध था नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक नहीं जानता या कोई रॉ-हैंड कानून पास करके आता है, उसको आपने कुर्सी पर बैठा दिया, ऐसी हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उसमें केपेबिलिटी नहीं है, उसमें एफीसियेन्सी नहीं, कानून की बारीकियों को वह अडोप्ट नहीं कर सकता। जो इस प्रोफेशन को करने वाले हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वे इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि महज टिनेन्सी एक्ट की मास्टरी करने से काम नहीं हो सकता। अगर कोई मुकद्दमा आयेगा तो उसे एवीडेन्स एक्ट देखना होगा, उस ऑफिसर को पार्टनरशिप एक्ट भी देखना होगा, लिमिटेशन एक्ट भी देखना होगा। आप बताइये कि जो ऑफिसर सिर्फ लॉ ग्रेजूएट है, जो सीधा आ गया है, वह उस कुर्सी पर बैठता है, वह तमीज नहीं कर सकता, यकीन करिये, उपाध्यक्ष महोदय, कि बड़े बड़े ऑफिसर फैक्ट अन्डर इश्यू और रेलेवेन्ट इश्यू के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए ही जो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ होती हैं उनमें इन्साफ नहीं मिलता है। यही वजह है कि मैं आपके सामने कहता हूं कि वे ऑफिसर तमीज नहीं कर सकते कि कौनसी चीज़ रेलेवेन्ट है, कौनसी चीज़ इर्रेलेवेन्ट है, इसमें इश्यू कौनसा है, कौनसी चीज़ इन्वोल्वड है, कौनसी नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जिस तरह जुडिशियरी में सलेक्शन का एक तरीका है, वही तरीका एग्जीक्यूटिव के अन्दर भी जरूर अपनाना चाहिए। वह तरीका यह है, आप हाई जुडिशियल सर्विस को देख लीजिये, मुंसिफी इजलास की जुडिशियल सर्विस को देख लीजिये। जो बार एसोसियेशन के मेम्बर हैं, उनके लिए एज का रिलेक्सेशन होता

(आबिदअली)

है। जब दूसरी तरफ देखते हैं कि जो आर० ए० एस० पोस्ट्स पर बार एसोसियेशन के मेम्बर हैं, वे एक्सपीरियेन्स्ड होते हैं और जैसा मैंने पहले बताया है वे पब्लिक की भावनाओं को जानते हैं, ऐसे बार एसोसियेशन के मेम्बर जो रूट ऑफ लॉ होते हैं को आर० ए० एस० का चान्स नहीं मिलता है। आप देखिये कि एक व्यक्ति ने २३ साल की उम्र में एल०एल० बी० पास किया, २६ साल की उम्र में उसने बार जोइन की, लेकिन चूंकि वह २५ साल से ऊपर है, इसलिए कॉम्पीटिटिव एग्जामिनेशन में अपीअर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुडिसियल लाइन में, मुंसिफी में कॉम्पीटिटिव टेस्ट्स होते हैं, उनको एज का रिलेक्सन दे दिया जाता है और कोई आदमी ३० साल की अवस्था तक एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप डेटा मंगवा लीजिये, जो बार-एसोसियेशन से सिलेक्ट हुए जज जाते हैं, वे कोर्ट ऑफ लॉ में अफीसियेन्ट साबित होते हैं, वे लॉ को एप्रीसियेट करने की बेटर पोजीशन में होते हैं। इसके साथ ही साथ वे पब्लिक सेन्टीमेन्ट्स से वाकिफ होते हैं। इसके साथ ही यह भी ट्रुथ है कि वे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के सामने लीगल पोजीशन रखते हैं, कानून का एप्रीसियेशन करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसे पसन्द नहीं करते हैं और वे एग्जीक्यूटिव ढंग से सोचते हैं। बताइये आप, डेमोक्रेसी हर देश में लॉ एण्ड ऑर्डर पर बैस करती है; यह बुनियाद है डेमोक्रेसी की। जिनका कोर्ट ऑफ लॉ से ताल्लुक पड़ा है, वे जानते हैं कि हमारे ऑफिसर्स कानून को एप्रीसियेट करने की पोजीशन में नहीं हैं, वे लोग एग्जीक्यूटिव के अन्दर आ जायें तब फिर इन्साफ कैसे मिल सकता है ? इसलिए आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहला सुझाव मेरा यह था कि आर० ए० एस० के लिए तहसीलदारों के जो कॉम्पीटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, अगर उनमें अपीरअ होने के लिए बार एसोसियेशन के मेम्बर्स को एज का रिलेक्शेसन दिया जाता है जिनमें आज एफीशियेन्सी है, केपेबिलिटी है। वे अगर टेस्ट में अपीअर हो सकते हैं तो वे आगे आ सकते हैं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता था लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप अभी डेटा हाई कोर्ट से मंगवा लीजिये। आपको मालूम होगा कि कुछ लोगों की सात साल की स्टेंडिंग है, वे सेशन जज बन सकते हैं, लेकिन सात साल में वे आर. ए. एस. नहीं बन सकते। इसके साथ ही साथ मैं इन्वेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन की बात आपके सामने रख रहा था। इन्वेस्टीगेशन में यह होता है कि एक रॉ हैंड पी० आई० की पोजीशन में चले जाते हैं लेकिन उनको तरीका नहीं मालूम होता है। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं इन्सटान्सेज नहीं बताता वरना मैं आपके सामने इन्सटान्सेज कोट करता। एक बोगस चालान एस० आई० पेश कर देता है, वह उसको वापिस लेने की जुर्रत नहीं कर सकता। वह चालान कोर्ट में पेश हुआ और केश मिजरेबली फैल हो जाता है। अगर इन्वेस्टीगेशन को अच्छी तरह किया जाय तो एक हद तक करप्सन कम हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मैं अर्ज करूं कि कोर्ट में रिमार्क्स भी पास होते हैं। जो एफीसियेन्ट ऑफिसर होता है, वह स्ट्रक्चर पास करता है कि पी० आई० ने फलां मुकदमा पेश किया उसमें

(श्री आबिदअली)

फलां जगह इन्वेस्टीगेशन होनी चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि आज जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ठीक ढंग से इन्वेस्टीगेशन नहीं होता। अगर ठीक तरह से इन्वेस्टीगेशन हो जाय तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक हद तक जो करप्सन आज प्रिवेल करता है उसे रोका जा सकता है। इस मुख्तसिर समय में जो बात मैं निवेदन कर रहा था, वह है लॉ एण्ड ऑर्डर की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के सम्बन्ध में।

दूसरी बात जो गवर्नर साहब के एड्रेस में कही गई है, वह है सेटलमेंट के बारे में ... उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है और मुझे बड़ा संतोष है। मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूं, मगर मैं अपने आपको सारे राजस्थान का नागरिक मानता हूं। सवाई-माधोपुर की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है, यह कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जो वहां के लोकल लोगों की समस्या है उसको भी मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं। हमारे यहां सीमेन्ट फैक्टरी का निर्माण हुआ है और वह एशिया की सबसे बड़ी फैक्टरी है। हमको इससे खुशी होनी चाहिये और मेरी व्यक्तिगत राय यह है इससे सवाई माधोपुर का नाम रोशन है। हम इस कार्य को लार्जर इन्टरेस्ट की निगाह से देखते हैं। अगर वहां के लोकल पीपल्स की हालत को देखें तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस फैक्टरी से वहां के लोकल पर्सन्स को कोई फायदा नहीं है। वहां पर ६ हजार आदमियों को काम मिला हुआ है लेकिन इन ६ हजार मजदूरों में सवाई माधोपुर इग्नोर करता है। आपको इस फैक्टरी में एक प्रतिशत ऐसे लोग मिलेंगे जो सवाई माधोपुर के हों बाकी सभी लोग आपको बाहर के मिलेंगे। क्या सवाई माधोपुर में ग्रेजुएट नहीं मिलते, क्या इन्टरमीजिएट नहीं मिलते? मिलते हैं, लेकिन वहां का मैनेजमेन्ट बिग-गन्स के हाथों में है और वे लोग बाहर वालों को ही लेते हैं। यह एक ट्रुथ और नेकड ट्रुथ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं यही कहूँगा कि लोकल पोपुलेशन को इससे कोई लाभ नहीं है। जिस ढंग से लोगों को वहां फायदा मिलना चाहिये नहीं मिल रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि आज सीमेन्ट की फैक्टरी इन्डिया में बड़ी फैक्टरी है और इसको सहयोग मिलना चाहिये। जरूर मिलना चाहिये यह हम चाहते हैं। मगर उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां कानून बनते हैं उसमें सबसे पहले प्रपोजल बनते हैं और उसके बाद में इम्पलीमेन्टेशन होता है। मगर हम यह देखते हैं कि फैक्टरी में सबसे पहले इम्पलीमेन्टेशन होते हैं। उसके बाद वायर पुलिंग होता है और फिर मंजूरी होती है। अभी एक स्थान से पाइप १२ या १३ मील तक लगाना था। बड़े बड़े नल डाल दिये गये। खेतों में कोई एतराज करते तो कहते कि इनको क्लेक्टर के पास ले जाओ। जब तक पूरा निर्माण न हो जावे उसकी सेंक्शन की जरूरत नहीं। भलां कोई ऐसा कर सकता है? लार्जेस्ट इन्डस्ट्री को ऐसा नहीं करना चाहिये। अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो ऐसा नहीं होना चाहिये और सीमेन्ट फैक्टरी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट और चाहिये।

(श्री आबिदअली)

दूसरी बात और सीमेन्ट फैक्टरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा एस्पेक्ट जो मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर बिल्डिंग्ज के लिये सारे सामान की आवश्यकता वहां से पूरी नहीं हो सकती है। बजरी, पत्थर और कई दूसरी चीजें हैं जो आस पास से आती है। इस सम्बन्ध में सीमेन्ट फैक्टरी वाले क्या करते हैं कि आस पास से बजरी ले आते हैं। आज एक गुटेल पंचायत क्षेत्र है, वहां से हजारों रुपयों की बजरी ले आये, उन्होंने उनको नोटिस दिया। मैं एक बात सरकार से निवेदन करूंगा कि पब्लिक में इस प्रकार की भावना बन गई है कि जब कभी भी कोई ऑफिसर आता है तो सीमेन्ट फैक्टरी में उनको चाय पिला कर खुश कर दिया जाता है। इस प्रकार की जनरल ओपिनियन बन गई है। पंचायत ने टैक्स लगाया और कार्यवाही की। अचत तीन साल हो गये हैं। जब कार्यवाही शुरू की तो उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। उनको आज स्टे ऑर्डर मिल गया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर पंचायत का निर्णय तो होना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति है मगर यह जरूर कह सकता हूँ कि उनको स्टे ऑर्डर मिल गया है। ३० हजार रुपये की डिमान्ड थी। वे उसको पाँच हजार रुपयों में राजी करने की बात करते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : ५ लाख का फैसला हुआ है वह भी तो बता दीजिये।

श्री आबिदअली : इसी तरह से दूसरा पंचायत क्षेत्र है गरहनपुर, वहां से भी लाये, उसका भी पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा कन्सर्न है। पंचायतों का निर्माण हो रहा है और पंचायतों का इनिशियल स्टेज है उनको कोऑपरेशन मिलना चाहिये अगर उनको कोऑपरेशन नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ कि प्रजातन्त्र में यह सबसे बड़ी...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सुझाव मैंने आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाये हैं उन पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

We are concluding the debate at 2. 30 p. m.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण होने के बाद हमने यह कोशिश की कि इसमें कुछ खामियें तलाश करें, परन्तु हमें तो सिर्फ एक ही कमी दिखाई दी और वह सिर्फ भाषा की। अगर मैं इसको और कुछ न कह कर इन्टरनेशनल भाषा कहूं तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी भाषा में तो मुझे सदन में बोलने में डर था लेकिन इससे कम से कम मेरा डर तो दूर कर दिया। इसलिये मैं कम से कम इस भाषा में बोलने की हिम्मत कर सका हूं। दूसरी बात खास तौर से कहने की अभी अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य श्री आबिदअली साहब ने और दूसरे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें बताई भ्रष्टाचार के बारे में वे बातें ऐसी थी जो हमें कहनी चाहिये थी और उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि उन्होंने

(श्री अर्जनदास)

गलतियें की हैं तो उनका दोष नहीं है दोष हमारा ही है ।

श्री आबिद्अली : यह आपकी समझ में नहीं आया ।

श्री अर्जनदास : वह बात जो उन्होंने कही उसके लिये मुझे एक बात याद आ गई कि एक आदमी था, जिसके बच्चा होता ही नहीं था। बच्चा कई वर्षों में नहीं हुआ था। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि यह मेरा दोष नहीं यह मेरे पड़ोसियों का दोष है, अगर मेरे बच्चा नहीं होता है। गलतियें करें वे लोग और जुर्म अपना बतावें। हमारा इसमें क्या कसूर है ? उनको समर्थन करना था तो कर दिया यह उनकी मजबूरी थी। हमारे सामने कोई शिकायत नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस और दूसरे बातों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, निपोटिजम, फेवरिजम चल रहा है, इसका खास और विशेष कारण तो एक ही है, वह यह है कि हमारे कर्मचारी ऐसे हैं, मगर मेरे ख्याल से उनके लिये ऐसा कहना उचित नहीं होगा। पहले हमें देखना होगा कि माननीय मंत्री के आदमी खुद इसमें किया करते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देकर बताना चाहता हूं कि ज्यादा खराबियें हमारे यहां राज्य में चल रही हैं उसका परिणाम वहां से शुरू होता है और बाद में हमारे यहां शुरू होता है। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि अभी अभी एक अजमेर शहर में चेयरमैन का चुनाव चल रहा था, उसमें एक सदस्य लेखराज ढ़ढ़ा का भाई यू. डी. सी. उस डिपार्टमेंट में था। श्री ढ़ढ़ा पर दबाव डालने के लिये कि वह अपना वोट उस आदमी को न दे क्या किया जाता है कि उस यू. डी. सी. का अजमेर से तबादला झुंझुनूं कर दिया जाता है। यह कौनसा कानून है कि एक यू. डी. सी. को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बदल दिया जाए ? मैंने तो कभी नहीं देखा। कम से कम माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहूंगा कि ऐसा नहीं होगा कि उनको इस प्रकार का अख्तियार है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यू. डी. सी. जैसे कर्मचारी का तबादला करें। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ठीक क्या हुआ है, मैं जानता हूं और विश्वास से जानता हूं कि मंत्रीमंडल से आवाज पहुँची उधर कि ठक्कर मोतीराम का तबादला कर दो ताकि उसका भाई मजबूर होकर वोट दूसरी तरफ न देकर इस तरफ दे।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : On a point of information, Sir, इतना कहना चाहूंगा कि इस तबादले पर जो मोटिव लगाया जा रहा है वह गलत है। वह आदमी अर्से से वहां पर था और वहां पर एक क्लिंग बना हुआ था सेल्स टैक्स की प्रेक्टिस करने की और उसके जरीये से एक प्रेक्टिसनर को मदद करता था। उसकी शिकायत जरूर मैंने सरकार के पास पहुंचाई। वह आदमी आठ साल से एक ही जगह पर था और एक स्टेट-राज्य बनाये हुए था।

श्री उपाध्यक्ष : That will do.

श्री अर्जनदास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे काफी खुशी हुई। मुझे जिस चीज़ का सबूत नहीं मिलता था, उसका सबूत अभी अभी सदन में मिल गया। पहले मुझे उम्मीद थी इसके तबादले में सेक्रेटरी का हाथ है...

श्री ज्वालाप्रसाद : जब तक इसके...

(घंटी)

(बाधा)

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री अर्जुनदास : ऐसे बोलने से मुझे खुशी होती है, आप अपनी राय जाहिर कर दें।

श्री ज्वालाप्रसाद : जितनी बात थी उतनी कह दी, फिर भी शुक्रिया एक्सेप्टेड है।

श्री अर्जुनदास : Thank you very much.

(बाधा)

सेक्रेटरी ने बताया, कोशिश करके तबादला बताया...

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir, I am a Member here, not a Secretary.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री अर्जुनदास : You can never cease to be a Secretary. You can never......

श्री उपाध्यक्ष : Order please. The Hon'ble Member will not directly address the other Hon'ble Member.

श्री अर्जुनदास : Sorry, Sir, I should have addressed through you, Sir. अभी अभी जो यह राज था, शाया हो गया कि माननीय सदस्य नसीराबादी ने ... कोशिश करके उसका तबादला करा दिया क्योंकि माननीय सदस्य...

(बाधाएं)

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं इसका कोई कारण नहीं देखता। ऐसी शिकायत सरकार के पास पहुंचाना, मैं अपना फर्ज समझता हूं।

श्री अर्जुनदास : लेकिन आपने यह नहीं बताया कि कौन से कानून से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तबादला हो सकता है। ऐसी बात बताते कि गवर्नमेंट को अधिकार है तो मैं दुबारा शुक्रिया अर्ज करता। माननीय सदस्य नहीं बता सकेंगे क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं। खैर, उसको छोड़ दीजिये। आखिर मंत्रीमंडल से ऐसी सूचनायें दी जाती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? एक अफ़सर आज मंत्रीमंडल की बात स्वीकार कर काम करता है तो आपको यह विश्वास होना चाहिये कि दो बात की बेईमानी अपनी तरफ से भी कर लेगा। फिर मंत्री को कहेगा कि एक मैंने अपनी तरफ से की और वह आपको स्वीकार करनी पड़ेगी ऊपर वाले ही कैसे रुके, यह देखना है। ऊपर वाले नहीं रोकना चाहते तो नहीं रोक सकते। ऊपर वाले नहीं करेंगे तो नीचे वालों को भी नहीं करने की आदत होगी।

एक बात और बता दूँ। अजमेर शहर में गर्मियों में हैड कॉन्स्टेबल और एक कॉन्स्टेबल शराब पीकर रात को डंडे लेकर चौराहे पर खड़े हो गये। बगैर किसी बात के आने जाने वालों के साथ मार पीट की और एक हरिजन की अंगुली काट दी, आइ मीन फैक्चर कर दी। मैंने खुद जाकर रिपोर्ट की। आज दस महीने हो गये लेकिन आज तक

(श्री अर्जुनदास)

कोई कार्यवाही नहीं हुई। चलते रास्ते लोगों को बिना किसी बात के पीट दिया। एक हैड कॉन्स्टेबल खिल्लनसिंह और कॉन्स्टेबल नत्थूसिंह ने मार पिटाई की। क्योंकि वे जानते हैं कि मंत्रिमंडल बेईमानी करने का आदेश करता है तो जब हम करते हैं तो हमारी बेईमानी पर आंख बन्द कर दें। यह हाल होता है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गोल्ड का स्मग्लिंग खूब चल रहा है और खास कर राजस्थान के बोर्डर पर। लेकिन मैं कहता हूं कि जब से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आई, खास कर अयूबखां के आने के बाद वहां से स्मग्लिंग बन्द हो गया। क्योंकि हमारे पास केसेज़ नहीं आते। वह बन्द क्यों हो गया कि ....

(हंसी)

If the head is strict, the people are bound to be strict. सिर हिलता रहेगा तो पांव पहले से ही हिलते रहेंगे। इसलिए कमियां हैं, दिखाई देती हैं, उनके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि हैड को कन्ट्रोल करना। हैड को कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर नीचे के कर्मचारियों के लिए कहना बेकार है। वे करते रहेंगे, मजबूरन अपनी कलम एक तरीके से चलानी ही पड़ती है।

इस भाषण में खास तौर पर कहा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। मैंने कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखने की कोशिश की है और मेरा प्रेक्टिकल अनुभव है कि आम तौर पर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं एक ही दृष्टिकोण से कि किस तरीके से गवर्नमेंट से लोन लेना और दूसरी क्या सुविधायें लेना। वास्तव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ राजस्थान में हैं, इयरली वर्किंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मेरे ख्याल से २ पर्सेन्ट कहूं तो खुद को ही एग्जाजरेशन लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो आज हिन्दुस्तान में पोजिशन है उनसे हिन्दुस्तान में सफल नहीं हो सकते। इनका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि गवर्नमेंट से लोन लेना, पर्मिट लेना और बना देना। लेकिन मेम्बर कौन होंगे? खुद, उसकी लुगाई, उसकी बेटी, उसका जंवाई। ऐसे तीन चार नाम देकर बना देंगे।

(हंसी)

कहीं अजमेर में होगी, कहीं नसीराबाद में होगी, और कहीं होगी। ऐसा बना कर, गवर्मेंट से पर्मिट, लोन लेने का उचित तरीका यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे दें और हरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे दें तो पर्मिट फौरन मिल जावेगा। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम लेना जनता को धोखा देना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी नहीं बढ़ सकती, जब तक हिन्दुस्तान में पूरी एजुकेशन न आ जावे, वरना झूठे स्लोगन देकर अपनी कुर्सी कायम रखने की कोशिश करना है। स्लोगन तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कम हुआ है तो एक या दूसरा स्लोगन देते हैं, यह इसलिए Co-operative Society is more of a slogan on the side of the Government and more of a means to take undue advantage on the side of the masses. Therefore, earlier we forget the idea of Co-operative Societies better it will be.

एक खास चीज़ जो मैंने देखी इस भाषण

(श्री अर्जुनदास)

में, कि राज्यपाल महोदय ने हरिजनों वगैरह के लिए तो काफी बताया, परन्तु मुझे अफसोस है कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिये कोई महत्व की चीज नहीं बतायी। क्यों नहीं बतायी ? इसलिए कि गवर्नमेंट की आंख उस तरफ खुली हुई नहीं है, ज़रूर बन्द हो गई है। अगर गवर्नमेंट अपनी आंख खोलने की कोशिश करे तो उधर काफी काम हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। चुनाव के समय हर टाइम कहते थे कि यह करेंगे, परन्तु अफसोस है कि गवर्नर के भाषण में कोई बात उनके लिए नहीं बतायी जैसे पंचो को भूल ही गये।

(हंसी)

I am sorry, Sir, because you had said that at 2. 30 we have to......

श्री उपाध्यक्ष : Yes, it is proper time for you to conclude your speech.

श्री अर्जुनदास : Thank you, Sir. With these words I take my seat and request the Government to rise to the occasion and do something for the displaced persons also.

श्री श्रीराम बासोतिया (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार रोज पहले अपना नाम बोलने के लिये लिख कर दिया था, किन्तु आज तक मुझे समय नहीं दिया गया बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : आप ही केवल ऐसे सदस्य नहीं है जिनको बोलने के लिये समय नहीं दिया गया है। कई माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया था और बराबर मांग करते रहे, फिर भी उनको मौका नहीं दिया जा सका।

श्री श्रीराम बासोतिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देख रहा हूं कि जो माननीय सदस्य आज ही आये हैं उनको तो आपने बोलने का समय दिया लेकिन चार रोज़ से लगातार कई उठक-बैठक लगायी लेकिन समय नहीं मिलता है तो यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order,! Order !! माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बराबर १७ तारीख से इस इन्तज़ारी में हैं कि उनको बोलने का समय दिया जायगा लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : The Chair has to look to the convenience of the entire strength of the House.

श्री श्रीराम बासोतिया : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !!

श्री मुकिलाल मोदी : इतनी देर में तो ये बोल लेते।

श्री उपाध्यक्ष : Order please. The Chair is on its legs. Hon'ble Members will please observe decorum.

श्री श्रीराम बासोतिया : मैं आपके

(श्री श्रीराम बासोतिया)

इस निर्णय के विरोध स्वरुप सदन से वाक-आउट करता हूं और अन्य सदस्यों से भी मेरे साथ देने को अपील करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Hon'ble member may go out and may come in. It is his discretion.

श्री लच्छूराम : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने सब से पहले अपना नाम बोलने के लिये दिया था लेकिन इनको बोलने का समय नहीं दिया गया, इसलिये मैं भी वाकआउट करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आप तो काफी बोल चुके हैं।

श्री अर्जनयास : I am also going out Sir, but not on walkout.

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर साढ़े तीन रोज़ से चर्चा चल रही है और उस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रगट किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात कहने में खुशी है कि इस बार बहस का स्तर अच्छा रहा है...

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : क्या बहुत खराब रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह कहा है बहुत अच्छा रहा है। इसका कारण यह है कि...

एक माननीय सदस्य : आपके विभाग के लिये कम कहा गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका कारण निश्चित रूप से मैं जहां तक समझ पाया हूं वह यह है कि इस बार राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दो-तीन ऐसी पॉलिसीज़ का दिग्दर्शन कराया है, जो हमारे राजस्थान के लिये ही नहीं बल्कि देश में जिस समाजवाद की स्थापना हम करना चाहते हैं उस ओर ले जाने की बात इसमें कही गई है, ये बातें बहुत अहमियत रखती हैं। सदन के माननीय सदस्यों ने कुछ को छोड़ कर इसको एप्रीशियेट किया है और उस पर अपने-अपने विचार भी प्रगट किये हैं। खास तौर से जो बातें इस भाषण में कही गई हैं हमको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के अन्दर बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और कुछ बातें कही हैं।

मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े देते हुए, दूसरे देशों के, यह बात रखी है कि हमारे यहां एक एकड़ की प्रोडक्शन दूसरे देशों की अपेक्षा कम है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। देश की आज जो सब से बड़ी मांग है, वह यह है कि हमारी जो योजनायें समाजवादी समाज के बनाने के लिये चल रही है उन सब योजनाओं की आधारभूत शिला है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जब तक देश का खाद्य उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जब देश इस मायने में खुद आत्म निर्भर नहीं होगा, तब तक हमारी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

योजनायें अधूरी रहेगी। ये बातें बिल्कुल तथ्य की बातें है। जहां तक एग्रीकलचर प्रोडक्शन का सवाल है, उसको बढ़ाने के लिये रात-दिन कृषि विभाग प्रयत्न कर रहा है। इसके लिये इनडिविज्युअल की तरफ से जो फॉर्म्स हैं उनमें एवरेज प्रोडक्शन काफी ऊंचा आया है। वे उन इलाकों में हुआ है जहां का किसान कुछ जाग्रत है, जिसको आधुनिक उपकरणों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जिन्होंने विज्ञान की कुछ बातों को अपनाया है, जिन्होंने सुधरे हुए बीज का प्रयोग किया है, फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया है। जहां जहां भी इन बातों पर ध्यान दिया है वहां-वहां प्रोडक्शन बढ़ा है और ऐसे इलाके देखे हैं जहां पर एक एकड़ में साठ-साठ मन गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है। यह इस बात की ओर संकेत करता है जिन लोगों ने हमारी स्कीम्स को समझा है और उन्नत तरीके के बीज को अपनाया है उन लोगों की पैदावार काफी बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर आबादी गांवों में रहती है, उन लोगों के पास एप्रोच करके हमें उनको इन बातों के बारे में जानकारी देनी चाहिये। गांवों के लोग शिक्षित भी नहीं है जो इस प्रकार का ज्ञान किताबों के ज़रिये प्राप्त कर सकें। हमने पिछले दिनों में एक्सटेंशन सर्विसेज़ चालू की हैं, लेकिन वे इतनी पर्याप्त नहीं है जो हमारा एग्रीक्ल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर उन लोगों की मदद कर सके या ग्राम सेवक सब लोगों को इनडिविज्युअल तौर पर जाकर जानकारी दे सके। जहां तक उनसे बन पड़ता है वे इस बात का प्रयत्न करते हैं। ब्लॉक क्षेत्र में अब लोग काम करने लगे हैं, जिन लोगों ने इन बातों के बारे में दिलचस्पी ली है वहां से अच्छे रिज़ल्ट्स आये हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जहां कि वे रहते हैं, एक लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको इन बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां-जहां विकास योजनाओं का काम चल रहा है, वहां इस प्रकार के ज्यादा साधन उपलब्ध हैं। जहां विकास योजना नहीं चल रही है उन उन इलाकों में कम साधन उपलब्ध हैं। कुछ बातें ऐसी है जिनको यदि सुचारू रूप से लोगों को बतायी जाय तो हमारा एग्रीक्ल्चर प्रोडक्शन के बढ़ने में काफी मदद मिल सकती है।

मिसाल की तौर पर मैं अर्ज करूं। मेड बन्दी का हमने एक प्रोग्राम दिया कुछ इलाकों में, जहां के किसानों ने इस प्रोगाम की तरफ ध्यान दिया। जहां मेड़ बन्दी का काम हुआ उस इलाके में एक बार सिंचाई की जरूरत तक नहीं रही, पानी का जमीन में अच्छा कन्ज़र्वेशन हुआ।

इसके अलावा दूसरी बातें जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वह है एग्रीक्ल्चर प्रेक्टिसेज़ के बारे में, जो बुनियादी चीज़ है, जिसकी ओर हमें ज्यादा ध्यान देने की बात है वह यह है, हमारे जयपुर इलाके में, जिसका मैं बहुत दौरा कर चुका हूं। इसके अलावा अलवर का इलाका, कोटा बूंदी का इलाका है जिसमें लोग लाइन सोइंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह तो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बहुत इलिमेंटरी बात है। मैंने खरीफ की फसल में सिरोही के इलाके में देखा है; लोग लाइन सोइंग नहीं करते हैं बल्कि यों ही हाथों से बीज उछाल देते हैं। मर्ज़ी आये जहां बीज पड़ जाय, कोई मतलब नहीं है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां खरीफ की फसल होती है, वहां लोग निदान करना तक नहीं जानते। निनाण करीब-करीब राजस्थान के पांच सात ब्लॉक्स में नहीं होता है। इससे खरीफ की खेती को कोई सफलता नहीं मिलती। जहां निनाण होता है वहां का प्रोडक्शन भी बगैर निनाण की हुई जगह से ज्यादा होता है। यह आप प्रेक्टिकल करके देख सकते हैं, एक ही खेत के पास दूसरा खेत ऐसा है, निनाण किया जाता है वहां जब कि बिना निनाण किये हुए खेत में बीस सेर अनाज पैदा होता है तो निदान किये हुए खेत में एक मण तक अनाज पैदा होगा। तो यह पोटेन्शियलिटी की बात हुई। इसमें न बैटर खाद की ज़रूरत पड़ती है, न धन की आवश्यकता है। सिर्फ अक्ल की ओर जोर देने की आवश्यकता है।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : निनाण का नया तरीका निकला है क्या? यह तो सदियों से सदा से चलता आया है, सब जानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कई लोग आज भी अज्ञान में बैठे हैं। कई इलाकों में लोग नहीं करते, आपके ही इलाके में लोग अधिकतर नहीं करते। यह आप लोगों के करने का काम है, आप उनको बतावें। मैं इस पर जोर देता हूं कि एम. एल. एज़. लोगों को इसका महत्व बतावें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Is it not the duty more of the Agriculture Department than the individual farmer?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीकल्चर विभाग वाले तो कहते ही हैं। यहां हम फालतू की बातें ज़्यादा न करके अगर लोगों को इस बारे में कहें तो...

श्री श्रीभानसिंह : I protest, Sir, and seek the protection of the Chair. The Hon'ble Minister has used the words 'फालतू की बातें' I place myself under the protection of the Chair.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'फालतू की बातों' से मेरा मतलब यह है कि बहुत सी छोटी-छोटी बातें न भी कहें तो अपना मतलब चल सकता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बैठिये तो सही। I beg Sir, that these words be expunged.

श्री श्रीभानसिंह : In due humility, Sir, I submit that the Hon'ble Minister used the words, 'फालतू की बातें' I again place myself under your protection and seek that either the Hon'ble Minister should explain these words 'Phaltu ki baten'. These words are unparliamentary.

श्री नाथूराम मिर्धा : आप फालतू से यह समझते हैं कि सब बातें फालतू हैं, यह मेरी मंशा नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : I just enquired from the Hon'ble Minister how the

(श्री श्रीभानसिंह)

Agriculture Department had done this propaganda about this work and on that the Hon. Minister remarked that :—

"आप फालतू की बातें न करें।"

I object about this, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I am taking the objection.

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। अगर फिर भी आप यह समझते हैं तो मैं अपने शब्द वापिस ले लेता हूं। हम यहां बहुत सी छोटी मोटी बातें ज़ोरों के साथ में कहते हैं, उनको महत्व देते हैं पर वास्तव में उनका अधिक महत्व नहीं है कि जो प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा असर डालती हों। इसलिये मैं ज़ोर दे रहा था कि हमें कुछ ऐसी बातें करनी चाहिये जिनसे वास्तव में प्रोडक्शन में वृद्धि हो। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये सदन से निवेदन कर रहा था कि विभाग वाले भी इन बातों पर जोर दे रहे हैं और उनके प्रयत्नों का फल भी नज़र आ रहा है। तो और भी ज़्यादा अच्छा हो अगर वे बातें आप लोगों के जरिये भी किसानों को सप्लीमेंट की जावें, यह मेरे कहने का मतलब था।

तो मैं आपके सामने यह निवेदन कर रहा था कि एग्रीकल्चर पोटेन्शियलिटी बढ़ाने की सरकार की जो योजना और स्कीम है वह बराबर आगे बढ़ाई जा रही है।

तकावी देने की बात कही गई। कुछ तकलीफें आती हैं हर काम में। पर फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि हमने इसके प्रोसीजर को काफी सिम्प्लीफाईड और एक्सपीडिशस करने के लिये यह व्यवस्था कर दी है कि तहसीलों में, तकावियां देने के लिये तहसील का सरपंच, एम. एल. ए., तहसीलदार आदि अधिकारी मौके पर जाकर प्रोसीजर के मुताबिक पूरी खाना पूर्ति कर लें और उनको मौके पर रकम दे दी जावे। ज्यादा इन्स्टालमेंट भी नहीं करके दो में दे दी जावेगी। इसका परिणाम भी निकला है। कुंए भी ज्यादा बने हैं और जितना काम इस विभाग ने किया है एग्रीकल्चर पोटेन्शियल और प्रोडक्शन बढ़ाने का उसके बारे में चाहे गवर्नर महोदय के भाषण में कहा गया है चाहे सरकार के विभाग ने काफी प्रगति इस दिशा में की है। सीकर और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत किये। गवर्नर महोदय के भाषण के आंकड़े क्वार्टरली रिव्यू के आंकड़े बताये। उनमें उनको ऐतराज़ था। कहा गया कि आंकड़े सही आने चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि पोटिशियलिटी आने वाले सालों की बताई जा सकती है। एक्चुअल प्रोडक्शन के फिगर्स तो बाद में ही बताये जा सकते हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : एस्टीमेटेड फिगर्स। ये तो पहले बताये जाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोडक्शन के फिगर्स पिछले साल के निकले हैं, एस्टीमेट एक्चुअल फिगर्स में से निकलते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : एस्टिमेटेड फिगर्स पहले निकलते हैं। My objection was this, increase in potential capacity.

(श्री पी. के. चौधरी)

जब हम जानते हैं कि २० पर्सेन्ट से ज़्यादा यूटीलाइजेशन नहीं होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के फ़िगर्स का तो रोंग फ़िगर्स देने से क्या फ़ायदा ? It means a wrong picture.

श्री नाथूराम मिर्धा : रोंग फ़िगर्स क्यों हुए ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप नहीं जानते, आपके ऑफ़िसर्स जानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहली योजना में जो एग्रीकल्चर प्लान के नीचे प्रोडक्शन के फ़िगर्स २ लाख टन एडीशन हमने माने थे उसके बजाय ३.३ लाख का क्लेम कर दिया, प्रथम योजना काल तक।

श्री पी. के. चौधरी : I am referring to page 4 of your Progress Report on the Plan. Your figures say that you have acheieved only 2 lakh tons. In 1952-53, it was 32 lakh tons......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : That is a total Production, not potential.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस फ़िगर्स की बहस में पड़ने लगेंगे तो, इसके सारे आंकड़े निकालना बड़ा मुश्किल हो जावेगा। जो आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वे अगर किसी किताब से मेल नहीं खाते हैं तो माननीय सदस्य बाद में बैठ कर मेरे से बात कर सकते हैं। पहली योजना में ऑर्डिनरिली दो लाख टन प्रोडक्शन ज़्यादा बताने की बात सोची थी और इसके एवज़ में ३.३ लाख टन का ज़्यादा प्रोडक्शन हमने बढ़ाया। दूसरी योजना के बारे में जो हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये मंसूरी कॉन्फ्रेन्स में निश्चत किया था, पहले ६॥ लाख टन की बात थी पर कुछ फ़िगर बढ़ाया गया और राजस्थान में जो फ़िगर मन्जूर किया १.१२ लाख टन का वह सेकन्ड प्लान के एण्ड तक बढ़ाने का राजस्थान ने आंकड़ा दिया और इसको हमने मन्जूर किया और हम स्टिक करते हैं कि हम इतना प्रोडक्शन बढ़ावेंगे। अब जो एक्चुअल इयरवाइज़ प्रोडक्शन का डिस्कशन किया और इसके बारे में जो रिज़ल्ट एचीव किया वह इस प्रकार से है।

५६-५७ में जो एस्टीमेट लगाया .६१ और एक्चुअल जो किया ·४१ लाख टनों में होता है, ४७·४५ लाख टन एक्चुअल हुआ।

५७—५८ में हमने पोटेन्शियली बताया था, वह ८.११ था और एक्चुअल जो एचीव किया वह है १.१० और एक्चुअल लाख टनों में प्रोडक्शन हुआ ३८.८।

श्री पी० के० चौधरी : और ५६-५७ में एक्चुअल कितना था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ४७.४५ और ५८-५६ में हमने जो टार्गेट रक्खा था वह १.६३ था और अब हम उम्मीद करते हैं कि २·२१ हम कर लेंगे ?

श्री पी० के० चौधरी : Here is a book, which says that in 1956 the production was 32 lakh tons and in 1957 the production has again gone down by 2 lakh tons, not increased.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It may go down because of climatic conditions.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister says that it has increased.

श्री नाथूराम मिर्धा : I never said increased. I said we expect to increase it by '61 but actuauly had only '41 इसका कम होने का कारण यह था कि इस साल में भाखरा से हमें जितना इर्रिगेशन एक्सपेक्ट करते थे वह पूरा नहीं कर सके और ५७–५८ में भी १.११ की जगह १.०१ इसलिये एचीव किया कि इस साल में प्रोडक्शन में, वेदर में खराबी होने की वजह से और अकाल हो जाने की वजह से '०१ कम प्रोडक्शन कर सके। तो ये फैक्टर्स थे।

तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विभाग की ओर से जो भी प्रयत्न किये जाने चाहिये वे हर सम्भव प्रयत्न लगातार किये जावेंगे और स्कीम के मुताबिक एचीवमेन्ट्स पूरे किये जावेंगे।

सीड मल्टीप्लाई करने का काम किया गया, खाद वितरण कराया गया और जितने काम करने आवश्यक थे वे सब किये गये और ग्रो मोर फूड स्कीम्स के बारे में जो टार्गेट्स हमने साल बाई साल रखे थे वे सब हमने पूरी किये हैं, अगर खर्चे की कमी हुई है तो इस मद में नहीं हुई है, जो स्कीम्स रिसर्च के बारे में थी, उसमें कमी रही है। बाकी प्रोडक्शन की स्कीम्स थी उनको विभाग ने पूरा किया है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विभाग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस विभाग का डाइरेक्टर नान–टैक्निकल आदमी है। इस बारे में ज्यादा चर्चा में न पड़ कर मैं इतना ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि केवल राजस्थान ही ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर कि डाइरेक्टर नान–टैक्निकल हो और भी कई स्टेट्स हैं जहां इस विभाग के डाइरेक्टर नान–टैक्निकल हैं।

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : तभी तो सब जगह अनाज की कमी हो रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर टैक्निकल डाइरेक्टर रखते ही अनाज की कमी दूर हो जाय, इस बात का ज़िम्मा आप लें तो मैं कल ही टैक्निकल आदमी को डायरेक्टर रख दूं।

(अनवरत हंसी)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : टैक्निकल हैंड्स उपलब्ध नहीं हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टैक्निकल का भी काफी स्वाद लिया है। इस बहस में ज्यादा पड़ने की आवश्यकता नहीं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें भी यह सवाल चर्चा का विषय रहा था इसमें दो व्यूज हैं, कुछ स्टेट्स टैक्निकल हैंड को रखने पर जोर देती हैं और कुछ इस पर जोर नहीं देती हैं। वास्तव में इस विभाग में कोऑपरेशन की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें टैक्निकल ज्यादा फायदा नहीं करते वैसे इस विभाग में डाइरेक्टर से नीचे के जो ऑफीसर्स हैं वे टैक्निकल हैंड्स हैं, जो इस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

विभाग का जोइन्ट डाइरेक्टर है वह टैक्निकल हैंड आदमी है, जो इस विभाग का पूरा काम देखता है और इसके नीचे इस विभाग में जो और अधिकारी हैं वे टैक्निकल हैंड्स हैं। तो इस विभाग ने नॉन—टैक्निकल डाइरेक्टर के रहते हुए भी जो टार्गेट्स इस विभाग के सालवार थे उनको पूरा किया है, ऐसी दशा में मिड स्ट्रीम्स में, मिड स्कीम्स में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं दिखती, जब कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दो साल और रह गये हैं। बराबर प्रोग्राम्स के मुताबिक स्कीम्स का काम चल रहा है।

गांवों में लोगों के अन्दर इन कामों के प्रति उत्साह फैलाने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों का गांवों में इस सम्बन्ध में ज़्यादा रोशनी फैलाने के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस समय सेशन नहीं होगा तो पूरे जोश और उत्साह के साथ गांवों मे इसके लिये प्रचार करेंगे। रबी केम्पेन के साथ साथ हम खरीफ केम्पेन भी शुरू कर रहे हैं। ५० हजार मन बाजरे का बीज़ हम बाटेंगे। पहली बार भी काफी क्रिटिसिज्म किया गया था, अखबारों में प्रोपेगेन्डा किया गया था कि बीज नहीं मिल रहा है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : बीज सड़ा हुआ बांटा गया था वह निकम्मा १०० मन बीज अब भी श्री माधोपुर में ग्राम सेवकों के पास पड़ा हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बद-किस्मती से ऐसा आ गया होगा, बीज हमने ३ लाख मन बांटा। हमारे पास माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १५०००० मन बीज था, जो ९५ प्रतिशत प्रायोरिटी का बीज था। हमने देखा कि इतना ही बाट रुकेंगे। एक आदमी के बस की बात नहीं कि सुधरा हुआ बीज एक साथ इतना इक्कट्ठा कर के बांट दे, आखिर सुधरा हुआ बीज एक साथ एक दिन में तो पैदा नहीं होता, जो एक साथ बांट दें। फिर हमने पंजाब गवर्नमेन्ट से १५० हजार मन बीज और मंगवाया उसमें काफी ८० प्रतिशत प्योरिटी का था और बाकी ६० ७० प्रतिशत प्रायोरिटी का था।

श्री चन्दनमल वैद : वह विरोधी दल में बांटा गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : जान—बूझ कर नहीं भेजा गया, वैसे ही चला गया होगा, और फिर कुछ लोगों की किस्मत का मामला भी चलता है। इस लिये वह ६०–७० प्रतिशत प्रायोरिटी का पहुँचा।

श्री मुरलीधर व्यास : वह बीज खराब था, फिर भी बांटा गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि ३ लाख मन बीज बांटने की कोशिश की गई। खरीफ केम्पेन के लिये भी बीज बाटा जायगा।

एक माननीय सदस्य : ऐसा बीज मत बांटिये जो उगे ही नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ५० हजार मन बाजरे का बीज बाटेंगे, सिलेक्टेड एरिया का जो अच्छा बीज है, वह दूसरे इलाकों में देने की कोशिश करेंगे। पर खरीफ के केम्पेन के सिलसिले में सदन के माननीय सदस्यों को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ध्यान रखना है कि सीमित साधनों के अनुसार ही तकावी बांट सकेंगे और अच्छा बीज दे सकेंगे । आपके करने का काम यह है कि ठीक तरह से वितरण कराने में योगदान दें इसके अलावा प्रेक्टिसेज के बारे में, जनता को जागरूक करने के बारे में अधिकाधिक सहयोग आपसे मिलेगा, ऐसी आशा करके मैं चलना चाहता हूं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I refuse to take the responsibility of distributing the seeds.

श्री मदनसिंह : मैं तो आप हुक्म देंगे वैसा करूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो कभी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, चिल्लाने का जिम्मा लेंगे । इसके अलावा खेती में सहकारिता के बारे में एक काफी अच्छा नया मोड़ माननीय गवर्नर साहब ने दिया है, वह यह है कि खेती का काम सहकारिता से होना चाहिये । दो चार माननीय सदस्यों ने और खास तौर से श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि...

श्री मदनसिंह (दातारामगढ़) : मैंने तो कह दिया है कि आप जो हुक्म देंगे वही करूंगा ।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहकारिता के बेसिस पर राजस्थान में खेती करना बड़ा मुश्किल काम है । काम तो मुश्किल है, पर मुश्किल काम को भी लोग आसान बनाते हैं और लोगों के सोचने का तरीका आसान बनाता है । अगर सहकारिता के आधार पर काम करना आसान होता तो गवर्नर साहब ने भाषण दिया उसके दूसरे रोज ही यह काम शुरू हो जाना चाहिये था । विचारधाराएं अलग-अलग होती हैं, विचार विभेद तो होता रहा है और इस पर भी है । पर किसानों के पास होल्डिंग्स कम हैं, उनके पास साधन सीमित हैं और अगर हम चाहते हैं कि देश का प्रोडक्शन बढ़े, तो इसके लिये हमें रिसोर्सेज़ को, साधनों को जिनकी कि सीमा इस विभाग में भी है, देश में भी हैं और लोगों के पास भी है किसानों के पास भी सीमा है, उन रिसोर्सेज को साधनों को जुटाना पड़ेगा । पर इस काम को पूरा करने में एक हाथ काम नहीं दे सकेगा । सरकार के साथ-साथ लोगों की मदद से ही यह काम पूरा हो सकेगा । और यह तभी पूरा हो सकता है जब कि वे सहकारिता के झंडे के नीचे आ जावें । एक गांव में रहने वाले किसान के पास २५ बीघा जमीन है, उसके साधन बिलकुल सिमित हैं....

श्री मदनसिंह : इससे ज्यादा हमने पंडितजी को सुन लिया है....

श्री उपाध्यक्ष :आर्डर, आर्डर ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी जो जमीन राज्य के पास है, उसको सहकारी बेसिस पर करेंगे, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उन भूमिहीनों को सहकारी कमेटी बनाने के बाद जमीनें अलॉट करेंगे और उनके पास जो रिसोर्सेज़ हैं उनको सप्लीमेंट कर के, सहकारी बेसिस पर अधिक अच्छी फसल पैदा करने में सहायता देंगे । हम चाहें तो उनको बैंलो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की जोड़ी दे सकते हैं, चाहें तो उनको और कामों के लिये तकावी दे सकते हैं।

३. म० प०

श्री मुरलीधर व्यास : सहकारी समिति बनाने के बाद में जमीनें अलॉट करेंगे, यह आपने अभी फर्माया, तो सहकारी समितियों के बनाने के बाद में किस तरह से जमीनें अलॉट करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी पूरे डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। पूरे डिटेल्स तैयार हो रहे हैं, खरीफ प्रोडक्शन के साथ-साथ सारे डिटेल्स तैयार हो जायेंगे। बस आप तो यह काम कीजिये कि सहकारिता की कमेटियां ऑर्गेनाइज़ कर लीजिये। जिन लोगों के पास जमीनें नहीं हैं उनसे जमीनों के लिये अर्जी दिला दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष, सहकारिता के बेसिस पर इस तरह से लैंड का अलॉटमेंट किया जायगा, यह तो हुई एक बात। दूसरे जिनके पास छोटे-छोटे होल्डिंग्स हैं या होल्डिंग्स हैं, उनको अच्छा खाद, अच्छा बीज देंगे, कुओं की यूटिलिटी, पम्प कुओं पर लगा सकते हैं। यह सब चीज़ें अलग-अलग रह कर किसान नहीं कर सकते, सहकारी समितियां ऑर्गेनाइज़ होने पर एक तो सब किसानों का छोटा मोटा सहयोग होगा और दूसरे गवर्नमेंट की तरफ से उन समितियों को मदद दी जायगी। इस तरह यह काम बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकेगा।

तो इस तरह हम राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये सहकारिता के बेसिस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिये इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना, यह कहना कि जागीरदारों को खत्म कर दिया, अब किसानों की जमीनें ले रहे हैं, यह उचित नहीं। कहा गया कि किसानों के जो जमीन के हक हैं वह भी सरकार उनसे छीनना चाहती है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जमीन के हक को बांटना तो है नहीं......

(अनवरत हंसी)

उनका जमीनों पर हक इस लिये रखते हैं कि सभी लोगों को पेट भर मिले सबकी हालत सुधरे। यह सब तो सरकार सबके लिये करने जा रही है, फिर जमीनों का स्वामित्व रख कर क्या करेंगे। आगे तो यह सोचते थे कि सात पीढ़ी का आराम हो जाय, पर आज तो इन्डिविज्युअलिज्म पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम यह सब चीजें ला कर, इस प्रकार के साधन लोगों के लिये जुटा कर इस प्रकार आगे चलते हैं कि सब लोगों की आने वाली पीढ़ियों तक उनके लिये सभी प्रकार के साधन जुटा सकें....

श्री मदनसिंह : अब आपको किस चीज़ की चिन्ता है, आपने तो तीन-तीन पीढ़ियों का सरंजाम कर लिया है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने कितना कर लिया, कितना नहीं कर लिया इस बात को तो छोड़िये। और मान लीजिये यदि हमने कर भी लिया है तो चिन्ता क्या है? सब सहकारिता में देने के लिये तैयार हैं।

तो बेसिक प्रोग्रेस करने के लिये नीति निर्धारित की जाती है, उस नीति के विरोध

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में भी कहते हैं, समर्थन में भी कहते हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यह तो हिन्दुस्तान में हो कर रहेगा। पहले जो छोटी-छोटी जमीनें हैं, उन पर सहकारिता के आधार पर काम किया जायगा। फिर जो स्वामित्व का दावा करते हैं वे बड़े-बड़े भी इसमें आयेंगे। अगर सदन के सभी माननीय सदस्य इस चीज को जल्दी ही समझ कर करना चाहेंगे तो यह काम पांच वर्षों में ही हो सकता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। पर यह होगा तो सही, यह आप याद रखिये कि यह चीज हिन्दुस्तान में हो कर रहेगी। यह मैं इसमें ज्यादा...

(हंसी)

श्री मदनसिंह : मन्त्री मण्डल में सहकारिता है कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत जोरों की है, तभी तो काम खूब जोरों से चल रहा है।

श्री मदनसिंह : मन्त्री मण्डल में सीलिंग की जरूरत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मन्त्री मण्डल में सहकारिता की कमी नहीं पायेंगे। मेरा समय खत्म होने जा रहा है, ५–७ मिनिट और बोलूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपका समय कितना है ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : श्रीमन् राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में विकेन्द्रीकरण की बात कही, इस पर लोगों ने बड़ी खुशियां मनाईं, खुशियां मनानी भी चाहिये। हमें विकेन्द्रीकरण की तरफ काफी आगे बढ़ना है। जिला परिषदों का निर्माण, पंचायत समितियों का निर्माण सबसे पहले राजस्थान में करने का निर्णय लिया गया है। जनता की शक्ति में और सही रुप से सोचने की शक्ति में मैं पूरा विश्वास करता हूँ। एक माननीय सदस्य ने पंचायतों को अधिकार दिये जाने की आलोचना करते हुए कहा कि जादू टोना करने के सिलसिले में ५०० रुपया जुर्माना कर दिया। राजस्थान में कहीं ऐसा हो गया होगा। संभव है....

श्री मदनसिंह : राजस्थान का आप कह रहे हैं, या आपके इलाके में ऐसा हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे तो मेरे इलाके में कहीं भी ऐसा नहीं मिला। आपके दोस्त हैं, उन्होंने शायद आपके परमार्श से ही ऐसा कर दिया हो।

श्री मदनसिंह : यही नहीं मुझे और भी बहुत सी बातें मिली है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका वहां पधारना हुआ तो ऐसा हो सकता है। हम एक दो पंचायतों का गलत एक्शन है, उसको लेकर यह कहें कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिये जायं। गलती हो सकती है, सौ में से २० पंचायतें भी गलती कर सकती हैं, पर चूंकि वे गलती करती हैं, इस बिना पर पंचायतों को अधिकार देने में हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। गलतियां हो सकती हैं।

श्री मदनसिंह : आपके लिये तो यह पुरानी बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे लिये तो पुरानी–नई सब हैं । पर गलतियां सबसे होती हैं । केन्द्रीय लेवल पर भी गलतियां होती हैं, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मदनसिंह : गलती की है तो गलती मान लीजिये । बस, हम भी यही चाहते हैं, इसमें डरने की क्या बात है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग-अलग स्टेज़ पर लोगों को जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी । दूसरे विभागों के बारे में माननीय उपाध्यक्ष, अब की बार विशेष चर्चा नहीं हुई । बजट आ रहा है, उस पर और बहस होगी । मैं भी अपनी नीति उस समय रखने की कोशिश करूंगा । अबकी बार ज्यादातर लोगों ने सही तरीकों में सही दशा में बातें की हैं ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम): On a point of order, Sir. The Hon. Minister referred to us as 'logon'. We do object to that. Please do not use the word 'logon' for us.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आशा करता हूं कि हम आगे बढ़ेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अश्रव्य

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble Minister, we would like to know what is the progress of the Plan expenditure during the last 3 years in Agriculture.

श्री अर्जुनदास : Sir. what about my point of order ? The Hon'ble Minister has used the word 'logon' for us.

श्री पी० के० चौधरी : अश्रव्य ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन दिन से माननीय राज्यपाल महोदय...

श्री अर्जुनदास : Sir, what about my point of order ?

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है कि 'लोगों' शब्द माननीय सदस्यों के लिए इस्तेमाल न किया जाये ।

श्री अर्जुनदास : Thank you, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले तीन दिनों से, यहां जो उन्होंने अपनी नीति बताई है, उस पर वाद–विवाद हो रहा है । मेरे विभाग से सम्बंधित कुछ बातें माननीय सदस्यों ने यहां बताई और उनके बारे में कुछ सुझाव दिये हैं और कुछ आलोचनायें भी की हैं । उसके लिए मैं अपने विचार पेश करूंगा । पहली बात तो अभी मेरे से पहले जो माननीय मंत्री कृषि विभाग के हैं, वह जवाब दे रहे थे, उन्होंने सहकारिता के आधार पर जो कृषि की नीति राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताई है उस पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं । यह हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों इस सहकारिता के आधार पर खेती की जो नीति है उसकी काफी आलोचना जगह–जगह हुई है । मगर इस बात को सबने मंजूर किया है कि अगर देश का उत्पादन बढ़ाना है और इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए सहकारिता ही एक तरीका है, जिसके ऊपर हमें अपनी आइन्दा खेती करने का तरीका रखना है और राजस्थान सरकार ने, जैसा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पहले बताया जा चुका है कि इस नीति को मान लिया है। इस सहकारिता के आधार पर खेती करने की नीति को मानकर यह तय कर लिया है कि आइन्दा जो कुछ भी जमीन सरकारी पड़त, या अनऑक्यूपाइड लैंड है या फिर सीलिंग करने के बाद में यानि अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद में जो जमीन मिलेगी उस पर हम सहकारिता के आधार पर खेती करायेंगे। जितने भी भूमिहीन किसान हैं हम उनकी सेंसेस कराई जा रही हैं, याने कहने का मतलब यह है कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि भूमिहीन किसानों की शुमारी की जावे। तो एक तरफ तो भूमिहीन किसानों की शुमारी हो रही है और दूसरी तरफ इसकी भी शुमारी हो रही है कि जितनी जमीन सरकारी पड़त और जो काबिले काश्त है और जो किसी के कब्जे में नहीं है, ऐसी जमीन कितनी है ताकि उसके ऊपर सहकारिता के आधार पर खेती कराई जा सके...

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : पहले आप जरा भूमिहीन किसानों की तो परिभाषा बताने की कृपा करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो भूमि वितरण के नियम हैं उनको देखने की तकलीफ करें तो भूमिहीन किसान की परिभाषा उसके अन्दर है। उसी परिभाषा के ऊपर ही उन भूमिहीन किसानों की शुमारी हो रही है। उसके अन्दर स्माल होल्डर्स जिनके पास दफा ५३ की तहत सीमा से भी कम जमीन है उनकी शुमारी अलग से होगी। इसलिए परिभाषा के लिए आप, जो रुल्स बने हुए हैं उनको देखने का कष्ट करें। इसके अलावा जो सीलिंग का बिल है उसके अन्दर भी भूमिहीन किसान की परिभाषा दे रखी है। उसकी जब शुमारी होकर आ जायेंगी तो मैं समझता हूं कि जितनी जमीन हमारे पास है और जो जमीन सीलिंग से मिलेगी, जितने भी लैंड लैस टिनेन्ट्स हैं उनकी शुमारी हो जायेगी, तो जैसा आपको बताया कि हम लैंडलैस टिनेन्ट्स की सहकारी समिति बनाकर के उस जमीन को एलॉट करेंगे। एलॉट करने के साथ-साथ जितनी भी कोऑपरेटिव सर्विसेज़ सोसाइटी की स्थापना की जायेगी हर गांव और पंचायत के अन्दर और फिर सहकारी समिति की जितनी जरूरतें हैं वह सब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा करेगी ताकि वह सरकारी-कृषि के पास किसी तरह की कमी न रहे और पूरी खेती अच्छी तरह से सारे रिसोर्सेज़ के साथ कर सकें ताकि अच्छी खेती हो सके और ज्यादा पैदावार हो सके उसके लिए कोशिश की जाये...

श्री मदनसिंह : क्या यह प्रिफरेन्स इन्डिविजुअल को भी मिलेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन सा ?

श्री मदनसिंह : आप कोआपरेटिव फॉर्मिंग वालों को प्रिफरेन्स देंगे और जो इन्डिविजुअल काश्त करते हैं उनको भी यह प्रिफरेन्स देंगे या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो सारे गांव को ही मिलेंगे। लेकिन जो कोऑपरेटिव फॉर्मिंग है उसकी शुरुआत केवल गवर्नमेंट लैंड पर ही करेंगे। जो अनऑक्यूपाइड लैंड है और जो जमीन सीलिंग से आयेगी, उस पर कोऑपरेटिव फॉर्मिंग होगी। वैसे ज्वाइन्ट फॉर्मिंग के लिए भी मना नहीं है। यह बात

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं है कि दूसरे लोगों को कर्जा नहीं देंगे या फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। कोआॅपरेटिव सर्विसेज़ तो सब के लिए हैं, मगर जो कोआॅपरेटिव लैंडलैश टिनेन्ट की बनेगी उसको भी मिलेंगी यह सहूलियतें। हां, यह बात जरूर है कि जो प्रिफरेन्स होंगे वह कोआॅपरेटिव को पहले मिलेंगे, और दूसरों को बाद में मिलेंगे। इन सारी डिटेल्स को मालूम करने के लिए जैसा राज्यपाल महोदय ने कहा है कि एक समिति मुकर्रर की है जो सारी चीजें वर्क आउट करेगी। अलाॅटमेंट के रूल्स हैं उनमें तब्दीली करनी पड़ेगी और मुमकिन है कि कानून लाॅ के अन्दर भी अमेंडमेंट करना पड़े और इस सहकारिता की नीति को सफल बनाने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की जायेगी। आज देश में वर्ग एसा है कि जो समाजवाद की ओर कदम उठाता है उसका विरोध करते हैं और खास तौर से इस कोआॅपरेटिव फार्मिंग के ऊपर केवल लोगों ने ही नहीं बल्कि एक वर्ग विशेष ने भी इसका विरोध किया है। मैं समझता हूं कि वह विरोध गलत है और जो देश के सही विचार करने वाले लोग हैं उन्होंने भी इन विरोध करने वालों की नीति को गलत माना है...

श्री मदनसिंह : मैं कहता हूं उनको गलत कहने के पहले एक्सपेरीमेंट कर लेते और फिर कहते तो अच्छा होता।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्सपेरीमेंट यहां पर तो नहीं परन्तु सब जगह हो गये हैं। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो इस समय यहां उपस्थित नहीं है, उन्होंने एक जागीर रिज़म्पशन के लिए कहा और वह यह था कि उन्होंने जागीर डिपार्टमेंट को एक प्रकार का चक्रव्यूह सा बताया है जिससे जागीरदारों को कम्पन्सेशन लेने में बहुत असुविधा होती है और पैसा लेने में काफी देर लगती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और जब-जब मौका आया है, मुख्य मंत्री जी और मैंने कहा है कि हमने जागीरदारों के मसलों को हमेशा ही आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की है। यह कोई रीति नहीं है कि उनके कम्पन्सेशन के पेमेंट में, असेसेमेंट में या खुदकाश्त के अलाॅटमेंट में या जो कुछ भी सहूलियत उन जागीरदारों को मिलनी चाहिए उसमें अड़चन हम या सरकार किसी प्रकार की डालेगी ?...

(हंसी)

श्री मदनसिंह : हमारे पास भी अभिमन्यू नहीं जो मरने आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि बारबार ऐसे एक्सप्लेनेशन और डिस्टरबेन्स नहीं करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां हमने कानून बनाये हैं, कम्पन्सेशन देने का तरीका अपनाया है और अगर उसमें कोई गलती होती है हमारे अफसरान की तरफ से, तो वह नोटिस में लाना चाहिए और फिर उसके अलावा अपील का भी तो प्रोविज़न है। एक तरफ तो जो सिस्टम बनाया है वह इतना जुडिशियल बना दिया है कि सरकार कोई इन्टरफीयरेन्स ही नहीं कर सकती है। तो एक ओर जहां जागीरदारों को अपील आदि करने का अधिकार है तो फिर दूसरी ओर सरकार को भी तो ऐसा अधिकार है और इस तरह से सरकार उसको अपने काम में लाती है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसमें भी खास तौर पर उन मामलों के अन्दर जहां ऑफिसर गलती से, कानून के गलत इन्टरप्रिटेशन से गलत फैसला किसी के हक में दे देते हैं, तो हम उसके लिए अपील करते हैं तो उसके लिए चक्रव्यूह कहना न्यायसंगत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही बताना चाहूंगा कि कितनी अपीलें हमारी तरफ भी बोर्ड में भी है। और कितने फाइनल डिस्पोज़ल ऑफ क्लेम्स हो चुके हैं। इससे मालूम पड़ेगा कि कितने कम केसेज़ में हमने अपील की है। कुल ६२,६२५ फाईनल कम्पन्सेशन के फैसले हो चुके हैं। दिसम्बर के अंत तक और अपील की हैं सिर्फ ७८ केसेज़ में। याने ६२ हज़ार में से ७८ अपील की हैं। फिर यह कहना कि अपील करके जागीरदारों को परेशान किया जाता है यह गलत बात हैं...

श्री अर्जुनदास : बाकी के कितने पेंडिंग हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास ; There may be lacs. I am only concerned with cases disposed of. तो इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि कम्पन्सेशन आदि के मामले में अपील की जाती है तो उसकी पहले छानबीन की जाती है और फिर लॉ डिपार्टमेंट से यह राय ली जाती है कि अपील करना लाज़िमी है या नहीं, हां, इन्टरप्रिटेशन में गलती हुई है, हिसाब में गलती हुई है तो उसके लिए वैसे भी बात की जा सकती है। अगर कोई जागीरदार गलत कम्पन्सेशन लेना चाहता है तो आप उसको क्यो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर कोई ऑफिसर कुछ गलती करता है तो आपको क्यों एतराज़ होता है, क्योंकि दोनों को ही जागीरदारों को, और सरकार को अपील करने का हक है। कायदा दोनों के लिए ही है। अगर अपील करने का अधिकार आपको है, तो सरकार अपील करती है तो आपको एतराज़ करने का क्या मौका है ? इसके बाद में एक माननीय सदस्य ने जो कि पाली से आये हुए हैं उन्होंने एक ऐसी बात रखी है जो आज मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि बार-बार वह इस सदन में उसको किसी न किसी रूप में लाते हैं। मैंने कई बार उनसे कहा है जिस समय वह बोल रहे थे, उस समय भी कहा था कि आप इसके बारे में कोई सुझाव तो दो। राइका जो एक कौम है, उनकी तकलीफ बार-बार कहते हैं कि उनके पास भेड़ें, बकरी हैं, और ऊंट वगैरह हैं...

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सब जिलों और सिरोही जिले के लोगों का भी कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सिरोही ज़िला मान लीजिये या और कहीं मान लीजिये, एक तकलीफ है, उसके बारे में बार बार आपने कहा है और मैंने भी बार बार कहा है कि आप ऐसे सुझाव दीजिये, लेकिन आप नहीं दे सके और सदन में आपने....

श्री मूलचन्द डागा : मैंने लिखकर दिये हैं।

श्री अर्जुनदास : आपने खुद ने जवाब निकाला है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप की काबलियत से आप बतायेंगे तो मैं उसको

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंजूर करूंगा। कहने का मतलब यह है कि राईका कौम है जो हजारों और लाखों की तादाद में भेड़, बकरियें ऊंट रखते है। आप चाहते है कि उनके लिये यह इन्तजाम किया जाय कि जितने किसान हैं जिले में, उनको हुक्म दिया जाय कि फसल काटने के बाद तुम अपनी जमीन इनको सुपुर्द करो.....

श्री मूलचन्द डागा : गलत है, यह बात नहीं कही।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात आपने कही है, प्रोसिडिंग्स देख सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह कहा था, आप गलत समझ कर बात न करें।

श्री उपाध्यक्ष : I will expect from the Hon'ble Member that before addressing the other Hon'ble Member he will seek the permission of the Chair, lest we may be disturbing the whole house.

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने क्या कहा था ? मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि यह अहमियत का मामला है। कई मर्डर केसेज मेरे जिले में इसके बाबत हो गये हैं और रोज लड़ाइयां होती है। मैंने यह बताया था कि लैंड युटिलाइजेशन एक्ट के अंतर्गत....

श्री उपाध्यक्ष : We will refer to the proceedings.

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यह बात नहीं कही तो वे क्यों यह प्रश्न बार बार लाते है, आखिर में वे चाहते क्या हैं? इसको वे कैसे हल करना चाहते हैं ? मैंने यही समझा जो मैं कह रहा हूं, और माननीय सदस्यों ने भी यही सुना। वे और कुछ कहना चाहते हों तो उनसे पूछा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. May explain please, if at all he desires.

श्री मूलचन्द डागा : मैंने चार सुझाव दिये थे। पहला सुझाव मेरा यह था कि लैंड युटिलाइजेशन एक्ट के अंतर्गत जिन ज़मीनों पर काश्त नहीं होती है और केवल बिना सैटलमेंट के जमीनें लोगों ने किसी कारण से रोक रखी हैं और उनमें केवल ढोर-पशु चरते हैं, उनको इनके लिये भी खुला किया जाय, यह मेरा पहला सुझाव था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस बात के लिये पूछ रहा था कि जो जमीन खातेदारी की है उस पर कब्जा कैसे किया जाय। ये चाहते हैं कि इस जमीन पर भी राइकों के पशु चरें। मैं दूसरी बात नहीं चाहता हूं। इसी पॉइन्ट पर चाहता हूँ। आपने यह कहा....

श्री मूलचन्द डागा :पहले हमारे यहां कस्टम यह था कि काश्तकार फसल सावन में काट लेते थे, पाला निकाल लेते थे, उसके बाद ये जानवर इस जमीन पर चरते थे। कहीं कहीं पर आज भी चरते हैं और खाद वगैरह को वे लोग उपयोग में लेते थे। गांवों में यह रिवाज़ था और इसी आधार पर समझौते से काम चलाते थे। जब ज्यादा काश्त होने लगी, जमीन कम होने लगी, तो

(श्री मूलचन्द डागा)

उन्होंने किसी कारण से मना कर दिया और जानवरों को नहीं आने दिया। इस सूरत में मैंने बताया कि घासमारी जो लेते हैं वह काश्तकारों को दिला दी जाय। फसल काटने और पाला निकालने के बाद उनको उपयोग में लाने देने का मेरा दूसरा सुझाव है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मतलब यह है कि काश्तकारों की जमीन पर वे चराना चाहते है ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : On some payment.

श्री दामोदरलाल व्यास : On some payment, that can be adjusted. We cannot force them. आपके छपे हुए पेम्फलेटस् रिप्रजेन्टेशन्स हैं, उनको देखेंगे तो यह बात उनमें लिखी है कि पुराने रिवाज़ जो जोधपुर रियासत के समय का है उसको एनफोर्स किया जाय मैंने पहले भी कई बार सदन में कहा है कि सरकार इस पर एक्शन नहीं ले सकती, वैधानिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसानों को अधिकार है कि वे चराने दें या नहीं चराने दें। राइकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। किसानों से बात करने के बजाय सरकार के द्वारा कानून से कराना मुमकिन नहीं है, इसलिये माननीय सदस्य का कहना है...

श्री दयाकृष्ण विजय : उनको थोड़ी तो जमीन देने के रिवाज को बनाये रखने के लिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां पर खेतों पर जो पेड़े हैं, आप चाहते हैं कि खेत में पेड़े हैं उनको चरागाह के लिये इज़ाजत दी जाय और यह इजाजत कौन दे ? गवर्नमेंट एक तरफ तो खेतों पर पूरे अधिकार किसानों को दिये है और दूसरी तरफ यह चाहती हैं कि किसानों के खेतों में राइके अपनी भेड़ बकरियें चरावे। तीसरा सुझाव आपका है कि किसानों के खेतों पर जो लूंग पापड़ी है उसकी इज़ाजत दी जाय, और चौथी बात यह है कि पंचायतों के पास जो जमीन है उसको नीलाम न करके राइकों को चराने के लिये दी जाय। आपका कहना है कि वहां पर मर्डर हुए है, इसकी अहमियत जरूर है, मुझे भी इससे पूरी हमदर्दी है। लेकिन में यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य उनको सुझाव दें कि वे आपस में रजाबंदी से फैसला करें। वरना न तो इसके लिये कानून बन सकता है और न यह वैधानिक है और न हम कर सकते हैं। तीसरी बात पाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने तकाबी के लिये कही....

श्री दलपतसिंह : राइकों के लिये आपने अपनी तरफ से क्या सुझाव निकाला है, यह बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विलेजेज़ में जो चरागाह है, उनमें प्रत्येक जानवर चर सकता है, और वहां पर चरने के लिये कोई मनाही नहीं है। प्रत्येक भेड़ और बकरी के लिये जमीन निकल सके, इतनी जमीन नहीं है। कमर्शियल बेसिस पर भेड़ और बकरी रखते हैं उनको स्टाल फीडिंग करना पड़ेगा। कॉमन ग्रेजिंग ग्राउन्डस जहां पर हैं, वहां पर चरावें, इसमें मनाही नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अभी माननीय सदस्य ने कहा और पहले भी कहा था कि गोचर नहीं है वहां पर क्या करना चाहते हैं ?

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य लैंड रेवेन्यू एक्ट को देखें। उसमें एस. डी. ओ. को कहा गया है कि गोचर के लिये जमीन एलॉट की जाय। गोचर के लिये इन्स्ट्रक्शन्स भी जारी किये गये हैं कि उनके यहां जितनी अन्‌ऑक्युपाइड लैंड हैं, उसमें से पहले तहसीलदार, वहां पर जितने मवेशी हैं उनके अनुसार गोचर के लिये भूमि निकालेंगे और यदि पहले जो ज़मीन गोचर के लिये निकाली है वह कम है, तो उसको पूरा करेंगे। और बाकी जो बचेगी उसमें से २५ पर्सेन्ट हरिजनों या शिडयूल्ड कास्ट वालों के लिये निकालने के बाद जो बाकी जमीन रहेगी वह अलॉट होगी। यह मान लीजिए कि कहीं पर जमीन अवेलबल है और वहां पर गोचर नहीं है, तो मेरे ध्यान में लावें तो मैं एस. डी. ओ. या तहसीलदार का जवाब तलब करूं और उनसे कहूं कि वे इसके लिये कार्यवाही करें। कम से कम जो स्थानीय पंचायतें हैं उनको भी अधिकार दिया है गोचर के बारे में, कानून बना रखे हैं, नियम साफ हैं। पहले गोचर का डिमार्केशन होगा, इसलिये दिक्कत आने का सवाल नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : दिक्कत बहुत है। यदि आप चाहें तो बता सकता हूँ। अव्वल तो जमीन है नहीं....

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां जमीन है ही नहीं वहां तो पैदा नहीं हो सकती, यह तो आप भी जानते हैं। मैं तो उनके लिये कहता हूँ जहा पर अन्‌ऑक्युपाइड गवर्नमेंट लैंड है, उसमें से गोचर के लिये अलॉट की जायगी। जहां पर नहीं है, राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में...

श्री मूलचन्द डागा : उसके लिये सुझाव क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please, No more interruptions, I will request the Hon'ble Member not to disturb.

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी बात यह है कि जोधपुर डिविज़न के लिये माननीय सदस्य ने घासमारी के लिये बताया कि उस जगह वसूल की जाती है जहां जमीन नहीं है। घासमारी सेस नहीं है, बल्कि ग्रेजिंग ले सकते हैं उस जमीन के लिये जो चरागाह के लिये है, जिस जिस गांव में अनऑक्युपाइड लैंड है और उस पर काश्त नहीं हो रही है तो जो नेचुरल प्रॉडक्ट है उनका चरागाह में फ्री ग्रेजिंग हो जाता है और बाकी जमीन को नीलाम करने का तरीका है, लेकिन अब यह ऑर्डर कर दिया गया है कि जो अनऑक्यु-पाइड लैंड है उसे पंचायत को दे दी जाय। यदि जोधपुर डिविज़न में ऐसे गांव हो जहां सरकारी जमीन नहीं है, वहां पर घासमारी ली जाती है तो बताइये उनको रोकने की कोशिश की जायगी। पहला काम तो यह है कि वे सूचना दें। अकाल के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि पटवारी की रिपोर्ट को सही माना जाता है और एम. एल. ए. की बात को सही नहीं माना जाता। मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि मुझे जो अदब के साथ करना चाहिए, वह करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं कोई गलती होती है तो माफी मांगता हूँ। मगर जहां तक अकाल का सवाल है, फसल की खराबी का सवाल होता है, तो फसल में कितना नुकसान हुआ है, कितना लाभ हुआ है, इस सब के लिए कानून बना हुआ है। इसके कानून में यूनीफॉर्मिटी आ जाय, तो ठीक रहेगा। मैं समझता हूं, इसमें

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दो राय होने की सम्भावना नहीं रहती । अब यह कहे कि ज्यादा डिसिशन की पॉवर गवर्नमेंट पर, ऑफिसरों के ऊपर, पटवारी के ऊपर मिनिस्टर के ऊपर छोड़े यह बात नहीं रहती, जबकि कानून साफ है । कानून में व्यवस्था है कि पटवारी मौके पर गश्त गिरदावरी करेगा । इसके साथ ही, आप जानते है, यह व्यवस्था बना रखी है, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन नये रूल्स में कर दिया गया है, और इसमें बड़ी कन्डीशन्स हैं कि गांव वालों को पहले सूचना दे दी जायगी कि तुम्हारे खेतों में इतनी फसल का नुकसान रखा है । अगर उन्हें एतराज होगा तो वे तहसीलदार को इतला देगें । तहसीलदार विद इन ए वीक मौके पर जांच करेगा । उसके साथ पंच और सरपंच....

श्री मदनसिंह : यह शिकायत है कि गश्त गिरदावरी १० वर्ष तक नहीं हुआ और अब रिजेक्ट हो गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तक शिकायत नहीं आई, अगर आप बतायेंगे तो मैं जांच करूंगा ।

श्री मदनसिंह : नहीं आई ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !! यह क्वेश्चन आवर नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की बात मानने या न मानने का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि क्या प्रोसीज़र अडोप्ट कर रखा है । ज्यादा अच्छा हो कि हम मौके पर बात करें ।

श्री पी. के. चौधरी : I think your time is up.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just finishing. Don't worry about me. Then there is another point, Sir...... सैटलमेंट के लिए जो शायद, do not remember exactly, दाता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा । सैटलमेंट रेट के सम्बन्ध में काफी विस्तार से सदन में मैं कह चुका हूं कि सैटलमेंट रेट्स रिव्यू करने की क्या जरूरत पेश आई ? उसके लिए कानून बना, उस वक्त माननीय सदस्यों ने विरोध किया था । उस वक्त मैंने जवाब दिया था, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा । मैं इतना ही कहूंगा कि सैटलमेंट रेट्स का जो रीविज़न हुआ है, उसमें जल्दी करवा कर कम्पन्सेशन के असेसमेंट में देरी नहीं हो, इसका प्रबन्ध कर रहा हूँ.......

श्री मदनसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं था, सवाल यह था......

श्री उपाध्यक्ष : कोई सवाल हो, अभी नहीं चलेगा ।

श्री मदनसिंह : कब चलेगा फिर ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी तरह से कुछ फ़लड्स के बारे में भरतपुर—बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा । उसके लिए एक स्टेटमेंट इसी सदन में दिया था । मैं चाहता हूँ इस बात को कि कुछ जमीन ऐसी है, जो जमीन पानी में रह गई है और वहां से पानी खाली नहीं कर सकते । यह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कहना कि सरकार चाहती तो कर सकती थी, मैं नम्रता पूर्वक कहूँगा कि यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स ने देखा है, वहां कोई रास्ता नहीं निकल सकता था, जहां से पानी को निकाल कर जमीन को खाली कर सकते। मैं जानता हूँ कि जमीन काफी है, काफी पैदावार हो सकती थी, लेकिन उस जमीन से पानी को खाली नहीं कर सकते थे। अगर हम यहां से निकाल देते तो दूसरे स्टेट की जमीन को नुकसान होता। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे पानी निकाला जा सकता......

श्री श्रीभानसिंह : I am very sorry, the Hon'ble Minister is forcing words in my mouth. I said कि स्टेट में फ्लड्स की वजह से काफ़ी जमीन बेकार रह गई है, इसका जिक्र एड्रस में नहीं है। यह नहीं कहा कि जमीन पर से पानी खाली कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह क्यों समझते हैं कि आपके लिए कहा। कई माननीय सदस्यों ने कहा।

श्री श्रीभानसिंह : You referred to Bayana and I represent that consitituency.

श्री दामोदरलाल व्यास : I never said 'Hon'ble member from Bayana' I said 'Floods in Bayana'.

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री अर्जुनदास : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : बस मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में।

(करतल-ध्वनि)

श्री रामकिशोर व्यास : (गृह मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष, आज चार रोज से माननीय गवर्नर साहब के भाषण पर इस संदन में जो विचार परिवर्तन हो रहा है, उसको मैंने बहुत अदब से और बहुत गौर से सुना है और करीब करीब पूरे वक्त सुना है...

श्री पी. के. चौधरी : आज तो थे नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : थोड़ी देर के लिए।

एक माननीय सदस्य : बहुत कृपा की।

श्री रामकिशोर व्यास : वह मेरा फर्ज था। उसमें बहुत सुझाव आये हैं और बहुत से विचार सदन के सामने रखे गये हैं। उनमें से जो-जो बातें सम्भव हैं अमल में लाने के लिए, उन को अमल में लाने की कोशिश की जायगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहली बात जो कही गई वह यह कही गई कि गवर्नर साहब के भाषण में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था के जिक्र की, इस युग में, जो कि विकास का युग है, समाजवाद का युग है, अब क्या ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि आज जब हम सन् १९५८ में बैठे हैं....

एक माननीय सदस्य : १९५९ में।

श्री रामकिशोर व्यास : इस युग में यह बात ठीक हो सकती है। मुझे इसमें कोई

Page No.80

(श्री रामकिशोर व्यास)

एतराज नहीं है, अगर इसका जिक्र शुरू में न करके बाद में किया जाय। लेकिन इसकी जो पृष्ठ भूमि है, १९५२ से लेकर १९५८ तक की, उसमें काफी परिवर्तन आया है, और जो शांति, सुरक्षा और व्यवस्था में परिवर्तन आया है, उसका कारण है कि हम आज महसूस करते हैं कि इस चीज की शुरू में जरूरत नहीं है। वरना १९५२-५३ में जो इस सदन के सदस्य रहे है, उनको मालूम है कि उस समय कैसी परिस्थितियां थी। सदन में बराबर मांग की गई है कि इसको टोप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और किसी प्रकार भी जैसे भी हो सकता है, उस प्रकार शांति,सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, बड़े बड़े गैंग लिक्यूडेट होने चाहिए। उस वक्त जो वातावरण था, वह इस प्रकार का था कि इसे सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाय और उस हालत में दी जानी चाहिए थी...

श्री पी. के. चौधरी : अब ट्रेडीशन हो गया है। लास्ट इयर भी सेकिंड पैराग्राफ में रेफरेन्स किया गया था।

श्री रामकिशोर व्यास : उस जमाने से अब तक, जैसा कि सदन के सदस्यों के ध्यान में है, कि इस काम में हमें सफलता भी मिली है। इस अर्से में जो ५७ डेकोइट्स थे, वे आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हुए, ३२०० के करीब इस अर्से में लिक्यूडेट हुए हैं। मैं एक्जेक्ट फिगर्स पेश नहीं कर सकता, पर करीब ५०० के आर्म्स रिकवर हुए हैं। और अभी एक आदमी मरा उसे इन्क्ल्यूड करके ५९ आदमी पुलिस के मरे हैं। इसमे जो काम हुआ है इस अर्से में, उसमें कोई साल नहीं गुजरा है जिसमें दो चार आदमी न मरे हो, जिन्होंने जाने न दी है, जिन्होंने कुर्बानी न की हो। इस लिहाज से मैं अर्ज करूं कि राजस्थान में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था को स्थापित करने में गवर्नमेंट के पुलिस विभाग ने कुछ करके आपके सामने रखा है। लेकिन इसके बाद में दूसरा काम और है। हम इस समस्या को हल करने में कामयाब हुए है, लेकिन कुछ हद तक और काम करने बाकी है, अब उन दूसरे कामों को शुरू करना चाहते हैं, इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेशन साइड को इम्प्रूव करना चाहते है, और जो बहुत सी कमियां हैं, उनकी तरफ ध्यान देंगे और ज्यादा एफीशियेन्सी काम में आये, ज्यादा अच्छा तरीका हो तफतीश का, अच्छे साइन्टिफिक मेथड हों, कई खराबियां हैं,उनको दूर करने के लिए धीरे-धीरे कोशिश करेंगे। अब तक इस तरफ ध्यान दिया है, अब उस तरफ से हमें राहत मिली है, इस लिए और जो खराबियां हैं, उनको निकालने की कोशिश करेंगे।

एक बात यह कही गई कि लॉ एन्ड ऑर्डर की पोज़ीशन असल में सुधरी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह इसके माने लगाने पर है कि आप क्या माने लगाते हैं। लॉ एन्ड ऑर्डर की अव्यवस्था सुधरी है इसके माने यह नहीं कि राजस्थान में चोरियाँ, डकैतियां और दूसरे जरायम होने बन्द हो गये। इन्सान का मिजाज जैसा है, ताजीरात हिन्द, इन्डियन पीनल कोड है, लोग जुर्म करते हैं, पर सवाल यह है कि जो मामूली तनाव था, असाधारण अवस्था थी, वह कम हो गई है। और हम अन्य स्टेटस् से राजस्थान का मुकाबला करें तो हम फेवरेब्ली कम्पेयर कर सकते हैं। लेकिन लॉ एन्ड ऑर्डर का मतलब यह लिया जाय कि डकैतियां, चोरियां

Page No.81

(श्री रामकिशोर व्यास)

और दूसरे जरायम होना कतई बन्द हो गया है, सारे विश्व में ऐसा कोई भाग नहीं मिलेगा। विश्व में कोई भाग ऐसा नहीं है जहां कि जरायम कतई नहीं होते हों। क्विेश्चन एब्नोमेलिटी का असाधारण अवस्था का है। और जब हम कहते हैं कि लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरी है तो इसके माने यही हैं कि नोर्मली व्यवस्था सुधरी है। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने धौलपुर सब-डिविज़न के बारे में कहा कि वहां लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां जुर्म पहले होते थे वही होते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तो उनसे यह बात सुन कर हुआ कि धौलपुर में आज भी वही स्थिति है जो राजस्थान बना था उस वक्त स्थिति थी। अगर वही की वही स्थिति है तो गूजर बैंड्स थे वे कहां गये? पृथ्वी का गैंग, सिरमोर का गैंग, जामान और शंकर के गैंग कहां गये? सन् ४६ में राजस्थान बना, तब जैसी ही स्थिति आज है तो वे गैंग कहां गये? सही बात तो यह है कि धौलपुर सब डिविज़न में जो बड़े-बड़े गैंग थे वे खत्म हुए हैं।

रूपा की ओर ध्यान आपने दिलाया, वह आपके इलाके में गया। एक डकैती आपके कुल इलाके में हुई और उसका जिक्र सदन में किया गया, पर यह जिक्र करना भूल गये कि १२ आदमियों को उस डकैती के सिलसिले में पकड़ा है, तफतीश की जा रही है। रूपा के सिलसिले में बातें बताई कि उसने टेरर क्रियेट कर रखा है। हमने इस मामले में कार्यवाही की है और अब वह स्थिति नहीं है जो आप बताते हैं। जो लेटेस्ट स्थिति है वह आपको मालूम ही है। पुलिस का इस दल के साथ एन्कॉउन्टर हुआ है, एक डकैत मारा गया, एक पुलिस का आदमी भी मारा गया। तो यह बात तो नहीं है कि पुलिस कुछ करती नहीं है। दो और डाकू नानियां और शायद दूसरे का नाम पन्ना है ये दो डाकू पकड़े गये हैं। एक डाकू मरा है, पुलिस का भी एक आदमी मरा है ऐसी बात नहीं है कि पुलिस बेखबर हो। इसके बाद भी यदि आप यह फर्मायें कि ४६ में जो व्यवस्था थी, जो अवस्था थी, वही आज भी है तो आप न्याय नहीं फर्मा रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि धौलपुर सब डिविज़न डकैतों के गैंग से साफ है। रूपा इस इलाके का नहीं हैं, यू. पी. का है, यहां आ कर छुपता हैं, पर उसके लिये कोशिश जारी है, जितना कर सकेंगे करेंगे। उसके साथ पुलिस का एन्कॉउन्टर भी हुआ, पर वह भाग निकला, फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं और करेंगे।

प्रतापगढ़ की प्रजा समाजवादी पार्टी की बात कहीं गई। एक बलदेव भाई थे उनके घर में प्रजा समाजवादी पार्टी का दफ्तर था, ऐसा कहा गया और उसके बारे में कहा गया सदन में बताया गया कि उनके मकान से जहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर था, पार्टी का झन्डा और बोर्ड उठा लिया और दफ्तर का सामान ले गये। आपको जानकारी जहां से मिली है, पूरी मिल पाई है या नहीं, पता नहीं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार बलदेव साबिका सजायाब आदमी है...

श्री मुरलीधर व्यास : पार्टी का झण्डा और बोर्ड उठाया गया कि नहीं, इस बारे में ही कहिये। मामला सब्जूडिस है यह कह कर हमें इस पर बोलने से रोका गया था।

श्री रामकिशोर व्यास : वह साबिका सज़ायाफ्ता है, डाकुओं को पनाह देता था और पैसा लेता था........

श्री मुरलीधर व्यास : चूंकि मामला सब-जूडिस है, आप जैसा होम मिनिस्टर सदन में ऐसी बात कहता है तो बहुत अफसोस की बात है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : That is only a reference to the case. He has not said anything about the implications of the cases.

श्री रामकिशोर व्यास : आपने चूंकि फर्माया, इसलिये मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, वरना मुझे कोई ऐसी बात कहने का शौक नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : मामला सब्जूडिस हैं, यह कह कर मुझे कहने से रोका गया था, आप जब उस बात पर कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : order ! order !!

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने तो सिवाय इसके कुछ नहीं कहा कि वह साबिका सजायाब था, डकैतों को पनाह देता था, वह मफरूर हुआ तो उसकी जायदाद को अटेच किया गया, कुर्क किया गया। टी स्टाल की दुकान थी, उसमें आप फरमाते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर था, पार्टी का भण्डा था, पार्टी का बोर्ड था, वहां कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, भण्डा तो कहीं भी नहीं था, वहां बल्कि पुराना टूटा हुआ पार्टी का बोर्ड जरूर मिला।

श्री चन्दनमल वैद : क्या बोर्ड भी चोरी किया हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : न कागज़ था, न कलम थी, न दवात थी और न प्रोसीडिंग्स ही थी।

श्री मुरलीधर व्यास : भण्डा और बोर्ड हटाया गया है और सारे शहर में घुमाया गया है और यह कह कर घुमाया है कि सोशलिस्ट पार्टी की क्या दशा होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको फर्माना था वह आपने फर्मा दिया, मेरे पास जो इत्तिला है मैं वही बता रहा हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इससे तो आपका अच्छा प्रचार हुआ है, दुःख की क्या बात हैं ?

(अनवरत हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : तो न कोई भण्डा था, न कोई और बात थी, टी स्टाल था। आपने इतनी बात फर्मा दी जो माल जब्त किया गया उसकी फैहरिश्त पर एक प्रजा समाजवादी पार्टी के मेम्बर के भी दस्तखत हैं, एज़ ए मोतबिर।

श्री मुरलीधर व्यास : उसका नाम ले कर बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बता दूंगा, मैं गलतबयानी नहीं करता। टी स्टाल था, ऐसे आदमी का था जिसके खिलाफ वारन्ट जारी हुआ था, इसलिये उसकी प्रोपर्टी अटेच करनी पड़ी, प्रजासमाजवादी पार्टी का एक टूटा हुआ पुराना बोर्ड उसमें जरूर मिला। बाकी न कोई भण्डा था और न कोई कागज थे, न प्रोसिडिंग्स थीं।

श्री चन्दनमल वैद्य : प्रजा समाजवादी

Page No.83

(श्री चन्दनलाल वैद)

पार्टी के दफ्तर में झण्डा नहीं डण्डा ही होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात सदन में कहीं गई कि ८५ आदमियों के मुसलमानों के परिवार को गांव से निकाल दिया गया, मुसलमानों के साथ इस तरह की जुल्म और ज्यादती की गई। और कहा गया कि यह सेकुलर स्टेट है। ऐसी कोई बात नहीं, मुसलमानों के साथ किसी तरह की ज़्यादती नहीं की गई, मुसलमानों के साथ गवर्नमेंट को कोई नाराजगी नहीं है। सही हालत इस तरह है कि पलहानखेड़ा में उन लोगों की मेजोरिटी है, कोई जुर्म करते तो किसी को सहादत नहीं देने देते। वहां पर एक जैन औरत थी, उसके साथ रेप किया गया-बलात्कार किया, एविडेन्स किसी को देने नहीं देते थे। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया, उन लोगों के पास इल्लीगल आर्म्स थे, उनकी सर्च नहीं लेने देते थे, आखिर में उनकी सचेज ली गई तो उनके घरों में से इल्लीगल आर्म्स निकले।

श्री मुरलीधर व्यास : ८५ मुसलमानों के अलग-अलग जूते लगाये गये या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं उन लोगों के पास इल्लीगल आर्म्स, इसलिये मुकदमा बनाया गया कि उनके यहां से इल्लीगल आर्म्स पकड़े गये, उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनकी जमानत ले ली और उन्हें छोड़ दिया गया। यह सारा किस्सा है।

कुछ बातें पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी हैं, उन्होंने जो चित्र, जो तस्वीर राजस्थान की रखी, वह फलवाले आमेज, जोश आमेज़ और जज़बात को उभाड़ने वाली थी। उनमें से मैं पुलिस के खिलाफ जो बातें निकाल सका, तो वे दो तीन बातें निकलीं। फिर मुझे संतोष हुआ कि राजस्थान के सब महकमों का यह चित्र रखा, पुलिस तो वैसे ही मशहूर है। उन्होंने तो राजस्थान के शिक्षा विभाग, सहकारी विभाग, सभी विभागों के लिये कहा कि सब विभाग राजस्थान के निकम्मे और बेकार हैं। फर्स्ट फाइव इयर प्लान, सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में जितने काम हुए सब में भ्रष्टाचार और निकम्मा ही निकम्मा काम हुआ, तो मुझे संतोष हुआ कि चलो पुलिस के साथ और महकमें भी हैं।

श्री अर्जुनदास : Common sorrow relieves the pain.

श्री रामकिशोर व्यास : जो बातें फर्माई वही अर्ज कर रहा हूं। एक तो यह बताया कि बगैर टिकट के ही पुलिस वाले बसेज़ में जाते हैं। उन्होंने फर्माया उसमें सचाई हो सकती है, बगैर टिकिट के बैठ जाते होंगे। पर इसका इलाज यह है कि ऐसी बातें हमारे इल्म में लाई जायं, कोई ऐसा मामला हो कि अधिकारियों के हमारे इल्म में लाया गया हो और कोई कार्यवाही नहीं की हो तो रखाजाय। हमारे इल्म में ही नहीं हो तब तक तो क्या कर सकते हैं।

एक बात यह कही कई कि पी० आइज० को १५० रुपया तनख्वाह मिलती है, जो बहुत कम हैं। आपकी राय से मैं भी इत्तफाक करता हूं। इस बारे में हमारे पास एक स्कीम भी है। पर मौजूदा हालत में हमारे रिसोर्सेज़ इतने नहीं हैं, कि इनकी तनख्वाह बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि काफी केसेज़ एम० एल०

(श्री रामकिशोर व्यास)

एज़ को दूसरे वकीलों को दे देते हैं। वे केसेज़ देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देते हैं। उनका यह सुझाव ठीक है, कोशिश करेंगे इस बात की जो छोटे केसेज़ हैं, और लोगों को दिये जाते हैं, वे इनको दिये जायं। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि अलग-अलग कोर्ट्स में अलग-अलग मिलते हैं १५० पी० आइज० को मिलते हैं, २५० रुपया एडिशनल सेशन्स कोर्ट में देते हैं और कोई वकील एन्गेज़ करते हैं तो उसको १००० रुपया मिलता है। वकील तो एक ही तरह के होते हैं, एक ही नेचर का काम रहता है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, कि इसमें रेस्पोन्सिबिलिटी का फर्क है, इसलिये इमोल्यूमेंट्स में फर्क है। ज्यादा एफिशियेन्ट, लीगल एडवाइज़ मिल सके, इसलिये करते हैं।

एक बात कही जिसमें न्यायालयों पर भी काफी रोशनी डाली। कहा कि कुछ क्लर्क हैं जो सहादत करते है। यह काबिले एतराज़ है। एक तरफ पुलिस का पैरोकार रहता, दूसरी तरफ डिफेन्स का वकील रहा करता है, उसमें क्लर्क सहादत लिखता हैं, ऐसी बात समझ में नहीं आती। मैं इस बारे में जांच करूंगा, क्लर्क अगर एविडेन्स रिकॉर्ड करता है तो यह कायदे के खिलाफ बात है, इसकी जांच की जायगी।

कुछ बोर्डर केसेज़ के बारे में कहा गया कि केटल लिफ्टिंग के केसेज़ किडनेपिंग के केसेज़ और स्मगलिंग के केसेज़ होते हैं। इसमें शक नहीं कि केटल लिफ्टिंग के केसेज़ बोर्डर पर होते हैं, मवेशी चरता हुआ उधर निकल जाता है, कोई लाइन तो खिंची हुई है नहीं, पर फिगर्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि केटल लिफ्टिंग के केसेज़ इन्क्रीज पर नहीं है। एक आध केसेज़ किडनेपिंग के भी हुए हैं कि उठा कर ले गये हैं, इसके लिये हम पूरे अलर्ट हैं।

श्री मदनसिंह : लड़के उड़ाने के अपराध की संख्या में पहले से कमी हुई है या संख्या बढ़ी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कम हुई है।

श्री मदनसिंह : But that is because of the Pakistan army, not because of your police. आप फर्मा रहे हैं कि अपराध की संख्या में कमी हुई है, तो वहां बोर्डर पर आर्मी है इसलिये कमी हुई है, यह नहीं कि आपकी वज़ह से कमी हुई हो।

श्री रामकिशोर व्यास : सार्वजनिक संपर्क कार्यालय के बारे में कई बातें कही, वह इस सदन में कई बार आ चुकी हैं, प्रश्न भी इस बारे में किये गये हैं और मैंने उनका जवाब भी अर्ज किया। एक बात यह कहीं गई कि मैं इस विभाग के संचालक का संरक्षण करना चाहता हूं, प्रोटेक्शन करना चाहता हूं और मुझे इस मामले में जिद्द है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा ख्याल माननीय सदस्यों को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि अगर कोई आदमी बेईमानी करता है, इल्लीगल कार्यवाही करता है तो उसको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है,

४ म० प०

लेकिन साथ में इतनी बात जरूर है कि जिस तरह से अपराधी को सजा नहीं देना गुनाह है उसी तरह से बेगुनाह को सजा देना भी गुनाह है। इसमें एक्चुवल पोज़िशन जानने की बात आती है। अगर उसमें कोई बदनियती की बात हो तो जरूर सख्त से सख्त

(श्री रामकिशोर व्यास)

कार्यवाही की जानी चाहिये । असल में मैं आपको बता देता चाहता हूं कि एसेम्बली में इस प्रश्न के आने के पहले ही जो बातें हमारे सामने थी उन पर एक्शन लिया गया है। वहां पर अकाउन्टेन्ट नहीं था, अब हमने उसके लिये अकाउन्ट ऑफिसर प्रोवाइड किया है। इतना बड़ा ऑफिस था और वहां पर अकाउन्टेन्ट नहीं था।

श्री पी० के० चौधरी : What action you have taken against the man.

श्री रामकिशोर व्यास : और भी बातें जो हमारे सामने आवेंगी उसके लिये एक्सप्लेशन मांग कर उस पर जो कुछ तजवीज करना होगा, की जावेगी और अगर उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये तो इन्क्वायरी की जावेगी । यह तो मैं आज से बहुत पहले तय कर चुका हूं। ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई प्रोटेक्शन करने की बात हो, वह नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कन्फरमेशन के.

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात कन्फमेंशन के बारे में की गई है, उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अजमेर से अधिकारियों के आने से पहले ही यह मामला चल रहा था और यह मामला पब्लिक सर्विस-कमीशन से तय हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको कन्फर्म किया है। एक बात है जो कही गई है और उसके बारे में कहा गया है कि कुछ किताबें जयपुर के बारे में जिस समय बुलगालिन आया, छपवाई गई थी और उनमें से कुछ किताबें पहले आ गई और बहुत सी किताबें बाद में आई। इस पर मैं यह कहूंगा कि दिल्ली में युनिवर्सिटी प्रेस है....

श्री पी० के० चौधरी : यह गलत है। It was not the University Press, but it was under the University supervision.

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी निगरानी में चलता है। ये ऐसी किताबें तो हैं नहीं जिनकी इम्पोर्टेन्स देर से आने पर समाप्त हो जाए । यह तो जयपुर के दर्शनिक स्थानों की किताबें हैं। जिस समय बुलगालिन आया, उस समय जितनी किताबों की जरूरत थी, आ गई। इसका यह मतलब नहीं कि बाद में ये किताबें आने से इन किताबों की युटिलिटी समाप्त हो गई हो। अभी अफगानिस्तान के प्रीमियर आये थे, उनको भी ये किताबें दी गयीं हैं। यह तो जयपुर के बारे में जानकारी हैं। इसलिये इनसे कोई नुकसान हो गया हो ऐसी कोई बात नहीं है। या इसमें कोई पैसा खा गया हो, ऐसी बात नहीं मिलती । ऐसी कोई बदयान्ती की बात नहीं है।

ब्लॉक्स के बारे मे कहा गया कि जुबली और दूसरे को दिया और दूसरों को नहीं दिया गया। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कई दफा हैड ऑफ डिपार्टमेंट के पास काम होकर आता है और जिसका काम अच्छा नहीं होता या अच्छी क्वालिटी का नहीं होता उसमें वे लोग लोएस्टप्राइसेज़ दे देते हैं। अगर हैड ऑफ डिपार्टमेंन्ट यह लोएस्ट टेन्डर को मंजूर करता है और उसका काम अच्छा नहीं होता है तो बुरा और यह ब्लॉक्स का आर्ट का काम है। काम अच्छा नहीं निकले तो ठीक नहीं होता

(श्री रामकिशोर व्यास)

और अगर समय पर नहीं निकले तो उचित नहीं। इसलिये इसको देखना पड़ता है।

इसी तरह से रुपयों के बारे में कहा गया था। यह कहा गया कि रुपया वहां पर पूरा नहीं मिलता। उसके बारे में चैक करने गये तो रुपया पूरा मिला। जिस समय ऑफिसर लोग बाहर दौरे पर जाते हैं तो उनको एडवान्स में रूपया दिया जाता है, उसको उचन्त रजिस्टर में लिख लेते हैं। वह केस में लिखा गया। इसकी एन्ट्री उचन्त रजिस्टर में है। यह तो एकॉउन्ट की बात है। यह एकॉउन्ट की मिस्टेक है। एकॉउन्ट का प्रोसीज़र बराबर होना चाहिये। वह रुपया कहीं गया नहीं? १५००) रुपये जिन लोगों को दिये गये उनका नाम रजिस्टर में मौजूद है। यह प्रोपर एकॉउन्ट के लिहाज से ठीक नहीं था। यह उनके एकॉउन्ट की पूरी नॉलेज़ की कमी के कारण है। इसलिये आयन्दा के लिये इसका प्रबन्ध कर दिया गया है।

इसके अलावा पब्लिकेशन्स की बात थी कि बाहर के प्रेसों को काम दिया जाता है। मैं आपको सूचना के लिये बता देना चाहता हूं कि सन् १६५८ में ऐसे काम नहीं हैं जो किसी दूसरे प्रेस से छपे हों। सन् १६५७ में केवल १२ थे, बाकी सभी गवर्नमेंट प्रेसों से छपवाये गये। आपको कोई ऐसा केसन हीं मिलेगा जो अर्जेन्ट दिया गया हो और समय पर नहीं आया हो। फिर भी मैंने यह कहा है कि यह सब मामला है उसकी जानकारी की है। उनका जबाब आने के बाद जैसा होगा वैसा करेंगे।

कुछ सिंचाई विभाग के बारे में भी दो चार शब्द कहना चाहता हूँ। इसके लिये कई बातें ऐसी कही गई कि सिंचाई विभाग में जो काम किया गया है वह प्रथम पंच-वर्षीय योजना में बहुत कम हुआ और ज्यादातर ऐसा रहा है कि जो दूसरी पंच-वर्षीय योजना मे आया और उसमें ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं थोड़ी सी जानकारी इस मामले में दे दूं कि २५ करोड़ का स्टेट में बैलेन्स था, उसमें से ६ करोड़ के करीब इर्रिगेशन पर रखा था। उसमें से सारा औसत निकालें, अगर उसमें भाखरा के कॉमन वर्क्स को भी शामिल ले लिया जावे तो मैं यह कहूंगा कि १०५ प्रतिशत काम हुआ, यानी जितना अलॉटमेंट था उससे ज्यादा काम हुआ है। अगर भाखरा के खर्चे को निकाल दिया जाता है तो भी मैं यह कहूँगा कि ८८.११ प्रतिशत आता है। जो काफी अच्छा काम हुआ है। यह ८८.११ प्रतिशत दूसरी स्टेटों से बहुत अच्छा हुआ है। इसलिये यह कहना कि काम कम हुआ ऐसी बात नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कम काम हुआ हो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कितना काम कम्पलीट हुआ और कितना काम दूसरी पंचवर्षीय योजना में लिया गया, मैं आपको बताऊं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ११६ वर्क स्टार्ट किये गये; उसमें से १०७ कम्पलीट हुए और १२ दूसरी योजना में लिये गये।

इसी तरह से माइनर इर्रिगेशन के वर्क २३६ स्टार्ट किये गये, जिसमें से १६० कम्पलीट हुए और ४६ दूसरी योजना में लिये गये। स्केयरसिटी वर्क २२ शुरू किये गये वे सब के सब दूसरीं पंच वर्षीय योजना में, पहली योजना में पूरे न होने के कारण

(श्री रामकिशोर व्यास)

लिये गये। इसकी वजह यह है कि लेट सैंक्शन आई और काम देरी से शुरू हुआ। ५४–५५ में वर्क शुरू हुआ, इसलिये वे सबके सब वर्क कम्पलीट नहीं हुए। काफी बड़ी रकम थी ६०-६० या ५०-५० लाख के बड़े वर्क थे। वे सारे दूसरी पंचवर्षीय योजना में आ गये। बाकी माइनर इर्रिगेशन के लिये मैंने अर्ज किया, १६० वर्क कम्पलीट हुए। कुछ राजस्थान केनाल के बारे में कहा गया कि इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी को यह ख्याल हो कि राजस्थान केनाल की प्रगति धीमी है तो उसको अपने मन से यह ख्याल निकाल देना चाहिये। असल में देखा जावे तो यह काम काफी तेजी से हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है कि मैं कह तो नहीं सकता, मगर जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ ताज्जुब नहीं कि हम उसको समय से जल्दी पूरा कर सकें। अभी मैं इस पर कुछ कहने की स्टेज़ में नहीं हूं। मगर यह कह सकता हूं कि जो काम चल रहा है वह बहुत तेजी से चल रहा है। वहां कुल ८ हजार मेनुअल लेबर काम कर रही हैं। राजस्थान का २४ मील का एरिया है, उसमें से २३ मील पर बराबर-रेग्युलर काम हो रहा है। ४ या ५ हजार एनिमल लेबर काम कर रही है।

४. ६ म० प०

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन) पंजाब की तरफ भी चार–चार हजार मेनुअल लेबर और चार हजार एनिमल लेबर काम कर रही है और काम काफी जोरों से हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह काम समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। वक्त पर यह काम पूरा नहीं होगा यह बात नहीं है। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं–लाइनिंग के बारे में व नेविगेशन के बारे में। केनाल का मेन पार्ट है उसको लाइनिंग करायें या नहीं। इससे फायदा भी होता है। लेकिन उससे भी फायदा होता है। फायदा यह होता है कि पानी का नुकसान कम होता है और पैदावार उससे बढ़ जाती है। इसलिए सारी चीजों को एग्ज़ामिन किया जा रहा है। इसी तरह से नेविगेशन साइड की भी बात है। उसको भी एग्ज़ामिन किया जा रहा है। आखिर इसको कांडला से मिलाना है। इन सब चीजों में जांच की जरूरत रहती है और इसीलिए यह सब विचाराधीन है। राजस्थान केनाल का काम काफी प्रगति पर और ठीक तरह से चल रहा है, इस समय मैं आपको इतना ही कह सकता हूं।

भरतपुर के फ्लड्स के बारे में और केनाल के बारे में कहा गया, और यह भी कहा गया कि वहां पर बाढ़ आ गई है। इस पर बड़ा भारी एतराज़ किया गया कि पानी कई साल से आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो इमिज़ियेट राहत देनी चाहिये थी वह दी गई। स्थायी राहत के लिए तो कुछ समय लगता ही है। हमारे वहां के लोगों ने, और केन्द्रीय सरकार के लोगों ने जांच की, सेन्ट्रल के एक्सपर्ट्स ने भी जांच की। देहली में मीटिंग हुई थी, मैं गया था और वहां इस सम्बन्ध में कहा गया था। उसमें पानी भरा हुआ है, काफी दुःख होते हुए भी, काफी हमदर्दी होते हुए भी उसका इलाज कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ उसमें वक्त लगने

(श्री रामकिशोर व्यास)

वाला है। उससे कि स्थायी रूप से इसका हल हो सके। यू० पी० वाले एक केनाल बनाना चाहते हैं, अपने हिस्से में बना डालें जिससे कि यह पानी उसमें मिल जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मास्टर प्लान की स्कीम गई राजस्थान से ?

श्री रामकिशोर व्यास : गई ना। उस पर ही तो बता रहा हूं। इसी तरह से रूपावास का है। प्रोटेक्टिव बांध बनाना है। ३॥ लाख बजट में कम सेंक्शन किया है, काम शुरू हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो अब शुरू हो जायगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नेग्लेक्ट करने जैसी कोई बात नहीं है। करेक्ट फैक्ट्स एण्ड फिगर्स गेदर करने में आखिर समय लगता ही है। जो एग्जीक्युशन करने लायक चीज होगी उसको जरूर एग्ज़ीक्युट करेंगे। १५-२० साल के बारिश के वहां के एवरेज़ को देखा गया तो यह भी वास्तव में सही है कि सन् ५६ में उससे अधिक बारिश हुई है। इस समय इसके लिए इतना ही कहा जा सकता है कि जल्दी से जल्दी एप्रूव होने के बाद कार्यवाही करेंगे। एक गिरराज केनाल के बाबत कहा गया कि उसको बंद कर दिया गया। पानी नहीं जाने दिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट को दोनों तरफ से सोचना पड़ता है। बिडला साहब की जो वैगन फैक्टरी थी उसमें कई रोज तक पानी भरा रहा और बन्द नहीं करते तो पानी के निकलने का और कोई साधन नहीं था, इस लिए उसको बन्द करना पड़ा ताकि केनाल में जाकर पानी पड़ जाय। इसलिए एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये। ऐसा तो नहीं होता कि मिल पानी से भरा रहे और आँपोर्चुनिटी नहीं दी जाय। इसीलिए उसको दो दिन के लिए बन्द किया गया।

अब मैं थोड़ा सा बिजली के लिए कहूँगा। यह बात ठीक है कि पहले प्लान में बिजली का काम ज्यादा नहीं हो पाया और खर्चा हुआ वह २७-२८ पर्सेन्ट के करीब हुआ। फिर भी काम हुआ है। पुराने थर्मल पॉवर स्टेशन्स के पॉवर को ठीक किया। २७ से ४० के करीब ले आये। २२ डिज़ल जनरेटिंग सेट्स लगाये, ८ बोयलर्स, ६ स्टीम थर्मल स्टेशन्स, दो एग्जिस्टिंग डिज़ल सेट्स हैं उनको रिपेयर किया, १०८ मील टॉन्समीटर्स की लाइन डाली। मेटिरियल गेदर करने के कारण जितना प्रिलिमिनरी होता है वह किया गया। फिर भी खर्चे की दृष्टि से संतोष जनक नहीं है। भाखरा की बिजली आने में देर हुई, यह सही है। शुरु २ में बिजली के लिए क्या हुआ कि ४० लाख की रकम फर्स्ट फाइव-इयर प्लान में अलॉटमेन्ट थी। उसके बाद गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को प्रेस किया तो २॥ करोड़ कर दिया। ७५ लाख करल अर्बन इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया। ५३ में भाखरा को स्टार्ट किया। जब प्लानिंग कमीशन को रिपार्ट गई तो यह हुआ कि भाखरा से बिजली मिलने वाली है वह प्रोडक्टिव नहीं हैं इस लिए उन्होंने यह कर दिया that it must be held in absence फिर आयंगर कमेटी बैठी और इसको एग्ज़ामिन किया गया और एग्ज़ामिन करने के बाद यह रिपोर्ट दी गई कि भाखरा से जो बिजली दी जावेगी वह प्रोडक्टिव ही रहेगी। दिसम्बर, ५४ में जाकर भाखरा बोर्ड ने यह डिसिज़न लिया। जब दिसम्बर, ५४ में डिसिज़न हो तो आप ही सोच सकते हैं, जबकि हमारे ऑफिसर्स पहले से ही अनसर्टेन थे....

Page No.89

श्री चन्दनमल बैद : पांच वर्ष लग गये डिसिज़न में ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत बड़ा काम है। आपने फर्माया कि रिप्रेजेन्ट करना चाहिये। हमने किया भी। पंजाब में जो वर्क होगा वह पंजाब वाले करेंगे, यह तय हुआ था। आम तौर पर स्टेट में ऐसा होता है। राजस्थान से पंजाब में जाकर एग्ज़ीक्यूट करना संभव नहीं है। जैसे गांधी सागर का मध्यप्रदेश वाले कर रहे हैं। इसलिए एग्जीक्यूशन पंजाब के जिम्मे रहा। उसमें डिले हो गई। देर से किया। मैंने खुद ने भी पंजाब के इर्रिगेशन और पॉवर मिनिस्टर साहब थे उनसे डिस्कस किया, गवर्नर साहब मिले थे मुख्य मंत्री महोदय ने कई चिट्ठियां इर्रिगेशन मिनिस्टर को लिखी, जितना प्रेस किया जा सकता था किया गया गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को और पंजाब गवर्नमेन्ट को। इतना सब करने के बावजूद ही इसका नतीजा यह रहा है बिजली मिलने की आशा हो रही है वरना तो इतनी जल्दी आशा नहीं थी। इसके लिए जहां भी जितनी भी कोशिश हो सकती थी, की गई, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया में या पंजाब में, होम मिनिस्ट्री में, जहां जहां जा सकते थे, गये। मुख्य मंत्रीजी खुद गये, पर्सनली डिस्कस किया। अब हम सोचते हैं कि इस साल भाखरा की बिजली मिल जावेगी।

श्री पी. के. चौधरी : आप कभी गये या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सबसे बड़ी बात यह हुई है कि लैफट बैंक पॉवर हाउस पंजाब के बनाने की बात है। एग्रीमेन्ट हुआ है उसमें ३२ हजार किलोवाट बिजली फैक्ट्री के लिए रखी है। यदि फर्टिलाइज़र फैक्टरी राजस्थान में लगती है तो ३२ हजार किलोवाट बिजली वे देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि गफलत रही हो। बराबर हर प्रकार से कोशिश जारी रही है। पंजाब में डिले हुई है। फोरिन एक्सचेन्ज की भी डिले हुई है। अमृतसर फैक्टरी जिसमें मैन्यूफेक्चर होता है वहां रेलवे का काम हो रहा था, फेब्रिकेशन हुआ, गलत हुआ, इन सारी बातों को लेकर डिले हुई है। अब हम समझते हैं कि भाखरा से गंगानगर पॉइन्ट पर और राजगढ़ पॉइन्ट पर बिजली मिलने वाली है।

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय गृह मंत्री जी ने बात समाप्त की उसमें मैं इतना जोड़ दूं कि फर्टिलाइज़र फैक्टरी के लिये २५ किलोवाट पॉवर देने का निर्णय हुआ है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिये है कि २५ हजार किलोवाट पॉवर टोटल प्रोडक्शन का मान करके फर्टिलाइज़र फैक्टरी को दिया जाय, उसके बाद में जो बचता है सबको अपने शेयर के मुताबिक अलग-अलग मिलेगा। एक प्रकार से वह एडिशनल पॉवर होगा जो हमें मिलेगा।

कल फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कहा था कि देहली और दूसरी जगहों पर भाखरा सिस्टम से बिजली दे दी गई है, इसलिये राजस्थान के हिस्से में कम आयगा। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जितना भी पॉवर जनरेट होगा हम उतना युटिलाइज़ नहीं कर पायेंगे और इसी के मुताबिक उनको दिया गया है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इनीशियल पीरियड में राजस्थान और पंजाब को ही देने का था, किन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा हम पूरे पॉवर को युटिलाइज नहीं कर पायेंगे, इसी कारण अन्य प्रान्तों को दिया गया है। मेरा जहां तक अनुमान है हमें सेन्ट्रल पूल से राजस्थान को कुछ और ज्यादा प्राप्त हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बार जो माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है, मैं समझता हूँ वह उनका एक महत्वपूर्ण भाषण था। इस लिहाज़ से इसमें कई मुद्दे की बातों की चर्चा की गई है, और मुझे खुशी है कि सदन के अन्दर इसमें अलग-अलग तरह के विचार सामने आये। मैं ऐसा समझता हूँ इस भाषण में जिन नीतियों पर जोर दिया गया है इन नीतियों का इम्पलीकेशन किस प्रकार होगा यह हमें पहलें समझना चाहिये।

सबसे पहले सीलिंग्ज़ और को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग के बारे में कुछ कहा गया है उसके संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। सिलिंग्ज़ के बारे में इस सदन के अन्दर पहले भी चर्चा हुई है। और उस समय जिन लोगों की यह राय थी कि सिलिंग न लगना चाहिये, सीलिंग लागू करना बहुत बड़ा अत्याचार है, इस प्रकार की जो बातें किया करते थे, मैं समझता हूँ आज करीब-करीब सभी सदस्य इस बात को मानते हैं और यह एक निश्चित सी चीज हो चुकी है। सारे देश में जमीन के ऊपर अधिकत्तम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। कितनी जमीन अधिक से अधिक एक व्यक्ति के पास रह सकती है। इस बारे में इतना और निवेदन करना चाहूँगा कि यह सीलिंग जमीन पर है आमदनी पर नहीं। इस पर यह कहा जा सकता है कि आमदनी को ही सामने रखते हुए जमीन पर सीलिंग हो सकता है सीलिंग को आमदनी से अलग कैसे किया जासकता है। एक चीज़ स्पष्ट है और वह यह कि आज राजस्थान में और हमारे देश में जितनी ज़मीन पर हम उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकती है। साधनों के ज़रिये, मेहनत के ज़रिये तीन गुना और चार गुना तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसा कि विदेशों में हुआ है। जापान एक ऐसा देश है जहां उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, वहां होल्डिंग भी काफी छोटी है। वहां अधिक से अधिक उत्पादन होता है। इसका मूल कारण यह है कि एक तो जापान के लोग काफी मेहनत करने वाले हैं और इसके साथ-साथ वहां जो को-ऑपरेटिव का संगठन है वह काफी मजबूत है। इसकी वज़ह से जापान का किसान मामूली जमीन के होने पर भी काफी उत्पादन कर लेता है। और जहां ज्यादा उत्पादन है वहां के व्यक्ति 'अपना स्टेण्डर्ड आफ लिविंग भी अच्छा रख सकते हैं।

आज हमारे देश में बहुत सी जगह जिन के पास दो सौ से लेकर ४०० बीघा तक जमीन है, उनका उत्पादन हम देखें तो बहुत कम है। उसी जमीन पर अगर छोटे छोटे टुकड़ों के अन्दर को-ऑपरेटिव ढ़ंग से खेती होती तो अधिक उत्पादन हो सकता है बमुकाबले आज हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि हम सीलिंग को लागू करेंगे तो वैसी हालत में हमारा उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, यह देखने की बात है। और इसके साथ-साथ सामाजिक न्याय की दृष्टि से आज भी हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जमीन कतई नहीं है। उनको भी यह अवसर मिलना चाहिये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि उनको भी उतनी जमीन मिले जिस पर खेती करके वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब हम सीलिंग को लागू करते हैं और उसके साथ साथ नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया है, जिसका कि ज़िक्र माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में किया है उसका और सीलिंग का समन्वय किस प्रकार से हो, यह हमें देखना है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो अभिभाषण में कहा गया उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सर्विस को-ऑपरेटिव हम सब जगह और सब गांवों के अन्दर चलायें। जहां तक को-ऑपरेटिव फ़ार्मिंग का सवाल है उसके लिये कहा गया है कि वहां के रहने वाले मिलजुल कर और जोइन्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो वे स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं, इसमें कम्पलशन वाली बात नहीं है। हम कोई कानून बना करके जबर्दस्ती यह किसी पर लाद रहे हों यह बात नहीं। इसके कारण जबर्दस्ती खेती करने वालों पर कम्पलशन आ जायगा, यह मानना उचित नहीं है। हमने इसमें गुन्जाइश यह छोड़ी है कि अगर गांव वाले मिलजुल करके अपनी मिल्कियत के रखते हुए भूमि पर अधिक उपज हो, इस लिहाज़ से को-ऑपरेटिव बनाकर काम करना चाहे तो उसी पोर्शन के अन्दर काफी मुनाफा मिल सकता है। यह भी गुन्जाइश इसमें दी गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। वह यह कि जितनी भी को-ऑपरेटिव्ज़ होंगी और गवर्नमेन्ट द्वारा जो लोन दिया जायगा उसमें इनडिविजुवल की अपेक्षा क्या सरकार को-ऑपरेटिव को प्रिफरेन्स देगी या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बर्ता जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट है कि अगर हम को-ऑपरेटिव की नीति को मानते हैं तो हम को-ऑपरेटिव को ही ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। इसके बिना तो कई उलझनें और दिक्कतें पैदा होंगी। सर्विस को-ऑपरेटिव बनाने की जो बात कहते हैं उसमें हम यह आशा करके चलते हैं कि हरेक गांव के रहने वाले व्यक्ति जो खेती का काम करते हैं उनको सर्विस को-ऑपरेटिव बनानी चाहिये। इसीलिये मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत सी जगह जैसा कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में ज़िक्र किया, आज हम जिस को-ऑपरेटिव की चर्चा करते हैं, वह एक प्रकार से कलेक्टिव फार्मिंग का रूप है और उसके ज़रिये डिक्टेटरशिप आयगी। मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, आखिर को-ऑपरेटिव फार्मिंग का सोचा क्यों गया ? इसकी साफ वजह यह है आप बड़ी बड़ी जमीन को छोड़ दीजिये, आम तौर पर राजस्थान के अन्दर जहां पर कि सीलिंग लागू करने की बात कहते हैं मैं समझता हूं एक प्रतिशत से भी कम व्यक्ति होंगे जिन पर सीलिंग लागू हो पायगा। ज्यादा से ज्यादा तादाद उन काश्तकारों की है जिनके पास एक बीघा से लेकर एक एकड़, दो एकड़ और तीन एकड़ जमीन है। यह मानी हुई बात है कि एक एकड़ पर एक व्यक्ति काश्त करता है, उसको यदि दूसरी जगह उससे भी ज्यादा मजदूरी मिल सकती है, लेकिन वह अपनी जमीन को छोड़ कर जाना नहीं चाहता,

Page No.92

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

क्योंकि वह परम्परा से उस पर काश्त करता चला आ रहा है। उसको अपनी जमीन से मोह है और उसकी परम्परा उसमें जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति के पास एक एकड़ जमीन है, वह उस एक एकड़ के लिये कुआं नहीं खोद सकता। उसको अलग अपने लिये बैलों की जोड़ी रखनी पड़ती है, कुआं खोदना पड़ता है, सारे साधन उपलब्ध करने पड़ते हैं केवल उतनी सी जमीन के लिये। आमदनी चूंकि ज्यादा नहीं है, वह ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए भी को-ऑपरेटिव फार्मिंग बहुत आवश्यक है। या तो हम ऐसे काश्तकारों को लाखों रुपया, हजारों रुपया कर्ज के रूप में देंवे जो संभव नहीं है। तो उनके सामने दूसरा उपाय यही रह जाता है कि वे मिलकर के जमीन को सुधारें। जो मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि हमारे देश में हमें अपनी दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये भी धन की आवश्यकता है और इसके साथ हमारा सबसे बड़ा धन मानव शक्ति है, यह भी नहीं भूल जाना चाहिये। इसका एक साथ उपयोग करने के लिये हम डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, कलेक्टिव फॉर्मिंग भी नहीं चाहते, हम तो सिर्फ इतना चाहते है कि सब मिलकर अपनी शक्ति से पूरा काम लें। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि अभी मैं कोटा की तरफ गया था। वहां कई जगह पानी बहता हुआ नजर आता है, जमीन से पांच छः फीट के नीचे ही देह भेरी हुई है, पानी बहता जा रहा है और ऊपर जमीन पड़ी है हजारों एकड़। पर इस पर पम्प लगा कर उस पानी से जमीन की सिंचाई का प्रयत्न नहीं करते। आज एक काश्तकार के साधनों को देखा जावे तो उसके लिये यह सम्भव नहीं है। पर गांव के सब मिल कर कोऑपरेटिव ढंग से पम्प भी लगा लेते हैं तो काम चल सकता हैं और प्रोडक्शन आसानी से इस तरह से बढ़ाया जा सकता है।

इस तरह से आप मान लीजिये। जमीन के बारे में हम इस नीति को मान कर चलते हैं कि भूमिहीनों को जमीन दी जानी चाहिये। पर आज होता क्या है? गांवों में फसल काटने के वक्त सहयोग की जरूरत पड़ती है, एक किसान स्वयं अपनी फसल काट नहीं सकता, अगर उसमें कोऑपरेशन हो जाय तो एक दूसरे की मदद दे सकते हैं और साथ ही जमीन के मालिक भी बने रह सकते हैं। मालिक रहें या मजदूर रहें, जो हैं दोनों साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं, उत्पादन की दृष्टि से यह कोऑपरेशन बहुत उत्तम है। आज इसका सम्बन्ध मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठाने से जुड़ा हुआ है। सबका लक्ष्य एक है कि किसी प्रकार से देश के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जावे। इसके लिये मुख्य चीज़ यह है कि देश में चाहे कारखाने में हो, चाहे खेत में हो, सबका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़े। इसके लिये जब हम सब चीजों पर विचार करते हैं तो यह आवश्यक सा लगता है कि सब मिल कर काम करें और अपनी शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करें।

अध्यक्ष महोदय, हमने विकेन्द्रीकरण की बात और को-ऑपरेटिव सर्विस की बात भी कही। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज आज़ादी के बाद, आजादी के दस बारह सालों के बाद हम उस स्टेज़ पर पहुंच चुके हैं जब कि हमें यह फैसला करना हैं कि आगे हमारी प्रगति का ढ़ांचा क्या

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमारे समाज का स्वरूप क्या होगा और इस ख्याल से हम इन बातों को शीघ्र लागू करने की बात सोचते हैं ?

मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा आपसे कि आज जो स्थिति है वह अधिक लम्बी नहीं चल सकती। आज व्यक्तिगत तौर से एक के पास ज्यादा जमीन चली चलेगी और दूसरी तरफ एक-एक एकड़ और दो-दो चार-चार बीघा जमीन रह जावेगी और छोटे छोटे टुकड़ों में यह जमीन बंटी रहेगी, तो यह नहीं होने को है, या तो वे स्वेच्छा से को-ऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे, नहीं तो आज की इस स्थिति के कई तरह के परिणाम होंगे। आज सारी जगह ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, आप इन पर भी निगाह डालें।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार इससे वर्ग भेद पैदा करना चाहती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ग-भेद तो आज है। गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। वह तो वर्तमान है। हम तो यह चाहते हैं कि आपस में मिल जुल कर काम किया जाय जिससे यह वर्ग भेद कम हो और सभी वर्ग एक साथ आगे बढ़ें और इसके लिए शान्ति का तरीका कहें। हम उसे जनतान्त्रिक तरीका कहें, कुछ भी कहें वह तरीका यही हो सकता है कि सब मिल कर को-ऑपरेटिव फॉमिंग और को-ऑपरेटिव सर्विस करें। गरीब और पूंजीवादी दृष्टिकोण साथ साथ चल नहीं सकते। दोनों में विरोधाभास पैदा होता है। इसके बाद में कहीं न कहीं कोई न कोई नई दूसरी चीज खड़ी होती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप न आए, दरअसल में हम चाहते हैं कि यहां पर और चीजें पैदा न हों तो को-ऑपरेटिव फार्मिंग, को-ऑपरेटिव वर्किंग और कोऑप-रेटिव सर्विस ये सारी चीजें हर पहलू से विचार किया जावे तो अत्यन्त आवश्यक हैं।

कई जगह हम राजनैतिक दृष्टि से इसका विरोध कर सकते हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने व्यक्तिगत स्वामित्व खतम कर दिया। हम खतम नहीं कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : Co-opreative Government what do you think Sir, if you have a Co-operative Government ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह भी कभी अवसर आ सकता है, अगर आप काम करते चले जावें तो।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : को-ऑपरेटिव गवर्नमेन्ट नहीं है क्या अभी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ये हाथ यों किये हुए थे। सारा हाथ किया था। (हंसी) तो मैं कह रहा था कि को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग से भी ज्यादा इस समय हमारी नीति यह है कि हम को-ऑपरेटिव सर्विस और को-ऑपरेटिव वर्किंग को लाना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि जो सरकारी जमीन है, और जो हमारे पास सरप्लस लैंड आवेगी सीलिंग के बाद और जो गवर्नमेन्ट का लैंड अवेलेबल है, गांवों में, उस पर सरकार कोऑपरेटिव खेती कराए। जिसको देखकर सबको विश्वास हो कि इससे लाभ उठाया जा सकता है और इससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इससे ज्यादा काम कर सकते हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हम लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं कि इससे सबकी आर्थिक हालत सुधरेगी और भय या आशंकाएं भी नहीं रहेंगी। तो यह किसी भी तरह दबाव डाल कर करने की बात नहीं है। यह मानकर चलना चाहिये।

मुझे हर्ष है कि चर्चा में आम तौर पर विकेन्द्रीकरण का माननीय सदस्यों ने स्वागत किया। कुछ ने यह कहा कि यह डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन नहीं है, यह तो सेन्ट्रेलाइज़ेशन बन जावेगा, क्योंकि इसमें एस. डी. ओ. और कलेक्टर ज्यादा पॉवरफुल हो जावेंगे। इसकी यह कल्पना नहीं है। जिस वक्त इसका बिल सदन के सामने जावेगा तो पता लगेगा कि किस प्रकार का यह एक्ट होगा और यह आशंका भी दूर हो जावेगी कि हम कोई ब्लॉक लेवल पर या पंचायत लेवल पर या तहसील लेवल पर कमेटी बनाकर कोई एस. डी. ओ, या कलेक्टर को सत्ता देने का प्रयत्न कर रहे हैं या उस जगह जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं अधिक से अधिक इनीशियेटिव उनके हाथों में रहे, उन पर सारी जिम्मेदारी रहे, इस भावना से कर रहे हैं सारी स्कीम को पूरी तरह से देखने के बाद ये शंकाएं भी नहीं रहेंगी, ऐसा मुझे निश्चित विश्वास है।

फिर अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चाओं के दौरान में कई बातें कही गई। उन सब के विस्तार में जाना मैं आवश्यक नहीं मानता हूं। कुछ तो हमारे माननीय साथियों ने इस बारे में प्रकाश डाला है, लेकिन मैं एक बात के बारे में खास तौर से ज़िक्र करना चाहता हूं कुछ विस्तार से। यह वह है जो कि पहले ही रोज हमारे सरकार के अन्दर आई. ए. एस. के सलेक्शन को लेकर चर्चा हुई और श्री-माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना पूरा भाषण देकर जो वाक आॅउट किया, उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना उचित समझता हूं।

सबसे पहले तो यह है कि आई. ए.एस. के सलेक्शन होते हैं, इसके लिये एक कमेटी है जो बनाई जाती है। इस पर यू. पी. एस. सी. यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके मेम्बर इसके चेयरमैन हुआ करते हैं। इस बार जो बोर्ड बैठा था उसमें श्री-जहीर जो यू. पी. एस. सी. के मेम्बर है, चेयरमैन थे राजस्थान के लिये। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कामताप्रसादजी और रावत इस कमेटी के मैम्बर थे। उसने सारी बातों को, जैसा हर वर्ष होता है इन्टरव्यू को बुलाते हैं, रिकार्ड देखते हैं और सारी जनरल बातों को सोचकर कुछ निर्णय किया करते हैं, निर्णय किया है। यहां पर चर्चा का जोर इस बात पर लगता था कि कुछ आदमियों को सुपरसीड किया गया। जैसा निवेदन कर चुका था यह रिपोर्ट जो कुछ उनकी है इस वक्त यू. पी. एस. सी. के सामने गई हुई है। वहां से अन्तिम निर्णय होकर आवेगी तब क्या क्या नाम हैं विस्तार में जानकारी पा सकते हैं? पर इसके बीच में एक जानकारी देना चाहता हूँ। यह सिलेक्शन एक तरह से छठी बार हुआ है। हर साल होता रहता है और सुपर-सेशन इसके अन्दर हमेशा होते हैं। करीब सौ सवासै आदमियों का रेकॉर्ड देखते हैं और रेकार्ड देखने के बाद उनको इन्टर्व्यू के लिए बुलाते हैं और इन्टर्व्यू के बाद में निश्चय किया जाता है। मैं उस दृष्टि से आपको बताऊं कि सुपरसीड करने के व्यू को लेकर चलें तो पोज़ीशन यह थी कि सन् १६५४ में

Page No.95

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

केवल १३ आदमी सलेक्ट किये गये...

श्री मदनसिंह (दाता रामगढ़): On a point of order, Sir, मैं समझता हूं कि इसके लिए रूलिंग हो की है कि आई. ए. एस. वाली बात के विषय में कोई भी न बोले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तो पिछले सलेक्शन पर बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि सुपरसीड के लिए अगर देखा जाये तो मैरिट्स और सीनियोरिटी दोनों ही बातें देखी जायें....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : तुलनात्मक दृष्टि से कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पिछली बार जो हुआ उसके बारे में कहूंगा ताकि यह और मालूम हो जायेगा कि सीनियोरिटी और मैरिट्स दोनों को लेकर ही सलेक्शन होता है। तो जहां मैरिट्स इन्वोल्व हों तो ऐसा होता ही है कि नीचे के ऑफिसर हैं तो सुपुर्सेशन हो जायेगा। केवल सीनियोरिटी के ही आधार पर अगर प्रोमोशन होगा तो हम फिर यह निश्चित मानकर चलें कि यह कमेटी और यू. पी. एस. सी. के होने की जरूरत ही नहीं है और प्रोमोशन्स फिर सीनियोरिटी के अनुसार होते चले जायें। सब पैटर्न सब के लिए माना गया है कि प्रोमोशन्स के मामले में इस बात को लेकर चलना होगा कि मैरिट्स वाली बात को भी सामने रख कर हम चलें पहले भी तो सलेक्शन हुए। सन् ५४, ५५ और ५६ हर समय ही कोई सीनियोरिटी पर फैसले हुए हों ऐसी बात नहीं है, उसके अन्दर अलग अलग तरह से निर्णय होते रहे हैं। इस बार जो निर्णय किये हैं वह सामने आ जायेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हीं आधार पर वह तय करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे सोचने की यह है कि हम इसके बारे में यहां चर्चा करें या और कहीं करें, मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि पी. एस. सी. सलेक्शन करके भेजती है, चाहे यू. पी. एस. सी. करके भेजे या और कोई सलेक्शन बोर्ड करके भेजे; मैं कहता हूं और मैं भी उनके बारे में सोचता हूं कि एक्स की जगह वाई होता तो अच्छा रहता। हां, अगर मैं यह बैठकर तय करूं या केबिनेट बैठकर तय करे तो सदन के सदस्यों को एतराज होगा कि ऐसा फैसला कर दिया गया है और यह तरीका ठीक नहीं है। इसलिए सारे भारतवर्ष में पैटर्न बना कि क्या तरीका हो ? अब वह जो कुछ तय करते हैं उसमें गवर्नमेंट ऊंच नीच करती है तो माननीय सदस्य आज एतराज़ करेंगे। इसलिए ऐसी कमेटी जिन बातों को तय करे वह एक को पसन्द आ सकती है और दूसरे को नहीं आ सकती है। मैंने निवेदन किया कि कोई भी व्यक्ति उस लिस्ट को देखे तो हर एक के मामले में दो राय हो सकती हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता तो अच्छा रहता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of clarification, Sir, whether it is a selection post or seniority-cum-suitability post. ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is a selection post.

श्री पी. के. चौधरी : Selection post

(श्री पी. के. चौधरी)

If it is seniority-cum-suitability question, then the seniority will count.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : There are definite rules for this. Whatever denomination you want to give to them, it is upto you. तो मैंने आपसे निवेदन किया कि यह ऑल इन्डिया में जो नियम फॉलो किये जाते हैं, उसी आधार पर तय किये जाते हैं, इसलिए उसके सम्बन्ध में हम यहां पर किसी का केस प्लीड करें या चर्चा करें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर पी० एस० सी० और यू० पी० एस० सी० यह सारी चीज़ें बेकार हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा क्यों की गई और किस वजह से की गई और जो भी किया गया वह उचित नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ होने लगेगी तो फिर मैरिट्स, सीनियोरिटी और दूसरी बातें भी रह जायेंगी और आमतौर से चर्चा होकर के खींचातानी वाली बात होने लगेगी, वह उचित नहीं होता है। ऐसे मामलों में परम्पराओं और पिछले तरीकों को अपना कर चलना पड़ेगा और उन्हीं को मानकर चलना होगा। अगर उन्हीं को मानकर चलेंगे तो ऐसी चर्चा बातों में नहीं आयेगी।

दूसरे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान के अन्दर कोई इन्डस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से यह कई बार निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक ब्रॉड इन्डस्ट्रियल पॉलिसी का संबंध है, वह आज के दिन केन्द्रीय सरकार की हो सकती है। जिस पॉलिसी के अनुसार देश को अलग-अलग चीज़ों में विभाजित किया गया है। हमारे यहां पर अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए इस चीज के बारे में निर्णय करना पड़ता है और विशेष तौर पर कुछ सुविधायें लोगों को देनी पड़ती हैं। यह तो सभी माननीय सदस्यों को पता है कि कई वर्ष राजस्थान को बीत गए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाये हैं—बिजली की वजह से और कई कारणों से दूसरी जगह आसानी से लग सकती हैं तो राजस्थान में इन चीज़ों को पहले प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए पिछले कुछ अर्से से हमने बराबर प्रयत्न किया और मैं समझता हूं कि करीब करीब हमने उस स्थिति को पैदा किया है कि राजस्थान के अन्दर उद्योग लगाने के लिए कुछ लोग सोचने लगे हैं और इस बार जो माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण दिया, उससे भी यह मालूम होगा कि उद्योगों के बारे में हम काफी आगे बढ़े हैं।

जयपुर की एक माननीय सदस्या ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी के बारे में और उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर तो खादी की बात करती है और दूसरी ओर नाइलॉन की फैक्टरी खोलती है, वह बात कैसे मेल खाये ? तो मैं कहता हूं कि वह फैक्टरी कोई नाइलॉन की साड़ियां बनाने के लिए ही नहीं है। उसके ज़रिये तो सूत तैयार होगा, उससे रस्से बनेंगे, टायर बनेंगे और भी कई तरह तरह की चीजें बनेंगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मैंने स्वदेशी मिल की बात भी साथ में कही थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नाइलॉन के लिए आपने फर्माया था—

Page No.97

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कुछ तो बनेंगी, थोड़ी बहुत तो बनेंगी।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे, हमारे जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने नाथद्वारा के बारे में कहा है और इसकी उन्हें सबसे ज्यादा चिंता रहती है। उसकी तो मुझे बहुत खुशी है और इस बार भी उन्होंने कुछ इस बारे में जिक्र करते हुए कहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ? तो मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा के बारे में विशेष तौर पर पड़ा जाये तो उसकी आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो वहां की व्यवस्था के लिए कानून बना दिया गया है। जो कुछ माल लाया गया था उसके सम्बन्ध में एक मुकदमा चल रहा है और दूसरे जो वहां के आगे इंतजामात वगैरह कैसे हों। उसके बारे में भी व्यवस्था है और वह इन्क्वायरी के बारे में उत्सुकता है उसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। जब हमारे माननीय चीफ जस्टिस आ जायेंगे तो उसका भी काम शुरू हो जायेगा।

श्री मदनसिंह : आपको ज्यादा उत्सुकता है हमारे से।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से जनसंघ के माननीय सदस्यों से कि इस संबंध में चर्चायें काफी की जाती हैं, लेकिन में उनकी नीति इसके बारे में समझ नहीं पाता हूँ कि माननीय सदस्यों की और माननीय सदस्यों की पार्टी की नीति क्या है ? क्योंकि एक तरफ जब सरकार इस कानून को बनाती है और वह समाने आता है तो नाथद्वारा में माननीय सदस्यों की जो पार्टी है वह इस कानून के खिलाफ आन्दोलन की तैयारी करती है। तो मैं यह समझ जाऊं कि पार्टी की रूप-रेखा और उसका आधार क्या है कि जिसकी वजह से यह सारी बातें की जाती हैं, संघर्ष समिति स्थापित की जाती है, वहां पर जो बोर्ड लगाये हैं उस पर काफी लम्बी चौड़ी बातें लिखी जाती हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की बातें कई बार करते हैं। अच्छा है इन चर्चाओं में जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या भी भाग लेतीं। इसमें मुझे खुशी है कि आप यहां चर्चा करते हैं ..

श्री मुरलीधर व्यास : चर्चा लगातार करने पर भी लम्बा समय लग जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तथ्य पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमेशा चर्चा करने से....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : वहां पर हिन्दू ट्रस्ट बिल का विरोध हुआ। नाथद्वारे के बारे में आपको गलत सूचना होगी।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन के लिये धन्यवाद।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं गलत सूचना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। अच्छा है आप कुछ सूचना दें तो ज्यादा लाभप्रद होगी। जिस वक्त आप चर्चा करते हैं, उस वक्त इस पार्टी के कुछ सदस्य नाथद्वारे में नहीं हैं, बाहर गये हुए हैं।

श्री मदनसिंह : यह तो बड़ी बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे आपसे यह निवेदन करना था कि जो तथ्य है और जिसकी जानकारी आपको है, उसे आप कहें, यह बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे इन्कारी नहीं। लेकिन यदि राजनैतिक स्टैन्ट पैदा करने का दृष्टिकोण रखें तो उसका असर वैसा ही होता है जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि चर्चा बहुत चलाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। जहां तक चर्चा करने का विषय हो तो आप की चर्चा से काफी कुछ हो सकता है, वरना वहां से मिल गये, कुछ बातें करलीं, यहां कुछ बात कही और वहां कुछ कहा, तो मुझे क्षमा करेंगे, उसका असर कम हो जाता है।

उद्योगों के सम्बन्ध में बयाना के माननीय सदस्य ने यह कहा था कि बहुत से उद्योग और शुरू किये जा सकते हैं। उन्होंने विशेष तौर से नमक उद्योग और कॉपर स्मेल्टर के बारे में जिक्र किया। मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि डीडवाना में सोडियम सल्फेट के लिए भारत सरकार से डिस्कस किया था। पहले फोरिन एक्सचेंज देने का निर्णय नहीं हुआ था। इस बारे में अब अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है। इसमें राजस्थान सरकार को स्टेट सेक्टर के अन्दर डीडवाना में सोडियम सल्फेट लगाने की मंजूरी दी है और फॉरिन एक्सचेन्ज रिलीज करने की इजाजत भी दी गई है। वह काम जल्दी ही शुरू हो जायगा और उम्मीद करते हैं कि सन् ६० तक उत्पादन शुरू हो जायगा। दूसरा कॉपर के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के जियोलोजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से काफी विस्तार से सर्वे का काम चल रहा है और उसके लेटेस्ट रिज़ल्टस आये हैं वे एन्करेजिंग हैं। प्लानिंग का जो जिक्र किया कि पहले रोंग प्लानिंग हुआ है लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस काम को शुरू करने में कितने डिफेक्ट्स हैं, इनको प्रूव करने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का सर्वे डिपार्टमेंट लगा है और जो कुछ लीज प्राइस हो उसका आरबिट्रेशन से निर्णय हो चुका है। ६ महीनों में काम शुरू हो जायगा, कोई रुकावट नहीं आयगी और मैं भी निरन्तर भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर रहा हूं। उनका विश्वास है कि डिफेक्ट्स काफी नहीं हैं तो हाथ में लिया जायगा।

फर्टिलाइज़र फैक्टरी के बारे में यह कहा गया कि हनुमानगढ़ का ही क्यों जिक्र किया गया? इसका कारण यह है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी स्थापित की है। उसने डेफिनेटली इसी स्थान के लिये कहा है और इसके साथ साथ और भी कई तरह के फर्टिलाइजर्स पैदा होते हैं अल्मोनियम वगैरा। राजस्थान में इतना तो निश्चित है कि सबसे ज्यादा इर्रिगेटेड एरिया हनुमानगढ़ के आसपास ही है और जो २५,००० किलोवाट एक्स्ट्रा पॉवर भाखरा पुल से मिलेगा वह भी वहां पर मिल सकता है और इसका भी उपयोग फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में हो सकता है। बिजली की उपलब्धि इसी क्षेत्र में आसान है इसलिये इस स्थान का ही जिक्र किया वरना और कोई विशेष बात नहीं है। इस बात को गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने माना है बिजली काफी मिल सकती है, एल्मोनियम सल्फेट तैयार करें तो जिप्सम भी काफी मिलता है, इन सब बातों के कारण वहां पर किया गया था।

फिर सीमेन्ट के बारे में मैं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्लानिंग नहीं है और उसकी वजह से हमने चार प्लान्टस शुरू कर दिये, लेकिन उनमें से दो चल रहे हैं और दो बंद पड़े हैं और इस वक्त देश में सीमेन्ट का ओवर प्रोडक्शन हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक सीमेन्ट के प्रोडक्शन का सवाल है ..

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपके लिये नहीं सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लिये कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिर आपने यहां पर जो यह चर्चा चलाई उससे लाभ नहीं था। फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारे यहां स्टील प्लान्ट शुरू हुए हैं। इसके बाद में जो ओवर प्रोडक्शन रहेगा, सीमेन्ट काम नहीं आयगी, यह जो केपेसिटी है, स्टील प्रोडक्शन बढ़ा तो सीमेन्ट कम हो जाने वाला है। रोंग प्लानिंग हुआ है, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स समाप्ति पर आ रहे हैं और दूसरी तरफ स्टील फैक्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन शुरू किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सीमेन्ट नहीं चलेगा और पूरे प्लान्टस काम में नहीं आयेंगे, ऐसी बात नहीं है।

दूसरी बात यहां पर कई सदस्यों ने इस बारे में कही कि हमको अध्यापकों के वेतन बढ़ाने चाहिये। किसी ने कहा औरों का भी वेतन बढ़ाना चाहिये, यह भी चर्चा आती रही। मैं समझता हूं हममें से कोई भी इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं हो सकता कि हम वेतन और ज्यादा बढ़ा सकें, और ज्यादा दे सकें। टीचर्स को और दूसरे एम्प्लॉइज को जिनको कम वेतन मिलता है उनको ज्यादा दिया जा सके तो सबको प्रसन्नता होगी। लेकिन इस लक्ष्य को सामने रख कर चलना है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है ? मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और उनको जानकारी होगी कि जो अगले वर्ष का प्लान निश्चित हुआ है वह २४ करोड़ का है, उसमें से ११ करोड़ रुपये राजस्थान को लोन से, पब्लिक लोन से, स्मॉल सेविंग्ज से, रेवेन्यु सरप्लस से या और किसी जरिये से ११ करोड़ के रिसोर्सेज अपने यहां से इन्टरनली प्रोवाइड करना होगा तभी २४ करोड़ का प्लान चल सकता है। कर्मचारियों के वेतन कम हैं इसमें दो राय नहीं है, लेकिन क्या हो, अवसर आने पर बढ़ सकता है और उनको रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति है कि इन सारी बातों को देखते हुए, प्लान को फाइनेन्स करने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है और इस दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करने पर भी मुश्किल से इतना हो सकता है। सारी बातों को लक्ष्य में लेकर चलेंगे तब तो सेकिन्ड प्लान को पूरा करके थर्ड की अच्छी तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि थर्ड प्लान इस पर निर्भर करता है कि दूसरे प्लान में हम कितना एचीव कर सके, टार्गेट पूरा कर सके या नहीं ? इन २४ करोड़ के अलावा राजस्थान केनाल पर खर्चे का जो सवाल है वह अलग है। काफी बड़ी धन-राशि खर्च हो रही है और कामों का प्रश्न बाद में आता है। अंत में और प्रश्न भी उठाये, उनके विवेचन में मैं नहीं जाना चाहता। केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पाली के माननीय सदस्य ने और भी माननीय सदस्यों ने जो सरकारी सर्विसेज पर बिना भेद भाव के यह कहा कि सरकारी स्तर पर अमुक व्यक्ति पर ज्यादती फलां जगह हुई, यही नहीं बल्कि जनरल सर्विसेज के बारे में कई बातें बार बार कही जाती हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैं नम्रतापूर्वक, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजस्थान को देखें, जिसमें सारी चीजों को नये रुप से गठित किया और आज राजस्थान में इर्रिगेशन, पी. डब्यू. डी. को लीजिये, एग्रीकल्चर को लीजिये, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लीजिये ...

५ म० प०

हम लोग १६५३–५४ के अन्दर, उससे पहले और पंच वर्षीय योजना में १६५४–५५ के पीरियड में मुश्किल से आगे चल पाये लेकिन आज इस स्थिति के अन्दर राजस्थान पहुँचा है कि हमारे यहां के काम को देखने के लिए केन्द्रीय टीम आती है, बाहर के लोग आते हैं, वे इस बात को एप्रीशीयेट करते हैं कि राजस्थान के अन्दर काफी काम किया जा रहा है, काफी तेजी से राजस्थान के लोग बढ़ रहे हैं। जो इस सदन में कहा जाता है उसके बारे में मैं समझता हूँ कि केवल एक डिस्करेजिंग तरीके से, क्रिटिसाइजिंग तरीके से बातें करते हुए चले जाइये तो होगा क्या ? हम चाहते हैं कि करप्सन खत्म हो, इनएफीशियेन्सी खत्म हो। जो यहां कहा जाता है, वह ब्लेन्किट क्रिटिसिज्म है और कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन एफीशियेन्ट है, कौन एफीसियेन्ट नहीं है, इसके बारे में हमारे यहां पर कोई स्तर नहीं रहेगा। हम इस प्रकार लोगों पर यह असर डालना चाहते हैं कि जिसका क्रिटिक्ज्मि किया जाय वह यह समझने लगे कि इस सम्बन्ध में क्रिटिसिज़्म होने लगा है लेकिन अधिक क्रिटिसिज्म से उनके इस विचार में कमी होने का खतरा रहता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य सतर्कता रखें तो वाजिब होगा। आखिर हमारे यहां के लोग बाग चम्बल जैसे मुश्किल काम को कर रहे हैं। राजस्थान केनाल के एरिया में, जहां हमारी इधर उधर जाने की इच्छा न हो, उसमें वे लोग रात दिन जाकर घूम कर इतना बड़ा काम तेजी से करते हैं। मैं मानता हूँ कि हर चीज के अन्दर कमियां हो सकती हैं, कई जगह कमी हो सकती हैं, जैसे पुलिस विभाग के बारे में चर्चा चली, एक में कमी हो सकती है, दो में कमी हो सकती है, १० में कमी हो सकती है, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं कि लोगों ने अपनी जिन्दगी खोई है, अपनी जिन्दगी का त्याग किया है। तो हर सर्विस को क्रिटिसाइज करने लग जांय तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होता है। इसलिए इन सारे पहलुओं पर विचार करें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव की जो बात है, सर्विस कोऑपरेटिव की खास तौर से। एक स्वेच्छा से कोऑपरेटिव फॉर्मिंग बनाये। कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में निवेदन करूं कि इसे सब मिल कर ही सफल बना सकते हैं। अगर दिल से इस काम में लगें नहीं तो जैसा मैं निवेदन कर चुका हूँ कि इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशन्स हो सकते हैं इस बात को समझें तो प्रोडक्शन में कितना काम हो सकता है। मुझे आशा है कि इन सारे पहलुओं पर माननीय सदस्य विचार करेंगे।

एक बात मैं नहीं कहूंगा तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। मुझे माननीय सदस्य क्षमा करेंगे यदि मैं फूड सिचुएशन के बारे में कुछ कह दूँ। हमारे माननीय मंत्री जी नहीं बोले, इसलिए मेरा कुछ कह देना ठीक होगा। फूड सिचुएशन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के लिए कहा गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी होने के कारण ही यह क्राइसिस हुआ है। मैं निवेदन करूं कि इस वक्त सारे देश के सामने यह स्थिति पैदा हुई। शायद पंजाब में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा होता है। लेकिन पिछली साल फसल कम हुई, उससे असर पैदा हुआ, देश के अन्दर असर हुआ, उसका चारों तरफ असर हुआ, यू. पी. के अन्दर असर हुआ, अपने यहां हुआ, पंजाब में हुआ, बम्बई में हुआ। तो यह समझ कर चलें और फिर जैसा कि सदस्य जानते हैं कि राजस्थान, बम्बई, मध्य प्रदेश एक जौन था। इस जौन के होने पर भी हम बराबर प्रयत्न करते थे कि यह चीज राजस्थान के बाहर न जाय तो हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। सौभाग्य से हम आज जब यहां मिल रहे हैं इसके कुछ पहले भारत सरकार की तरफ से आदेश हो गये हैं कि राजस्थान गेहूं के लिए एक जौन होगा। अभी भी हमारे यहां हम यह कह सकते हैं कि अमुक तरह की चीज़ नहीं मिल सकती है लेकिन ज्वार, मक्का काफी है। मैं मानता हूं कि चारों तरफ काफी तकलीफ है, मुश्किलें हैं लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए भी मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो आने वाली क्रॉप है, इसके बारे में दो राय नहीं हो सकतीं कि वह काफी बम्पर क्रोप है जो कि पिछले कई सालों में नहीं हुई। उसके आने के बाद में काफी स्थिति सुधर जायगी। इसलिए इस पीरियड को कुछ मुश्किलें होते हुए भी निकाल दें तो मैं समझता हूं कि सारी व्यवस्था के अन्दर ज्यादा सहूलियत पैदा हो जायगी।

इन सारी बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल ने दिया उसके लिए एक राय से सभी उन्हें धन्यवाद देंगे।

(करतल–ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : अब धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री हरिदेव जोशी ने राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के हेतु प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

(करतल—ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही, सायंकाल ५ बज कर ५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक २४. २. ५६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २३ फरवरी, ५६)

स्तम्भ स्तम्भ

राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ के नियम ७७ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखा।

विधायी कार्य—पुर: स्थापित किया गया विधेयक ७२१

राजस्थान लैन्ड एक्वीजीशन (संशोधन), विधेयक, १९५९ सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुर:स्थापित किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ७२३

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री हरिदेव जोशी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर आज भी वाद विवाद जारी रहा। वाद विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१ श्री रामचन्द्र

२ श्री सोहनलाल भटनागर

३ श्री मोगजी भाई

४ श्री पी. के. चौधरी

५ श्री शिवचरणदास

६ श्री लच्छूराम

७ श्री आबिदअली,

८ श्री अर्जुनदास

सरकार की ओर से :—

(१) श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री,

(२) श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री

(३) श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री एवं

(४) श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री

द्वारा उक्त प्रस्ताव पर की गई बहस का उत्तर दिया गया। तत्पश्चात् धन्यवाद का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत हुआ।

मंगलवार, दिनांक २४ फरवरी ५९ का कार्य-विवरण

(१) प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय की वृद्धि

(२) अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५८-५९ (द्वितीय खण्ड) की प्रस्तुति

(३) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

(४) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, ५९

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५४ का उत्तर देखिये)

जयपुर शहर स्थित देवस्थान विभाग के अन्तर्गत मंदिरों की सूची

क्र० स०	नाम मंदिर	विशेष विवरण
	(डाइरेक्टर चार्ज)	
१	श्री बृजनिधिजी, चांदनी चौक	
२	श्री आनंद कृष्णबिहारीजी, चांदनी चौक	--
३	श्री रामचंद्रजी, सिरेडोढ़ी बाजार	
४	श्री गोरधननाथजी, हवा महल	
५	श्री बृजराज बिहारीजी, त्रिपोलिया बाजार	
६	श्री राजराजेश्वरजी, चांदनी चौक ड्योढी में	
७	श्री गंगाजी, बाग जैनिवास	
८	श्री राधागोपालजी, बाग जैनिवास	
९	श्री किल्कीजी, सिरेडोढ़ी बाजार	
१०	श्री लक्ष्मीनारायनजी, बाग जैनिवास	
११	श्री विश्वेश्वरजी, महादेव, चौडा रास्ता	
१२	श्री जगतेश्वरजी, जौहरी बाजार	
१३	श्री रघुनाथजी, आमेर दरवाजा बाहर	
१४	श्री चंद बिहारीजी, खंदा मानकचौक चौपड़	
१५	श्री राधाकृष्णजी, चौकडी पुरानी बस्ती रास्ता राजाशिवदान जी	
१६	श्री राधा मोहनजी, चौ० तोपखाना हजूरी रास्ता झालानियों	
१७	श्री राधा दामोदरजी, रामगंज बाजार खुर्रा जगन्नाथ शाह	
१८	श्री गोपालजी, चौ० पुरानी बस्ती मु० गोपीनाथ जी का मंदिर	
१९	श्री गोरधननाथजी, डोढी	
२०	श्रीं गोरधननाथजी, चोड़ा रास्ता	
२१	श्री रूपचंद्रमाजी, सांगानेर दरवाजा	
२२	श्री चतुर्भुजजी, चांदपोल बाजार	
२३	श्री जानकी बल्लभजी, चौपड़ छोटी	

१	२
२४	श्री राधावल्लभजी, पुरानी बस्ती
२५	श्री रशिकबिहारीजी, चौपड छोटी
२६	श्री मदनमोहनजी, सिरे डोढी बाजार
२७	श्री आनंदबिहारीजी, खंदामानक चौक
२८	श्री नवलकिशोरजी, चांदपोल बाजार रास्ता तहवीलदारान
२९	श्री महताबबिहारीजी, त्रिपोलिया बाजार
३०	श्री रतन बिहारीजी, चांदी की टकसाल
३१	श्री यशोदानंदजी, जनानी ड्योढ़ी
३२	श्री लक्ष्मीनारायनजी, खंदा मानक चौक
३३	श्री मुरलीमनोहरजी, गनगौरी बाजार
३४	श्री बालमुकंदजी, रामबाग रोड़
३५	श्री नंदेश्वरजी, सिरे डोढी बाजार
३६	श्री प्रतापेश्वरजी, चांदनी चौक
	(कोर्ट ऑफ वार्ड्स)
३७	श्री बांकडा बिहारीजी, गनगोरी बाजार
३८	श्री विनोदीलालजी, त्रिपोलिया बाजार
३९	श्री सीतारामजी, चौडा रास्ता
४०	श्री रतनबिहारीजी, (देवडी) जोहरी बाजार
४१	श्री सीतारामजी, रास्ता हलदियान
४२	श्री गोपालजी, धोलाई रास्ता खवास जी चौकडी रामचंद्र जी
४३	श्री बालानंदजी, पुरानी बस्ती
४४	श्री पंच हनूमानजी, पुरानी बस्ती
४५	श्री रघुनाथजी छत्री का हनूमानजी, सीकर हाउस के पीछे चांदपोल दरवाजे बाहर

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिए)

सूची उन व्यक्तियों की जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से धन रिफन्ड किया गया :

क्रम संख्या	दिनांक		नाम व्यक्ति	नाम ग्राम	धनराशि
१	२		३	४	५
१.	२७-३-५७	श्री	भंवरलाल शर्मा उदकी	खीवराज का बास	७५५.५६
२.	२४-४-५७	,,	भवरपुरी गुसाई	दूधावाला	८.८१
३.	८-६-५७	,,	रामप्रसाद रामस्वरूप मा० रामसरण	बस्सी	२५०.०
४.	१२-६-५७	,,	रामजीवन वकील मुख्तार आम ठा० देवीसिंह इटावा	खिजरिया जांटान	७०४.४५
५.	,,		,,	,,	३७०.५२
६.	,,		,,	,,	११४.३
७.	२२-६-५७	,,	हरदेव वल्द रामदेव मीना	भर	१०.०
८.	२६-६-५७	,,	आलाबखश तनखादार	टेकचन्दपुरा	२६८.५०
६.	१५-७-५७	,,	नारायणसिंह तनखादार	सेवापुरा	४६.२५
१०.	२२-७-५७	,,	मदनलालजी वकील ठिकाना गोविन्ददेवजी	चतरपुरा	११५.०
११.	२५-७-५७	,,	शंकरलाल माधोलाल माफीदार	रामरिखपुरा	३८६.८७
१२.	२५-७-५७	,,	गोकुलसिंह जागीरदार	रामरतनपुरा	४७८.२२
१३.	६-८-५७	,,	,,	,,	५१.५०
१४.	,,	,,	लक्ष्मणसिंह जागीरदार	श्रीगजका बास	२१६.८७
१५.	१२-८-५७	,,	नाथसिंह जागीरदार	कानोता	३७६.६१
१६.	,,	,,	,,	,,	६६७.६४
१७.	,,	,,	,,	,,	७६६.५०
१८.	,,	,,	,,	,,	३७१.३३

१	२		३	४	५
१९.	१४-८-५७	,,	भगवान सहाय जागीरदार	भांकरी	१०९.३१
२०.	,,	,,	,,	,,	९.५६
२१.	२१-८-५७	,,	ताराचन्द जैन तनखादार	लालपुरा	१४.५३
२२.	,,	,,	,,	,,	१५९.४७
२३.	३०-८-५७	,,	गोकुलसिंह जागीरदार	रामरतनपुरा	१,३६२.९२
२४.	१२-९-५७	,,	रामजीवन वकील ठि० इटावा	खिजरिया जाटान	६१२.७६
२५.	,,	,,	,,	,,	५४.९१
२६.	,,	,,	,,	रामपुरा बास खिजरिया	९२६.३९
२७.	,,	,,	,,	,,	५७.४०
२८.	१७-१०-५७	,,	भंवरलाल माफीदार	सिया का बास	५२.८१
२९.	,,	,,	,,	,,	५२.८६
३०.	,,	,,	रामस्वरूप तनखादार	भोनिकबाला	१०.७३
३१.	,,	,,	,,	,,	१५६.५०
३२.	२३-१२-५७	,,	दत्तात्रेय दीक्षित झोरा	नया गाँव	२५४.५
३३.	१०-१-५८	,,	नारायणसिंह तनखादार	सेवापुरा	५०.०
३४.	२५-१-५८	,,	भगवान सहाय	भांकरी	३७५.३८
३५.	४-२-५८	,,	बालाबक्स	चक चन्दपुरा	१६१.९
३६.	२१-२-५८	,,	भोरीलाल माफीदार	सिया का बास	५२.८६
३७.	१४-३-५८	,,	लक्ष्मणसिंह जागीरदार	धीगड का बास	२१६.८६
३८.	१९-३-५८	,,	किसनसिंह जागीरदार	रामरतनपुरा	५३८.७५
३९.	८-४-५८	,,	मुजफरअलीखां	राजपुरा	११०.६२
४०.	,,	,,	,,	,,	६६.३७
४१.	१६-४-५८	,,	किशनसिंह जागीरदार	रामरतनपुरा	१,५५२.८

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १३४ का उत्तर देखिये)

PERMISSION FOR APPEARING OF PUBLIC EXAMINATION

The following are the rules for the grant of permission to Inspecting Officers and Ministerial staff of the Deptt :-

1. Permission to appear at the public examination may be granted to teachers, each year on the recommendation of the Head of the Institution concerned in case the candidate for the said examination is likely to become more efficient and useful in respect of his duties in relation to the department, after passing the public examination for which he seeks permission.

2. No permission shall be granted to teacher or an Inspecting Officer for appearing at the LL. B. Examination or any other examination in law.

3. (a) Not more than 20% of the members of the staff of an Institution shall be permitted to appear at the examinations.

(b) In an Institution wherein the number of teachers is below five but not less than two the permission shall be granted to anly one teacher.

(c) As regards single teacher school the permission shall be granted at the maximum rate of 20% of the total number of teachers in all such schools in an Inspectorate.

4. The above permission may be granted to a teacher in case his work and conduct have been entirely satisfactory, and in giving such permission preference shall be given to those who have not been granted permission in the previous session. In the case of Intermediate colloge and High Schools, preference will also be given to the condidates offering subjects useful for the Institution concerned. In case of previous and final examination for University Degrees such as M. A., M. Com., M. Sc. etc. permission will nesessarily be given in case a candidate has passed the previous examination in the preleding year, at other things remaining the some and without any prejudice to other rules on the subject.

5. No, leave shall be granted in connection with the examination

except for the period of the examination and if necessary for transit also. The leave will be sanctioned subject to title on production of the programme of the examination concerned by the applicant.

6. Permission shall be given only to confirmed teachers who have put in atleast two years approved and continuous service.

7. Officiating or temporary teachers or those on probation shall not be permitted to appear at the public examination, but in very special cases the Director may grant such permission on the merits of an individual case which shall not forma precedent.

8. Teachers permitted to appear at any public examination shall not undertake any private tution during the session preceding the examination as also shall not diminish their interest and show sickness in the discharge of their duties in respect of both curricular and co-curricular activities of their Institutions.

9. Permission to inspecting officers and ministerial staff shall be granted at the disceration of the Director and the immediate officers concered respectively.

10 (1) Application to appear at the public examination should be submitted in the proper form and must reach the sanctioning authority through proper channel by the 15th of August each year. So far as possible orders in respect of the grant of permission should be passed by the 31st August of the same year at the latest.

(2) Heads of institutions should submit all the applications with regard to their institution in single lot and not piecemeal, along with a consolidated statment in the proper form (Appendix XI). The Inspectors of Schools should submit all the applications in respect of their superior authority along with a consolidated statement in the proper form.

11. The Heads of institutions while forwarding an application for grant of permission to the sanctioning authority or their immediate officers should satisfy themselves that the applicant is willing to abide by all the conditions laid down in this connection in the Code.

12. The sanctioning authorities with regard to the permission shall be as followings :-

1.	Professor & Lecturers in Degree & Post. Graduate Colleges.	Head of the Institution.

2.	Principal, Lecturers & Teachers of Intermediate Colleges.	Director of Education.
3.	Headmaster & Asstt. teacher of Tarining & High Schools.	Director of Education.
4.	Inspecting Officers.	Director of Education
5.	Headmasters of Middle & Primary Schools and Asstt. Teachers of High- Middle & Primary Schools.	Inspector of Schools.

Teachers who have been permitted to appear in the Public Examination 1958-59.

1. Shri Bhairon Dau
2. ,, Kanti Lal
3. ,, Mahendra Nraayan Mathur
4. ,, Harbans Lal Sharda
5. ,, Bansi Lal
6. ,, Jeth Mal
7. ,, Naresh Behari Lal
8. ,, Govardhan Singh
9. ,, Kan Singh
10. ,, Abdul Sattar
11. ,, Dharam Narayan
12. ,, Shyam Sunder
13. ,, Chiranji Lal
14. ,, Umashanker Panday
15. ,, Ram Narayan
16. ,, Sohan Lal
17. ,, Raj Bahadur
18. ,, Bagh Raj Verma
19. ,, Haji Mohd Yusuf
20. ,, Dwarka Dass Harsh
21. ,, Kapil Deo
22. ,, Narayan Ram
23. ,, Siremal Kochar
24. ,, Arun Kumar
25. ,, Laxaman Purohit
26. ,, Mahesh Chand
27. ,, Gordhan Acharya
28. ,, Youdo Dass
29. ,, Karni Dan
30. ,, Ganpat Ram
31. ,, Shiv Nandan Garg

32. Shri Mohd. Zaffar
33. „ Arjun Dass
34. „ Lalit Mohan
35. „ Bajrang Lal
36. „ Ram Pratap
37. „ Madan
38. „ Ramjan Ali
39. „ Jai Kishan Acharya
40. „ Jagjit Singh
41. „ Bhawani Shankar
42. „ Ram Kumar
43. „ Ram Lal Khatri
44. „ Badri Prasad
45. „ Sagar Mal
46. „ Chain Dan
47. „ Bhanwar Lal Mohta
48. „ Moti Lal Rankawat
49. „ Kishore Lal
50. „ Prithvi Singh
51. „ Guru Datta
52. „ Notan Dass
53. „ Prem Ratan
54. „ Dau Dayal
55. „ Madan Gopal
56. „ Gyaneshwar Gupta
57. „ Ravindra Nath
58. „ Ram Lal Khatri
59. „ Hemat Lal Khatri
60. „ Har Narain
61. „ Mohd Ayub
62. „ Bhairon Lal
63. „ Shemshudeen
64. „ Bhaira Ram

65. Shri Sham Shudeen
66. „ Punam Chand
67. „ Ram Prasad Sharma
68. „ Kanhaiya Lal
69. „ Swehal Singh
70. „ Sohan Lal
71. „ Ganga Dan
72. „ Govradhan Dass
73. „ Dhanjey
74. „ Raghuvir Prasad
75. „ Megha Ram
76. „ Ishwar Narayan
77. „ Keshu Dan
78. „ Choru Lal
79. Miss Nirmal Kumari
80. Shri Tej Dan
81. „ Radha Kishan
82. „ Narain Dass
83. „ Kishori Lal
84. „ Dwarka Prasad
85. „ Shree Kishan
86. „ Shankar Dan
87. „ Mool Dan
88. „ Om Prakash
89 „ Puncha Singh
90. „ Shanti Lal
91. „ Shaktu Mal
92. „ Asha Ram
93. „ Kishan Dan
94. „ Bhairon Dan
95. „ Hari Kishan
96. „ Gulam Nabi
97. „ Thfil Ahmad
68. „ Satya Narain

99. Shri Manfool Singh
100. „ Bhanwari Lal
101. Smt. Ratan Davi
102. Shri Samshudeen
103. „ Mohan Singh
104. „ Keshri Singh
105. „ Ridhi Nath
106. „ Dungar Dass Acharya
107. „ Puran Chand Gupta
108. „ Ram Chondra
109. „ Rama Shankar
110. „ Ash Karan

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १३५ का उत्तर देखिये)

तहसील रतनगढ़

१. पाबूसर
२. हामूसर
३. गोगासर
४. मालासर
५. मेणासर
६. भानोदा
७. भानोदा चारनान
८. कामिया बीकान

तहसील सुजानगढ़

१. गुलेरियां
२. सूरथास
३. चक कलीखां

तहसील डूंगरगढ़

१. डूंगरगढ
२. डेतत्रा
३. धोलिया
४. साथलिया
५. बालासर
६. राजपुरा
७. मानकरासर
८. पुनरासर
९. वीरमसर

१०. सुरजनसर
११. लुडेरा
१२. गुसाईसर बड़ा
१३. टुकरिया सेर १।३
१४. जेतासर
१५. उदरासर
१६. लाछड़िया १।२
१७. सूडसर
१८. दुलरासर
१९. टेऊ
२०. बास मईथान
२१. धिराजसर
२२. गोपालसर
२३. नरसीसर
२४. सेरूना
२५. भंभेऊ
२६. सतासर
२७. समन्दसर
२८. जोधासर
२९. बेनीसर
३०. गाजपुरा
३१. मोजास
३२. हेमासर
३३. कोटासर
३४. सामन्दसर
३५. लिखमीसर उत्तरादा

शुद्धि–पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २३ फरवरी, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७०१	७	किसी	किस
७०५	१	(श्री बहादुरसिंह)	(डॉ० बहादुरसिंह)
७१७	२१ तथा २२	इयू	इश्यू
,,	२५	जजेस	जज़ेज
७२५	२०	डिपाटमेंट	डिपार्टमेन्ट
७३५	१८	वार्ता	वार्तो
७४३	२१	दौ	दो
७४७	१	त्री	श्री
७७३	२६	के	की
,,	,,	औंर	ओर
७७४	१५	काम	कायम
७७५	शीर्ष	(श्री शिवचरणदास)	(श्री लच्छूराम)
७७६	२६	और	ओर
७७७	२७	भ्रश्टाचार	भ्रष्टाचार
७८३	शीर्ष	(श्री आविदअली)	(श्री आबिदअली)
७८६	११	मुकद्दमा	मुकदमा
७८८	७	अपोरअ	अपीअर
७९८	१६	गवर्ममेंट	गवर्नमेन्ट
८०१	१४	श्री अर्जनयास	श्री अर्जनदास
८०३	५	इनडिविज्युअल	इन्डिविज्युअल
८०४	१६,२८	एग्रीक्लर	एग्रीकल्चर
८०५	७	निदान	निनाण

१	२	३	४
८०८	२	एक्सपीडिशस	एक्सपीडियस
८११	८	sctuauly	actually
,,	२०	और	ओर
८१४	४	बाट	बाँट
,,	५	नहीं	नहीं
,,	७	इक्कट्ठा	इकट्ठा
,,	२६	बाटा	बाँटा
८१५	८	में	मैं
,,	२५	(दाता रामगढ़)	(दाँता रामगढ़)
८२०	२७	सौ	सो
८२५	१६	एसा	ऐसा
८३१	शीर्ष	२० फरवरी	२३ फरवरी
,,	अन्तिम	पेड़े	पेड़ें
८४४	,,	बैद्य	वैंद
८४५	२०	सचेज	सर्वेज़
८५६	२२	करल	सरल
८५७	१८	गवर्नमेन्ट	गवर्नमेन्ट
८५९	१	पीरिड्य	पीरियड
८६३	नीचे से ५	मेरी	भरी
८६७	,, ३	यह वह	वह यह
८६९	२	दाता	दाँता
,,	४	हो की	हो चुकी
८७९	अन्तिम	विच ने	विचार में कमीं होने
८८१	१२,१३,१९	जौन	जॉन
८८४	६	,,	,,
८८७	शीर्ष	७८७	८८७
८९०	क्रमांक २६	९२९.३९	९३८.३९
८९१	नीचे से ३	Preleding	Preceding

१	२	३	४
,,	,,	'at'	विलोवित कीजिये
,,	,,	some	Same
८६३	क्रमांक ३	Tarining	Training
८६४	,, १	Shri Bhairon Dau	Shri Bhairon Dan
,,	,, ३	Nraayan	Narayan
८६७	,, १०८	Ram Chondra	Ram Chandra